प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड
Technology Development Board

१९वां वार्षिक प्रतिवेदन
Nineteenth Annual Report

वार्षिक प्रतिवेदन | Annual Report
२०१४–१५ | 2014-15

भारत सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
खण्ड–क, विश्वकर्मा भवन
शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली– 110016

Government of India
Department of Science and Technology
Wing – A, Vishwakarma Bhawan,
Shaheed Jeet Singh Marg,
New Delhi - 110016

विषय सूची

	विवरण	पृष्ठ सं.
.	एक स्मरणीय वर्ष	07
.	पूर्वावलोकन	13
.	प्रस्तावना	27
.	परियोजनाएं एवं उत्पाद	33
.	परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा व निस्तारण	45
.	सकारात्मक–सक्रिय भूमिका	55
.	प्रोन्नति संबंधी गतिविधियाँ	63
.	अनुसंधान एवं विकास उपकर	67
.	प्रशासन	71
.	समितियाँ	75
.	वित्तीय विवरण	81

Contents

	Particulars	Page No.
•	The Year That Was	07
•	Overview	13
•	Introduction	27
•	Projects and Products	33
•	Processing of Project Proposals	45
•	Proactive Role	55
•	Promotional Activities	63
•	Research & Development Cess	67
•	Administration	71
•	Committees	75
•	Financial Statements	81

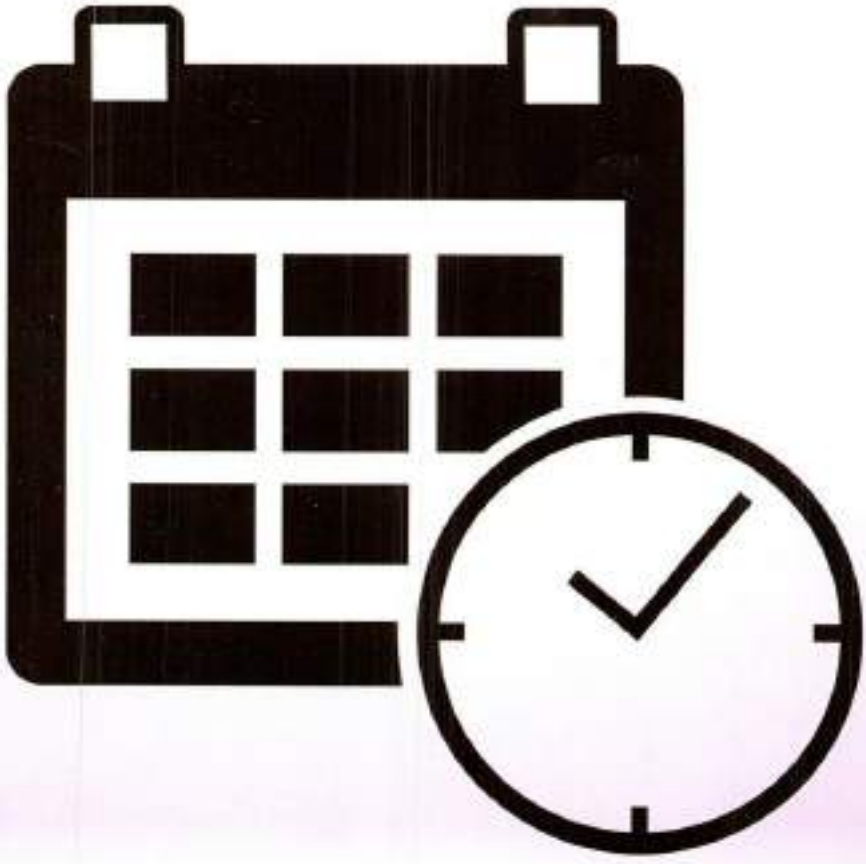

VECTOR ICON

एक स्मरणीय वर्ष | The Year That Was

वर्ष 2014-15 के दौरान, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने काफी विस्तार किया है और अपने कार्य क्षेत्र में व्यापक रूप से विस्तार करने के लिए नये कार्यक्रमों/ कार्यकलापों की शुरूआत की है।

चालू नई परियोजनाओं और स्कीमों के लिए 10.29 करोड़ रु. की राशि का संवितरण किया गया है। इस राशि में ऋण के रुप में 5.63 करोड़ रु., तथा निवेश के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) हेतु 4.66 करोड़ रु. शामिल है।

उद्यम पूंजी निधि में भागीदारी

स्वदेशी प्रौद्योगिकीयों के वाणिज्यीकरण हेतु उद्योगों के लिए प्रत्यक्ष सहायता के अतिरिक्त, टीडीबी ने प्रौद्योगिकीय रुप से नवोन्मो व्यवहार्य उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी केन्द्रित उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) के साथ नेटवर्किंग करना जारी रखा है। नवोन्मो और नवोन्मेषी उत्पाद/ सेवाएं रखने वाले आरंभिक स्तर के एस.एम.ई. उद्यमों को सहायता प्रदान करके स्वयं के कार्य क्षेत्र का विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। टीडीबी की इस पहल ने भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि को प्रेरित करने वाले क्षेत्रों में मुख्य बल के साथ प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं को व्यापक रुप से सहायता प्रदान करने हेतु आगे आने के लिए वेन्चर कैपिटलिस्ट / निजी इक्विटी फंड्स का आत्मविश्वास बढ़ाया है।

31 मार्च, 2015, टीडीबी ने 12 (बारह) वीसीएफ नामत: एपीआईडीसी, यूटीआई-एआईएफ, यूटीआई-आईटीवीयूएस, वेंचर ईस्ट, जीवीएफएल, आरवीसीएफ, सीआईआईई-आईएफएसई, आईईएचएसएमइ-आईईएफ, सिडबी-आईओएफ, सीफ-सीफ आईएएफ, ब्लूम वेंचर्स एस - एमएसएससीएफ एवं आइवीकैप वेंचर्स एस-आइवीकैप वीटीएफ-1 में भागीदारी की है और 310.00 करोड़ रु. के निवेश की प्रतिबद्धता/भागीदारी की है तथा इसमें से चार वीसीएफ में निवेश से लाभ पहले ही शुरु हो गया है।

इस वर्ष, टीडीबी को आरवीसीएफ की यूनिटों के मोचन से 0.31 करोड़ रु. प्राप्त हुए।

इन्क्यूबेटर्स में शुरूआतकर्ताओं के लिए सीड सहायता स्कीम

वर्ष 2005 में, टीडीबी ने डीएसटी के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (एनएसटीईडीबी) द्वारा प्रशासित इन्क्यूबेटरों (एसटीईपी - टीबीआई) को आरंभिक स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सीड सहायता स्कीम शुरु करके संवृद्धि - उन्मुखी अग्रसक्रिय पहल अपनाई है और वर्ष 2011-12 तक 3600 लाख रु. की प्रतिबद्धता के साथ 36 (जिनमें कि दुबारा सहायता प्राप्त करने वाले 4 टीबीआईएस/ एसटीईपीएस सम्मिलित है) प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स (टीबीआईएस) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्कों (एसटीईपीएस) को सहायता प्रदान की है।

इस स्कीम ने अच्छी प्रगति की है और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से उद्यमियों को लाभान्वित किया है। इन्क्यूबेटीज के लिए जारी की गई वित्तीय सहायता विकास, स्तरोन्नयन और संबंधित कार्य की आवश्यकता रखने वाली प्रौद्योगिकीयों के लिए आरंभिक स्तर सहायता में मदद करेगी। यह इन्क्यूबेटर्स द्वारा इन्क्यूबेसन निधि का सृजन करने में भी सुविधा प्रदान करेगी।

31 मार्च, 2015 तक टीडीबी ने सभी 36 टीबीआइएस/एसटीइपीएस में प्रत्येक को 1 करोड़ तथा कुल मिलाकर 36 करोड़ रू की अनुदान सहायता को जारी रखा।

विदेशी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 'सैंटर फॉर इ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी (सी डी टी आई), स्पेन के साथ दिनांक 03.07.2006 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार अपना तकनीकी सहयोग जारी रखा और 31 मार्च, 2015 तक सीडीटीआई, स्पेन और टीडीबी के बीच इंडिया स्पेन इनोवेशन प्रोग्राम (आईएसआईपी) के तहत कुल 8 (आठ) मामत: 'एफ एक्सइनटेरेक्टिव', 'इन्टीग्रेसन सिक्यूरीटि सिस्टम', 'एससीयूटीयूएम', 'सीओडब्ल्यूबीयूएलएल', 'बीटीईएनएसआईओएन', 'बीईएनजीएएलए', 'एसकेआईडीएस' एवं 'एसएईसीएलआईएमबीईआर इंडिया' को अनुमोदित किया गया।

प्रौद्योगिकी दिवस

11 मई, 2014 को नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। प्रौद्योगिकी दिवस व्याख्यान, प्रो. अशोक झुनझुनवाला, आई आई टी, मद्रास के द्वारा दिया गया।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के कारण, टीडीबी ने वर्ष 2014 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार एवं एसएसआई इकाई पुरस्कार प्रस्तावों के लिए विज्ञापन जारी नही किया।

पारस्परिक अन्तरक्रिया पद्धति

प्रदर्शनियां / संगोष्ठियां

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के पास उपलब्ध वित्तीय सहायता के बारे में उद्योग, उद्यमियों एवं आर एण्ड डी संस्थानों के बीच जागरुकता का सृजन करने के लिए अन्य संगठनों के सहयोग से विचार-विमर्श बैठकों /प्रदर्शनियों में भागीदारी जैसे विभिन्न कार्यकलापों को संचालित किया गया।

वर्ष के दौरान, टीडीबी ने ग्रेटर नोएडा और नई दिल्ली में

During the year 2014-15, Technology Development Board (TDB) has been in the expansion mode and exploring newer programs / activities to expand its portfolio in a big way. A lot of consolidation of activities have been done during the year.

An amount of Rs. 10.29 crore has been disbursed towards on-going and new projects and schemes. This included Rs. 5.63 crore as loan and Rs. 4.66 crore to Venture Capital Fund (VCF) for investment.

Participation in Venture Capital Funds

In addition to the direct support to industries for commercialization of indigenous technologies, TDB continued networking with technology focused Venture Capital Fund (VCF) to support technologically innovative viable ventures. The objective behind this exercise is to spread itself by providing support to early stage ventures for SMEs having innovation and innovative products / services. This initiative of TDB has given confidence to Venture Capitalist/Private Equity Funds to come up in big way to support the technology based projects with a pronounced emphasis on sectors which are the growth drivers of Indian economy.

Upto 31st March, 2015, TDB has continued its participation in 12 (twelve) VCFs namely APIDC, UTI-AIF, UTI-ITVUS, Ventureast, GVFL, RVCF, CIIE-IFSE, IEHSME-IEF, SIDBI-IOF, SEAF-SEAFIAF, Blume Venture's-MSSCF and Ivy Cap Venture's-Ivy Cap VTF-1 and committed investment of Rs. 310.00 crore out of which the return on investment in four VCFs has already started.

This year, TDB has received Rs. 0.31 crores towards redemption of units of RVCF.

Seed Support Scheme for Start-ups in Incubators

In 2005, Technology Development Board (TDB) took a growth-oriented proactive initiative by starting the Seed Support System for providing financial assistance for Start-ups in Incubators (STEP/TBI) administered by the National Science & Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB) of DST and has supported 36 (which includes two times financial assistance to 4 TBIs/STEPs) Technology Business Incubators (TBIs) and Science and Technology Entrepreneurs Parks (STEPs) involving TDB's commitment of Rs. 3600.00 lakhs till 2011-12.

This scheme has progressed well and benefited a number of entrepreneurs in various fields. The financial assistance released to the incubatees would cater to early stage support for technologies requiring development, up-scaling and related work. It will also facilitate in the building up of an Incubation Fund by the Incubators.

Upto 31st March, 2015, TDB continued its support to all 36 TBIs/STEPs with a financial assistance of Rs. 1.00 crore each, aggregating to Rs. 36.00 crore.

MoUs with Foreign Institutions

TDB continued its technical collaboration with "Centre for the Development of Industrial Technology" (CDTI), Spain as per the MoU signed with it on 3.07.2006 and upto 31st March, 2015, total eight (8) bilateral projects namely 'FXINTERACTIVE, Integration Security System, SCUTUM, COWBULL, BTENSION, BENGALA, SKIDS and SAECLIMBER INDIA were approved under India Spain Innovating Program (ISIP) between CDTI, Spain and TDB.

Technology Day

Technology Day was celebrated on 11th May, 2014 in New Delhi. The Technology Day Lecture was delivered by Prof. Ashok Jhunjhunwala, IIT Madras. In view of guidelines from the Election Commission of India, the Board did not issue the call for proposal for the National Award and SSI Unit Awards for the year 2014.

Interactive Mode

Exhibitions/ Seminars

To create awareness in the industry, entrepreneurs and R&D institutions about the available financial support from TDB, various activities were undertaken such as interactive meetings / participation in exhibitions in collaboration with other organizations.

During the year, TDB created awareness about its scheme by participating in various exhibitions at Greater Noida and New Delhi.

New Products and Services

During the FY 2014-15 TDB has been in the expansion mode and exploring newer programs /

विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लेकर अपनी स्कीमों के बारे में जागरुकता पैदा की है।

नए उत्पाद एवं सेवाएं

वर्ष 2014-15 के दौरान, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने अपने क्षेत्र विस्तार के उद्देश्य से एवं अपने पोर्टफोलियो के विस्तार के लिए नये प्रोग्रामों /कार्यकलापों को चिह्नित किया।

जारी उत्पाद / पूरी की गई परियोजनाएं

वर्ष के दौरान टीडीबी से सहायता के साथ जारी उत्पादों / पूरी की गई परियोजनाओं में निम्नलिखत शामिल है:-

- मेसर्स अंकित फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलोर द्वारा एल्यूमिनियम आयन वेपर डिपोजिटेड कोटेड एयरोस्पेस फास्टनर्स
- मेसर्स ट्रायडायगोनल सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड, पूने द्वारा मल्टी-स्केल मॉडलिंग प्लेटफॉर्म का विकास एवं वाणिज्यीकरण
- मेसर्स वायव्या लैब्स प्राईवेट लिमिटेड, कर्नाटक द्वारा एम्बेडेड सिस्टम बाजार के लिए डिवाईस ड्राईवर सॉल्यूशन एवं सिस्टम स्तर के सत्यापन उपकरण का वाणिज्यीकरण
- मेसर्स पावा सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलोर द्वारा एम्बेडेड कारपोरेट प्रतिभूति नितियों के साथ एन्क्रिप्टेड कन्टेनर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फाईल/डाटा की सुरक्षा के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का विकास एवं वाणिज्यीकरण
- मेसर्स यशराज बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड, नवी मुम्बई द्वारा पुन:संयोजक एंटीजेन, पुन: संयोजक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एवं सेल व्युत्पन्न एंटीजेन का विकास एवं वाणिज्यीकरण
- मेसर्स माईमो वायरलेस टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलोर द्वारा 4जी वायरलेस 3जीपीपी एलटीई उत्पादों, बेस स्टेशन (ईनोडबी), उपयोगकर्ता उपकरण (यूई) एवं एलटीई एम्यूलेटर्स का वाणिज्यीकरण

ऋण चुकौती का निपटान

इस वर्ष, टीडीबी द्वारा सहायता प्राप्त – चार (4) निम्नलिखित कम्पनियों ने अपनी ऋण राशि का भुगतान कर दिया है और टीडीबी के द्वारा सन्तोषप्रद पाए जाने पर करार के अनुसार अपनी ऋण लेखाओं का निपटान कर दिया है।

- मेसर्स क्रिटीकल सिक्योरस्केन प्रा. लि., नोएडा
- मेसर्स गोल्डस्टोन इन्फ्राटेक लि., सिकन्दराबाद
- मेसर्स सागरिक प्रोसेस ऐनालाइस्ड प्रा. लि., नई दिल्ली
- मेसर्स आवरा लैबोटरिज प्रा. लि., हैदराबाद

प्राप्त आवेदन

वर्ष के दौरान टीडीबी ने विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से वित्तीय सहायता के लिए कुल 28 आवेदन प्राप्त किए जिसमें 1233.90 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत और 389.01 करोड़ रु. की टीडीबी से मांगी गई सहायता शामिल है। इनमें से टीडीबी के द्वारा वित्तीय सहायता के लिए 23 आवेदनों को उचित पाया गया।

activities. A lot of consolidation has been done and TDB is in the process of formulating/initiating the same.

Product Released/Projects Completed

The products released / projects completed with assistance from TDB during the year include:-

- Aluminum Ion Vapour Deposited Coated Aerospace Fasteners by M/s Ankit Fasteners Private Limited (AFPL), Bangalore
- Development and commercialization of a multi-scale modeling platform by M/s. Tridiagonal Solutions Pvt. Ltd., Pune
- Commercialization of Device Driver Synthesis and System Level Validation Tools for Embedded System Market by M/s Vayavya Labs Pvt. Ltd., Karnataka
- Development and commercialization of Innovative Technologies for Electronic File/ Data Security through Encrypted Container with Embedded Corporate Securities Policies by M/s Pawaa Software Pvt. Ltd., Bangalore
- Development and Commercialization of Recombinant Antigens, Recombinant Monoclonal Antibodies and Cell Derived Antigens by M/s Yashraj Biotechnology Ltd., Navi Mumbai
- Commercialization of 4G wireless 3GPP LTE Products: Base Station (eNodeB), User Equipment (UE) and LTE Emulators by M/s MYMO Wireless Technology Private Limited, Bangalore

Settlement of Repayment of Loan

This year, the following four (4) companies assisted by TDB have repaid their loan amount and settled their loan account as per the agreement to the satisfaction of TDB.

- M/s KritiKal Secure Scan Pvt. Ltd., Noida
- M/s Goldstone Infratech Ltd., Secunderabad
- M/s Sagrik Process Analysed Pvt. Ltd., New Delhi
- M/s Avra Laboratories Pvt. Ltd., Hyderabad

Applications received

During the year, TDB received a total of 28 applications for financial assistance from various industrial concerns with total project cost of Rs. 1233.90 crore and TDB's assistance of Rs. 389.01 crore. Out of that, 23 applications were found suitable for further processing for financial assistance by TDB.

पूर्वावलोकन | Overview

भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत सितम्बर, 1996 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का गठन किया गया।

इस अधिनियम में टीडीबी द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुप्रयोग के लिए फंड सृजन का प्रावधान है। इस फंड द्वारा सरकार से अनुसंधान एवं विकास उपकर अधिनियम, 1986 यथा संशोधित 1995 के प्रावधानों के तहत औद्योगिक इकाइयों से एकत्रित उपकर में से भारत सरकार से अनुदान प्राप्त किया जाता है। फंड की राशि के निवेश से प्राप्त आय और फंड द्वारा दिए गए अनुदानों की वसूली को फंड में जमा कर दिया जाता है। वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा आयकर संबंधी उद्देश्यों के लिए फंड को दिए गए अनुदानों में पूर्ण कटौती करने हेतु सक्षम बनाया गया।

वर्ष 1996-97 से 2014-15 की अवधि के दौरान आर एंड डी उपकर से सरकार द्वारा कुल 5872.27 करोड़ रु. एकत्र किए गए। इसमें से टीडीबी को 19 वर्षों की अवधि में 549.17 करोड़ रु. की संचित राशि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के गैर-योजना व्यय में से अनुदान सहायता के रूप में उपलब्ध कराया गया।

टीडीबी का दायित्व स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास एवं वाणिज्यिक अनुप्रयोग का प्रयास करना अथवा व्यापक घरेलु अनुप्रयोग हेतु आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने वाली औद्योगिक इकाईयों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

टीडीबी द्वारा वित्तीय सहायता ऋण या इक्विटी के रुप में तथा आपवादिक मामलों में अनुदान के रुप में उपलब्ध है। ऋण सहायता अनुमोदित परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक दी जाती है और इस पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जाता है। ऋण अवधि के दौरान टीडीबी की सहायता से उत्पादित उत्पाद की बिक्री पर रॉयल्टी भी देय है। विकल्प के रुप में टीडीबी किसी कंपनी को इक्विटी पूंजी भी प्रदान कर सकता है बशर्ते यह अनुमोदित परियोजना लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत तक हो। वित्तीय सहायता किसी औद्योगिक इकाई के शुरुआत, स्टार्ट अप अथवा विकास के चरणों में उपलब्ध कराई जा सकती है।

टीडीबी को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से वित्तीय सहायता हेतु आवेदन वर्ष भर प्राप्त होते रहते हैं। टीडीबी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु इच्छुक औद्योगिक इकाई को विहित पत्र में आवेदन करना होता है। परियोजना वित्त पोषण संबंधी दिशानिर्देशों सहित आवेदन के प्रारुप की प्रति टीडीबी से निःशुल्क या टीडीबी की वेबसाईट (www.tdb.gov.in) से प्राप्त की जा सकती है।

टीडीबी ने अपनी योजनाओं को प्रौद्योगिकी अभिमुखी परियोजनाओं तक और अधिक विस्तारित करने के लिए उद्यम पूंजी निधि में भी भाग लिया है। इसके अतिरिक्त, यह इन्क्यूबेटर्स को सीड सहायता स्कीम के माध्यम से सहायता भी प्रदान करता है और इसने अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए चयनित विदेशी संस्थानों के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श भी किया है।

वित्तीय सहायता का तरीका

टीडीबी द्वारा 31 मार्च, 2015 तक दी गई वित्तीय सहायता के तरीकों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :-

(करोड़ रु. में)

साधन	टीडीबी द्वारा स्वीकृत	टीडीबी द्वारा वितरीत
ऋण	1024.02	856.65
इक्विटी	33.06	**31.79
अनुदान	150.01	126.73
वेन्चरफंड	310.00	213.54
कुल	**1517.09**	**1228.71**

* *31 मार्च, 2015 तक टीडीबी द्वारा वास्तविक रुप से अनुमोदित राशि वित्तीय सहायता की मात्रा में संशोधन, परिसमापन और निरसन के कारण पश्चातवर्ती वर्षों में परिवर्तित हो सकती है।*

** *इसमें मार्च, 2004 में एन आई सी सी ओ को संवितरित 18.46 करोड़ रु. (वर्ष 1999-2000 में 12.46 करोड़ रु. और वर्ष 2001-02 में 06.00 करोड़ रु.) के लोन के ऋण का संचित मोचन योग्य वरीयता शेयरों में परिवर्तन (तथापि ऋण में कमी), मेसर्स फ्रंटियर लाईफलाईन प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई को संवितरित 5.00 करोड़ रु. के लोन के ऋण का संचित मोचन में परिवर्तन एवं 31 मार्च 2015 तक टीडीबी की एक सेक्सन 25 कम्पनी, ग्लोबल इनोवेशन एण्ड टेक्नोलॉजी एलायन्स (जीआईटीए) में 4.33 करोड़ रु. की भागीदारी शामिल है।*

The Government of India constituted the Technology Development Board (TDB) in September 1996, as per the provisions of the Technology Development Board Act, 1995.

The Act enabled the creation of a Fund for Technology Development and Application to be administered by TDB. The Fund receives grants from the Government of India out of the Cess collected by the Government from the industrial concerns under the provisions of the Research and Development Cess Act, 1986, as amended in 1995. Any income from investment of the amount of the Fund and the recoveries made of the amounts granted from the Fund are credited to the Fund. The Finance Act, 1999, enabled full deductions to donations made to the Fund for income tax purposes.

During the period of 1996-97 to 2014-15, a total amount of Rs. 5872.27 crore R&D cess has been collected by the Government. TDB has received a cumulative sum of Rs. 549.17 crore over the period of 19 years as Grant-in-aid from the Non-plan expenditure of Department of Science & Technology.

The mandate of the TDB is to provide financial assistance to the industrial concerns and other agencies attempting development and commercial application of indigenous technology or adapting imported technology for wider domestic application.

The financial assistance from TDB is available in the form of loan or equity and/or in exceptional cases, grant. The loan assistance is provided up to 50 percent of the approved project cost and carries 5 percent simple rate of interest per annum. Royalty is also payable on sales of products under TDB's project during currency of loan. In exceptional cases, TDB may also subscribe by way of equity capital in a company, subject to maximum of 25 percent of the approved project cost. The financial assistance is provided during the commencement, start-up or growth stages of industrial concerns.

TDB accepts applications for financial assistance from all sectors of economy throughout the year. An industrial concern desirous of seeking financial assistance from TDB applies in a prescribed format. A copy of the Project Funding Guidelines including the format of application can be obtained free of cost from TDB or by accessing TDB website (www.tdb.gov.in).

TDB has also participated in Venture Capital Funds for spreading its support to technology oriented projects. Further, it also provides support to incubators through its Seed Support Scheme and has also interacted with select foreign institutions to promote its activities.

Modes of Financial Assistance

The following table indicates the modes of financial assistance provided by TDB till 31st March 2015.

Rs. in Crore

Instrument	Sanctioned by TDB*	Disbursement by TDB
Loan	1024.02	856.65
Equity	33.06	**31.79
Grant	150.01	126.73
Venture Funds	310.00	213.54
Total	**1517.09**	**1228.71**

* *The actual sanctioned amount by TDB as on 31st March 2015 may vary in subsequent years due to revision in the quantum of financial assistance, foreclosure and cancellations.*

** *Includes conversion of loan of Rs. 18.46 crore (Rs. 12.46 crore in 1999-2000 and Rs. 6 crore in 2001-2002) disbursed to NICCO Corporation into Cumulative Redeemable Preference Shares in March 2004 (thereby reducing the loan), conversion of loan of Rs. 5.00 crore disbursed to M/s Frontier Lifeline Pvt. Ltd., Chennai into equity and Rs. 4.33 crore till 31st March, 2015 disbursed towards equity participation of TDB in Global Innovation and Technology Alliance (GITA) a Section 25 company.*

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, टीडीबी द्वारा (1996 में इसके अस्तित्व में आने के बाद से) 6185.50 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत युक्त कुल 316 करारों पर हस्ताक्षर किया है जिसमें से टीडीबी की वचनबद्धता 1517.09 करोड़ रु. की है जिसमें से टीडीबी ने सरकार द्वारा दिए गए फंड और आंतरिक प्राप्तियों में से 1228.71 करोड़ रु. का संवितरण किया है।

टीडीबी ने अब तक अन्य निवेशकों से कुल 2713.00 करोड़ रु. के निधियों तक पहुंच बनाते हुए 310.00 करोड़ रु. की प्रतिबद्धता/भागीदारी के साथ अब तक कुल 12 उद्यम पूंजी निधियों को सहायता प्रदान किया है। टीडीबी ने सीड सहायता स्कीम के अंतर्गत छत्तीस (जिनमें दोबारा सहायता प्राप्त 4 टीबीआइएस/एसटीइपीएस शामिल हैं) इन्क्यूबेटर्स में प्रत्येक को 1 करोड़ की अनुदान सहायता अनुमोदित की है।

सकारात्मक सक्रिय भूमिका

पिछले कुछ समय से टीडीबी ने विभिन्न वैंचर कैपिटल फंड्स के साथ भागीदारी की है ताकि विभिन्न नवीन परियोजनाओं के उत्तोलन निवेश की संभावनाओं का विस्तृत किया जा सके। टीडीबी सीड सहायता स्कीम के माध्यम से इन्क्यूबेटर्स द्वारा आर एंड डी पहलों को सहायता दी है। टीडीबी देश में प्रौद्योगिकी उन्मुख पहलों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए चयनित विदेशी संस्थानों के साथ जुड़ा है।

करारों का क्षेत्रवार कवरेज

टीडीबी की वित्तीय सहायता ने अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर कर लिया है। निम्नलिखित तालिका में टीडीबी द्वारा 1996-97 में इसके गठन से 31 मार्च, 2015 तक क्षेत्रवार स्वीकृत की गई परियोजनाओं को दिखाया गया है:-

इसमें अन्य क्षेत्रे की तुलना में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग क्षेत्रों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। टीडीबी द्वारा दी गई सहायता विस्तृत रुप से नए वेन्चरों और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बाजार संचालित और प्रौद्योगिकी उन्मुखी है।

(करोड़ रु. में)

	सेक्टर	करारों की संख्या	कुल लागत	टीडीबी द्वारा स्वीकृत
1	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	78	1263.22	356.96
2	इंजिनियरिंग	62	599.17	222.90
3	इलेक्ट्रोनिक्स	05	111.56	42.75
4	केमिकल	24	208.00	72.79
5	कृषि	21	141.55	47.40
6	ऊर्जा और अपशिष्ट उपयोगिता	08	132.36	55.98
7	दूरसंचार	12	99.88	37.85
8	रक्षा एवं नागर विमानन	01	8.00	2.20
9	सड़क यातायात	10	527.04	81.20
10	हवाई यातायात	2	142.10	67.80
11	सूचना प्रौद्योगिकी	42	380.79	150.41
12	अन्य			
	❖ वैन्चर फंड	12	2408.00	310.00
	❖ एसटीईपी – टीबीआई	36	36.00	36.00
	❖ सीआईआई	01	0.83	0.50
	❖ मिलेनियम अलायंस (एमए)	01	112.00	25.00
	❖ ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नॉलोजी अलायंस (जीआईटीए)	01	15.00	7.35
	कुल	**316**	**6185.50**	**1517.09**

* (टीडीबी द्वारा बिना राशि जारी वाले 14 रद्द किए गए करारों को शामिल नहीं किया गया है)

As on 31st March 2015, TDB has signed a total of 316 agreements (since its inception in 1996) with a total project cost of Rs. 6185.50 crore involving TDB's commitment of Rs. 1517.09 crore against which TDB has disbursed Rs. 1228.71 crore from the grants provided by the government and through internal accruals.

TDB has so far supported 12 Venture Capital Funds with a commitment/participation of Rs. 310.00 crores leveraging total funds aggregating to Rs. 2713.00 crore from other investors. TDB has approved grant assistance of Rs. 1.00 crore each to the thirty six (which includes two times financial assistance to 4 TBIs/STEPs) Incubators under the Seed Support Scheme.

Healthcare and Engineering sectors have a significant share in comparison to other sectors. The support by TDB is largely market driven and technology oriented in new ventures and also in various industrial sectors.

Financial participation by TDB depends largely on market driven conditions and varies considerably from one sector to another. Healthcare along with the engineering sector have a significant share in its financial assistance.

Proactive Role

In the recent past, TDB has partnered with various Venture Capital Funds to widen its scope with a view to leverage investment in innovative projects. TDB has also supported R&D initiatives by incubators through its Seed Support Scheme. TDB has also associated with select foreign institutions with the aim of providing a platform for developing technology oriented enterprises in the country.

Sector-wise Coverage of Agreements

TDB's financial assistance has covered almost all sectors of the economy. The following table gives sector-wise projects sanctioned by TDB upto 31st March, 2015, since inception in 1996-97.

(Rs. in Crore)

	Sector	Number of Agreements	Total cost	TDB's Commitment
1	Health & Medical	78	1263.22	356.96
2	Engineering	62	599.17	222.90
3	Electronics	05	111.56	42.75
4	Chemical	24	208.00	72.79
5	Agriculture	21	141.55	47.40
6	Energy & Waste Utilization	08	132.36	55.98
7	Telecommunications	12	99.88	37.85
8	Defence and Civil Aviation	01	8.00	2.20
9	Road Transport	10	527.04	81.20
10	Air Transport	2	142.10	67.80
11	Information Technology	42	380.79	150.41
12	Others			
	❖ Venture Funds	12	2408.00	310.00
	❖ STEP-TBI	36	36.00	36.00
	❖ CII	01	0.83	0.50
	❖ Millennium Alliance (MA)	01	112.00	25.00
	❖ Global Innovation & Technology Alliance (GITA)	01	15.00	7.35
	Total	**316**	**6185.50**	**1517.09**

उद्यम पूंजी निधि में भागीदारी

टीडीबी ने 31 मार्च, 2015 तक अन्य निवेशकों से 2408.00 करोड़ रु. की कुल जमा निधियों के साथ 310.00 करोड़ रु. की कुल प्रतिबद्धता / भागीदारी के साथ 12 वेंचर फंड्स नामतः यूटीआई - आईटीवीयूएस, यूटीआई-एआईएफ, एपीआईडीसी, वेंचरईस्ट, जीवीएफएल, आरवीसीएफ, सीआईआईई, एसआईडीबीआई, आईआईएच-एमएसएमई, एसईएएफ, ब्लूम एवं आइवीकैप ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित और बेहतर अनुभव रखने वाले उद्यम पूंजी निधि कम्पनियों के साथ भागीदारी की है। नवोन्मेषी परियोजनाओं में निवेश को बढ़ाने के अपने उद्देश्य के साथ इस निधि का उद्देश्य आईटी/आईटीईएस, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, दूरसंचार, नैनो प्रौद्योगिकी स्वच्छ प्रौद्योगिकी उर्जा और कृषि व्यवसाय आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उन्मुख उद्यमों को सहायता प्रदान करने पर लक्षित है।

एसटीईपी / टीबीआई के लिए सीड सहायता

टीडीबी ने नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी उद्यम विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा उद्यमियों हेतु प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सीड सहायता स्कीम शुरु की है।

वर्ष 1996–2015 के दौरान करारों का राज्यवार वितरण

वर्ष 1996-2015 के दौरान हस्ताक्षर किए गए करारों (कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के आधार पर) का राज्यवार वितरण :-

टीडीबी द्वारा वित्तीय भागीदारी बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करती है और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। इसकी वित्तीय सहायता में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग क्षेत्रे की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है।

(करोड़ रु. में)

सं.	राज्य, केन्द्र शासित	करारों की संख्या	उद्यमों की संख्या	कुल	टीडीबी द्वारा स्वीकृत की गईऋण, अनुदान/इक्विटी
1	आन्ध्रा प्रदेश	82	69	1226.23	418.44
2	चंडीगढ़	04	04	43.75	16.50
3	दिल्ली	19	18	230.80	74.65
4	गुजरात	12	11	123.35	39.12
5	हरियाणा	06	05	44.15	18.00
6	हिमाचल प्रदेश	01	01	6.24	1.90
7	जम्मू एवं कश्मीर	01	01	5.65	2.38
8	कर्नाटक	36	34	475.30	188.64
9	केरल	03	03	19.03	7.15
10	मध्य प्रदेश	06	05	154.23	41.50
11	महाराष्ट्र	38	35	728.87	136.45
12	मणिपुर	01	01	7.94	2.70
13	पांडीचेरी	01	01	5.83	1.90
14	पंजाब	05	05	52.20	14.46
15	राजस्थान	01	01	35.77	3.00
16	तमिलनाडु	34	33	296.97	91.31
17	उत्तर प्रदेश	07	06	52.03	33.88
18	पश्चिम बंगाल	08	06	105.33	46.26
	अन्य सहित				
	क) वेन्चर फंड	12	12	2408.00	310.00
19	ख) एसटीईपी – टीबीआई	36	32	36.00	36.00
	ग) सीआईआई	01	01	0.83	0.50
	घ) मिलेनियम अलायंस (एमए)	01	01	112.00	25.00
	ङ) ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलोजी अलायंस (जीआईटीए)	01	01	15.00	7.35
	कुल योग	**316**	**286**	**6185.50**	**1517.09**

Participation in Venture Capital Funds

As on 31st March, 2015, TDB has participated in 12 Venture Funds, with reputed and well experienced Venture Capital Fund companies mainly UTI-ITVUS, UTI-AIF, APIDC, Ventureast, GVFL, RCVF, CIIE, SIDBI, IIH MSME, SEAF, Blume and IvyCap group with a total commitment/participation of Rs. 310.00 crore leveraging total funds aggregating to Rs. 2408.00 crore from other investors. These funds are targeted to support technology oriented ventures in various sectors such as IT / ITES,

State-wise Distribution of Agreements 1996-2015

The State-wise distribution (based on registered office of the company) of agreements signed during the years 1996-2015 is given below:

(Rs. in Crore)

Sl No.	State, Union Territory	Number of Agreements	Number of Enterprises	Total cost	Loan/Grant / Equity Sanctioned by TDB
1	Andhra Pradesh	82	69	1226.23	418.44
2	Chandigarh	04	04	43.75	16.50
3	Delhi	19	18	230.80	74.65
4	Gujarat	12	11	123.35	39.12
5	Haryana	06	05	44.15	18.00
6	Himachal Pradesh	01	01	6.24	1.90
7	Jammu & Kashmir	01	01	5.65	2.38
8	Karnataka	36	34	475.30	188.64
9	Kerala	03	03	19.03	7.15
10	Madhya Pradesh	06	05	154.23	41.50
11	Maharashtra	38	35	728.87	136.45
12	Manipur	01	01	7.94	2.70
13	Pondicherry	01	01	5.83	1.90
14	Punjab	05	05	52.20	14.46
15	Rajasthan	01	01	35.77	3.00
16	Tamil Nadu	34	33	296.97	91.31
17	Uttar Pradesh	07	06	52.03	33.88
18	West Bengal	08	06	105.33	46.26
	Others - Including				
	Venture Funds	12	12	2408.00	310.00
	STEP-TBIs	36	32	36.00	36.00
19	CII	01	01	0.83	0.50
	Millennium Alliance (MA)	01	01	112.00	25.00
	Global Innovation & Technology Alliance (GITA)	01	01	15.00	7.35
	Grand Total	**316**	**286**	**6185.50**	**1517.09**

* (Excludes 14 agreements, which were cancelled by TDB without any release)

टीडीबी इस बात को मान्यता देता है कि इन्क्यूबेशन स्तर पर प्रौद्योगिकीय नवोन्मो और विकास अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है जिसके फलस्वरुप प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण होता है। विगत वर्षों में इन्क्यूबेटर्स में शुरुआतकर्ताओं के लिए सीड सहायता में भागीदारी करने का निर्णय लेकर टीडीबी ने एक संवृद्धि-उन्मुखी पहल की है।

वर्ष 2005-06 के दौरान प्रौद्योगिकीय विचारों का संवर्धन करने के लिए इन्क्यूबेटर्स में शुरुआतकर्ताओं के लिए सीड सहायता प्रणाली के अन्तर्गत टीडीबी ने पांच प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स (टी बी आई एस) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्कों (एस टी ई पी एस) को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस स्कीम ने अच्छी प्रगति की है। टीडीबी ने इस स्कीम का विस्तार किया और 2007-08 में दूसरे चरण में 100.00 लाख रु. प्रत्येक सहित अन्य 5 (पांच) इन्क्यूबेटर्स, 2009-10 में तीसरे चरण में 100.00 लाख रु. प्रत्येक सहित 5 (पांच) इन्क्यूबेटर्स, 2010-11 में चौथे चरण में 100.00 लाख रु. प्रत्येक सहित 9 (नौ) एवं 2011-12 में पांचवे चरण में 100.00 लाख रु. प्रत्येक के साथ 12 (बारह) इन्क्यूबेटर्स को सहायता प्रदान की है।

31 मार्च, 2015 तक टीडीबी ने 36 (जिनमें दोबारा वित्तीय सहायता प्राप्त 4 टीबीआईएस /एसटीईपीएस शामिल है) टीबीआईएस/एसटीईपीएस को सहायता प्रदान की है। इन इन्क्यूबेटर्स ने बहुत सी इन्क्यूबेटीज कम्पनियों को उनकी दूरसंचार, सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स, कृषि, यंत्रीकरण, इंजीनियरिंग, पर्यावरण, फार्मा, खाद्य, सौर, वस्त्र एवं जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है।

विदेशी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन

संयुक्त प्रौद्योगिकी सहयोग / हस्तांतरण परियोजनाओं को प्रोत्साहित, सहायित एवं वित्त पोषित करने तथा आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, औद्योगिकी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और नवोन्मो के द्वारा एसएमई संवृद्धि को सहायता प्रदान करने के लिए टीडीबी ने चुनिंदा विदेशी संस्थानों नामत: एजेंस नेशनले डी वेलोराइजेशन डी ला रेकरेक (एएनवीएआर), फ्रांस, सेंटर फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ इन्डस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी (सीडीटीआई), स्पेन और कॉमनवेल्थ बिजनेस काउंसिल (सीबीसी), यू. के. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके द्विपक्षीय सहयोग को जारी रखा।

रोजगार के अवसर

टीडीबी ने नए उद्यमों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा मौजूदा उद्यमों द्वारा नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से रोजगार के नए अवसर का सृजन करके मूल्यवर्धन किया है।

प्रौद्योगिकी दिवस एवं राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण

11 मई, 2014 को नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी दिवस समारोह-2014 मनाया गया । प्रौद्योगिकी दिवस व्याख्यान प्रो. अशोक झुनझुनवाला आई आई टी, मद्रास द्वारा दिया गया।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के कारण, टीडीबी ने वर्ष 2014 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार एवं एसएसआई इकाई पुरस्कार प्रस्तावों के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया।

बोर्ड के सदस्य

प्रो. आशुतोष शर्मा ने 9 जनवरी, 2015 से सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार डॉ. के. विजयराघवन के स्थान पर संभाला और श्री एल. सी. गोयल ने 1 अक्टूबर, 2013 से 5 फरवरी, 2015 तक सचिव, ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार, श्री एस. विजय कुमार के स्थान पर संभाला जो कि 30 सितम्बर, 2013 को सेवानिवृत हो गए एवं श्री जे.के. मोहापात्र ने 2 मार्च, 2015 से सचिव, ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार श्री एल. सी. गोयल के स्थान पर संभाला।

आभार

बोर्ड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का, टीडीबी के लिए उनके अधिकारियों की सेवाएं प्रदान करने के लिए अपना आभार प्रकट करता है।

ह./-

(प्रो. आशुतोष शर्मा)
अध्यक्ष
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:

Biotechnology, Health, Telecommunications, Nano-technology, Cleantech Energy and Agribusiness etc. to widen its scope with a view to leverage investment in innovative projects.

Seed Support for STEP/TBIs

TDB has instituted the Seed Support Scheme to provide early stage financial assistance to young entrepreneurs for innovative technology venture ideas to fruition. TDB recognizes that technological innovation and development at incubation stage are critical components resulting in the commercialization of technology. TDB has taken a growth-oriented initiative by deciding to participate in the Seed Support Scheme for Start-ups in Incubators in previous years.

TDB provided financial assistance to five Technology Business Incubators (TBIs) and Science & Technology Entrepreneurs Parks (STEPs) under Seed Support System for Start-ups in Incubators to incubate technological ideas during 2005-06. This scheme has progressed well. TDB extended the scheme and supported another five incubators for Rs. 100.00 lakh each in the second round in 2007-08, five incubators for Rs. 100.00 lakh each in the third round in the year 2009-10, nine incubators for Rs. 100.00 lakh each in the fourth round in the year 2010-11 and twelve incubators for Rs. 100.00 lakh each in the fifth round in 2011-12.

Till 31st March, 2015, TDB has supported thirty six (which includes two times financial assistance to four TBIs/STEPs) TBIs and STEPs. These Incubators have provided assistance to several Incubatee companies for their projects which are in the areas of telecom, software, robotics, agriculture, instrumentation, engineering, environment, pharma, food, solar, textile and biotechnology etc.

MoUs with Foreign Institutions

TDB has continued its bilateral cooperations with foreign countries by signing MoUs with selected foreign institutions, namely, AgenceNationale De Valorisation de la Recherche (ANVAR), France, Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI), Spain and Commonwealth Business Council (CBC), UK to promote, assist and fund the development of joint technology cooperation / transfer projects and for supporting SME growth via technology transfer, industrial research, technology development and innovation for the purpose of generating economic benefits.

Job Opportunity

TDB has added value by creating new job opportunities through implementation of projects by new enterprises as well as through new projects implemented by ongoing enterprises.

Technology Day and Presentation of National Awards

The Technology Day Function 2014 was celebrated on 11th May 2014 at DST in New Delhi. The Technology Day Lecture was delivered by Prof. Ashok Jhunjhunwala from IIT Madras.

In view of guidelines from the Election Commission of India, the Board did not issue the call for proposal for the National Award and SSI Unit awards for the year 2014.

Board Members

Prof. Ashutosh Sharma has taken charge as Secretary, Department of Science & Technology w.e.f. 9th January, 2015 in place of Dr. K. VijayRaghvan, Secretary, Department of Bio-Technology, and Shri L. C. Goyal has taken charge as Secretary, Department of Rural Development w.e.f. 1st October, 2013 in place of Shri S. Vijay Kumar who superannuated on 30th September, 2013 and continued till 5th February, 2015 and Shri J. K. Mohapatra has taken charge as Secretary, Department of Rural Development w.e.f. 2nd March, 2015 in place of Shri L.C. Goyal.

Acknowledgement

The Board is grateful to the Department of Science and Technology for sparing the services of their officers for TDB.

Place: New Delhi
Date:

-sd-
(Prof. Ashutosh Sharma)
Chairperson
Technology Development Board

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की संरचना

(31 मार्च, 2015)

प्रो. आशुतोष शर्मा सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	पदेन अध्यक्ष
डा. के. विजयराघवन सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग **(अतिरिक्त प्रभार)**	पदेन सदस्य
श्री अविनाश चन्द्र सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग	पदेन सदस्य
श्री रतन पी. वतल सचिव, व्यय विभाग	पदेन सदस्य
श्री अमिताभ कान्त सचिव, औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन विभाग	पदेन सदस्य
श्री एल. सी. गोयल सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	पदेन सदस्य
रिक्त	सदस्य
रिक्त	सदस्य
रिक्त	सदस्य
रिक्त	सदस्य
डा. इन्द्रजीत सिंह सचिव, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड	पदेन अध्यक्ष सदस्य सचिव,

Composition Of The Technology Development Board

(As on 31st March, 2015)

Prof. Ashutosh Sharma Secretary, Department of Science & Technology	ex-officio Chairperson
Dr. K. VijayRaghavan Secretary, Department of Scientific & Industrial Research **(Additional Charge)**	ex-officio Member
Dr. Avinash Chander Secretary, Department of Defence Research & Development	ex-officio Member
Shri Ratan P. Watal Secretary, Department of Expenditure	ex-officio Member
Shri Amitabh Kant Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion	ex-officio Member
Shri L.C. Goyal Secretary, Department of Rural Development	ex-officio Member
Vacant	Member
Vacant	Member
Vacant	Member
Vacant	Member
Dr. Inderjeet Singh Secretary, Technology Development Board	ex-officio Member (Member Secretary)

बोर्ड के सदस्यों के चित्र

(31 मार्च, 2015)

प्रो. आशुतोष शर्मा
अध्यक्ष एवं सचिव
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

डा. के. विजयराघवन

श्री रतन पी. वतल

श्री अमिताभ कान्त

श्री एल. सी. गोयल

श्री अविनाश चन्द्र

डा. इन्द्रजीत सिंह

Photographs of the Board Members

(As on 31st March, 2015)

Prof. Ashutosh Sharma
Chairperson and Secretary
Department of Science & Technology

Dr. K. VijayRaghavan

Shri Ratan P. Watal

Shri Amitabh Kant

Shri L. C. Goyal

Dr. Avinash Chander

Dr. Inderjeet Singh

प्रस्तावना | Introduction

व्यापक घरेलू अनुप्रयोग के लिए विकास को प्रोन्नत करने और सभी स्वदेशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण तथा आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए भारत सरकार ने सितम्बर, 1996 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) का गठन किया।

टीडीबी, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 के तहत सृजित प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए कोष को शासित करता है। कोष भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करता है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम भी टीडीबी को किसी अन्य स्त्रोत से टीडीबी द्वारा प्राप्त सभी धनराशियों को कोष के खाते में डालते हुए कोष के प्रदान धनराशियों से की गयी वसूलियों और कोष की धनराशि के निवेश से किसी आय द्वारा निधि बनाने का अधिकार देता है। वित्त अधिनियम, 1999 आयकर के प्रयोजनार्थ कोष के लिए दिये गये दानों हेतु पूर्ण कटौतियों का अधिकार देता है।

भारत सरकार टीडीबी को अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 (1995 में यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत औद्योगिक कंपनियों से किये गये उपकर समाहरणों में से निधियां मुहैया कराती है। वर्ष 1996-97 से 2014-15 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा 5872.27 करोड़ रु. का अनुसंधान एवं विकास उपकर एकत्रित किया गया। इसमें से, टीडीबी ने 19 वर्ष के भीतर 549.17 करोड़ रु. की संचयी राशि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के गैर-योजना व्यय में से अनुदान सहायता के रूप में उपलब्ध कराया गया।

टीडीबी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पूरे वर्ष आवेदन प्राप्त करता रहता है। टीडीबी को औद्योगिक कंपनियों के लिए ऋण सहायता मुहैया कराने का अधिदेश प्राप्त है। ऋण के लिए 5 प्रतिशत प्रति वर्ष का साधारण ब्याज होता है (13 मई, 2002 से प्रभावी)। ऋण अवधि के दौरान टीडीबी की परियोजनाओं के तहत उत्पादन की बिक्री होने पर रॉयल्टी का भी भुगतान करना होता है। टीडीबी आवेदकों से प्रशासनिक, संसाधन अथवा वचनबद्धता प्रभार वसूल नहीं करता। टीडीबी किश्तों में धनराशि मुहैया कराती है जो ऋण करार की शर्तों और निबन्धनों के अनुसार सम्बद्ध मानकों से जुड़े होते है। कुछ मामलों में टीडीबी सहायता प्रदत्त औद्योगिक कंपनियों के निदेशक बोर्ड में निदेशक (को) को नामित कर सकता है। किसी परियोजना की कार्यान्वयन अवधि साधारणतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होती है।

ऋण की मात्रा सामान्यत: स्वीकृत परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित है। ऋण और ब्याज को ऋणाधारों और गारंटियों के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है।

सामान्यत: ऋण वापसी और ब्याज भुगतान परियोजना पूरी होने के पश्चात आरंभ होता है और अधिस्थगन काल एक वर्ष से अधिक नहीं होता। तत्पश्चात् ऋण धनराशि नौ अर्धवार्षिक किश्तों में वसूलीयोग्य होती है। पहली किश्त के पुन: भुगतान (वापसी) तक ही संचयी ब्याज की धनराशि को तीन वर्ष की अवधि में बांट दिया जाना चाहिए।

टीडीबी स्वदेशी रुप से प्रौद्योगिकी को विकसित करने में शामिल औद्योगिक कंपनियों और आर एण्ड डी संस्थानों को अनुदानों और / अथवा ऋण के रुप में भी वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। अनुदानों की स्वीकृति का निर्णय टीडीबी बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे विशेष मामलों में ही मुहैया किया जाता है। प्राप्तकर्ताओं को इनके द्वारा प्राप्त रॉयल्टी में से टीडीबी को (अनुदान के समतुल्य) अथवा सहभागी एजेंसियों द्वारा किये गये निवेशों के लाभांश में से आनुपातिक रुप से टीडीबी को भुगतान करना अपेक्षित होता है।

टीडीबी किसी औद्योगिक कंपनी (कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन) में इसके आरंभ होने, चलाने और / अथवा टीडीबी द्वारा अपेक्षाओं के यथा मूल्यांकित किये गये जरुरतों अनुसार और संवृद्धि स्तरों पर ऋण - इक्विटी अनुपात को ध्यान में रखते हुए इक्विटी पूंजी के रुप में अंशदान कर सकता है।

इक्विटी अंशदान टीडीबी के पूरे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक होता है बशर्ते यह प्रोत्साहकों द्वारा चुकता पूंजी से अधिक न हो। औद्योगिक कंपनी को टीडीबी द्वारा अंशदान की धनराशि के समतुल्य अपने शेयर प्रमाण पत्र टीडीबी को जारी करने होंगे। अंशदान पूर्व स्थितियों में यह शामिल होगा कि प्रोत्साहकों का अंशदान होना चाहिए और अपने हिस्से की शेयर पूंजी को पूर्ण रुप से चुकता किया जाना चाहिए। प्रोत्साहकों को टीडीबी के अंशदान के बराबर अपने शेयर टीडीबी को गिरवी रखना चाहिए। टीडीबी को ऐसी कंपनियों के निदेशक मंडल में नामित निदेशक (को) को रखने का अधिकार है। टीडीबी का यह विवेकाधिकार है कि वह (इक्विटी पूंजी) विनियमनों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परियोजना पूरी हो जाने के तीन वर्षों के पश्चात् अथवा अंशदान की तिथि से पांच वर्षों के पश्चात् कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंगस को समाप्त कर सकती है। तथापि, शेयरों को वापस खरीदने का पहला विकल्प संस्थापकों के पास होगा।

टीडीबी औद्योगिक कंपनियों के विद्यमान ऋण अथवा इक्विटी के प्रतिस्थापन पर विचार नहीं करता जिन्होंने इस प्रकार का ऋण अन्य संस्थानों से लिया है।

वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड के गठन की प्रक्रिया के कारण बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई।

प्रौद्योगिकी दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने औद्योगिक संगठनों के लिए 'स्वदेशी

To promote development and commercialization of indigenous technology and adaptation of imported technology for wider domestic applications, the Government of India constituted the Technology Development Board (TDB) in September 1996.

TDB administers the Fund for Technology Development and Application, created under the Technology Development Board Act, 1995. The Fund has been receiving grants from the Government of India. The Technology Development Board Act also enables TDB to build up Fund by crediting all sums received by TDB from any other source, recoveries made of the amounts granted from the Fund, and any income from investment of the amount of the Fund. The Finance Act, 1999, enabled full deductions to donations to the Fund for income tax purposes.

The Government of India provides funds to TDB out of the Cess collections made from the industrial concerns under the provisions of the Research and Development Cess Act, 1986 (as amended in 1995). During the period of 1996-97 to 2014-15, a total amount of Rs. 5872.27 crore R&D cess has been collected by the Government. TDB has received a cumulative sum of Rs. 549.17 crore over the period of 19 years as Grant-in-aid from Non-plan expenditure of Department of Science & Technology.

TDB receives applications seeking financial assistance throughout the year. The TDB mandate provides for loan assistance to the industrial concerns. The loan carries a simple interest of five percent per annum (w.e.f. 13th May 2002). Royalty would also be payable on sale of products under TDB project during the concurrency of loan. TDB does not collect administrative, processing or commitment charges from the applicants. TDB provides the loan amount in installments that are linked to implementation of associated milestones in accordance with the terms and conditions of the loan agreement. In some cases, TDB may have nominee director(s) on the Board of Directors of the assisted industrial concern. The implementation period of a project should generally not exceed three years.

The quantum of loan is, normally, limited upto 50 percent of the approved project cost for the expenditure to be incurred for completion of project. The loan and interest is secured through collateral and guarantees.

Normally, the repayment of the loan and payment of interest commences after the project is completed and moratorium period not exceeding one year. The loan amount is generally recoverable in nine, half yearly installments thereafter. The accumulated interest up to the repayment of the first installment may be distributed over a period of three years.

TDB also provides financial assistance by way of grants and/or loans to industrial concerns and R&D institutions engaged in developing indigenous technologies. The sanction of grants is decided by the Board of TDB and is provided in exceptional cases having importance towards fulfilling national interest. The recipient may be required to pay TDB (equivalent to grant) royalty received by it or share the profit with TDB proportionate to the investments made by participating agencies.

TDB may subscribe by way of equity capital in an industrial concern (incorporated under the Companies Act, 1956), on its commencement, start-up and/or growth stages according to the requirements as assessed by TDB and keeping in view the debt-equity ratio.

The equity subscription is decided by the full Board of TDB. It is up to 25 percent of the approved project cost, provided such investment does not exceed the capital paid-up by the promoters. The industrial concern is to issue, at par, its share certificates to TDB equivalent to the amount subscribed by TDB. The pre-subscription conditions include that the promoters should have subscribed and fully paid up their portion of the share capital. The promoters shall pledge their shares to TDB of a value equal to the equity subscription by TDB. TDB has a right to have nominee director(s) on the Board of Directors of such companies. TDB, in its discretion, may divest its shareholdings in the company after three years of completion of the project or after five years from the date of subscription in accordance with the procedure prescribed in the TDB (equity capital) Regulations. However, the first option to buy back the shares is given to the promoters.

प्रौद्योगिकी के सफल वाणिज्यीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' को शुरु किया है। इस पुरस्कार के दो घटक हैं: (1) उन औद्योगिक संगठनों के लिए जिन्होंने स्वदेशी प्रौद्योगिकी का सफल वाणिज्यीकरण किया है और (2) इन प्रौद्योगिकी के विकासकर्ताओं / प्रदाताओं के लिए। इसके प्रत्येक घटक में दस लाख रु.का नकद पुरस्कार और एक ट्राफी प्रदान की जाती है। पहली बार यह राष्ट्रीय पुरस्कार 11 मई, 1999 को प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए थे।

एस एस आई इकाई के लिए पुरस्कार

अगस्त, 2000 में टीडीबी ने प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद को सफलतापूर्वक वाणिज्यीकृत करने वाली लघु उद्योग इकाई (एस एस आई यूनिट) के लिए एक ट्राफी और 2 लाख रु. (वर्ष 2011 में 5 लाख रु. में परिवर्तित) के नकद पुरस्कार को शुरु किया था। प्रथम एस एस आई यूनिट पुरस्कार 11 मई, 2001 को प्रदान किया गया।

प्रौद्योगिकी दिवस और राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण

11 मई, 2014 को प्रौद्योगिकी दिवस समारोह-2014 डीएसटी, नई दिल्ली में मनाया गया । प्रौद्योगिकी दिवस व्याख्यान प्रो. अशोक झुनझुनवाला आईआईटी, मद्रास द्वारा दिया गया।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के कारण, टीडीबी ने वर्ष 2014 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार एवं एसएसआई इकाई पुरस्कार प्रस्तावों के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया।

TDB does not consider substituting the existing loan or equity of the industrial concerns which have obtained such finances from other institutions.

During the year 2014-15, no meeting of the Board could be held as constitution of the Board is in process.

National Awards on Technology Day

The Technology Development Board instituted a 'National Award for Successful Commercialization of Indigenous Technology' by an industrial concern. The National Award consists of two components: (i) to the industrial concern that has successfully commercialized the indigenous technology and (ii) to the developer/provider of such technology. Each component carries a cash award of Rs. 10 lakhs and a trophy. The National Award was given for the first time on the occasion of the Technology Day on 11th May 1999.

Award for SSI unit

In August 2000, TDB introduced a cash award of Rs. 2 lakh (Revised to Rs. 5 lakh in the year 2011) and a trophy to a SSI unit that has successfully commercialized a technology-based product. The first SSI award was given on 11th May, 2001.

Technology Day and Presentation of National Awards

Technology Day was celebrated on 11th May, 2014 in DST, New Delhi. The Technology Day Lecture was delivered by Prof. Ashok Jhunjhunwala from IIT Madras.

In view of guidelines from the Election Commission of India, the Board did not issue the call for Applications for the National Award and SSI Unit Awards for the year 2014.

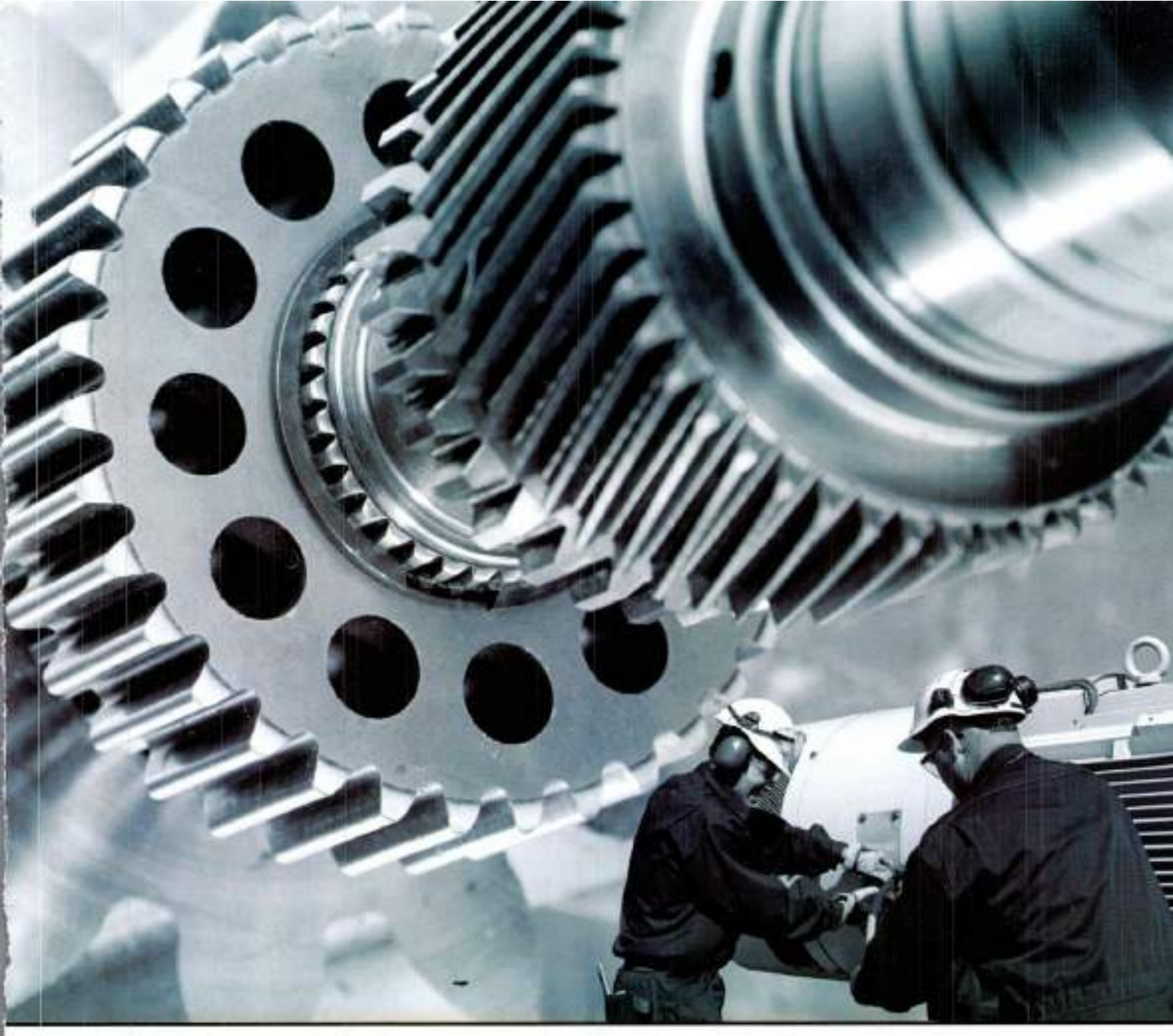

परियोजनाएं और उत्पाद
Projects and Products

स्वीकृतियां / करार

वर्ष 2014-15 के दौरान, टीडीबी के पर्याप्त विस्तार तथा नए कार्यक्रमों-कार्यकलापों का अन्वेषण किया गया है। वर्ष के दौरान काफी समेकन कार्यकलाप किए गए है।

संवितरण

वर्ष के दौरान, चालू, नई परियोजना और स्कीमों के लिए 10.29 करोड़ रू की राशि वितरित की गई है। इसमें 5.63 करोड़ रू का ऋण और निवेश के लिए 4.66 करोड़ रू के वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) शामिल है।

वर्ष 2014-15 के दौरान जारी उत्पाद/पूर्ण परियोजनाएं

टीडीबी की वित्तीय सहायता से वर्ष के दौरान जारी उत्पादों/ पूर्ण परियोजनाओं का संक्षिप्त सार निम्नलिखित है:-

एल्यूमिनियम आयन वेपर डिपाजिटेड कोटिड एयरोस्पेस फास्टनर्स

मेसर्स अंकित फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलोर ने कंपनी द्वारा घरेलू रूप से विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर 'एल्यूमिनियम आयन वेपर डिपाजिटेड कोटिड एयरोस्पेस फास्टनर्स' शीर्षक से परियोजना कार्यान्वित की है।

कंपनी ईंजन और फ्रेमों में उपयोग के लिए एयरोस्पेस सेगमेंट हेतु स्टेनलैस स्टील, टाइटेनियम, इनकोनल, उच्च निष्पादन निकेल और कोबाल्ट आधारित एलाय फास्टनर्स के विभिन्न प्रकार जो उच्चतम तापमानों और घुरण गति के अध्यधीन होता है निर्माण की अपनी अनन्य प्रकिया का कार्यान्यन और वाणिज्यीकरण किया है। अंकित के फास्टर्स उच्च शक्ति और कम वजन सोपानों के लिए डिजाइन किए गए है इन उत्पादों हेतु एड्रेसेबल जेपटिव मार्केट रखता है।

कंपनी ने आयन वेपर डिपोजिशन (आई वी डी) प्रकियाओं का स्वदेशीकरण किया है। अंकित के एल्यूमिनियम आयन वेपर डिपोजिशन (ए आई वी डी) प्रक्रिया खतरनाक अपशिष्ट पैदा नहीं करता। न तथ्यों के आधार पर ए आई वी डी के साथ कैडमियम इलैक्ट्रोप्लेटिंग को बदलने से प्लेटिंग संचालनों के दौरान सृजित खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा महत्वपूर्ण रूप से कम होगी।

बोर्ड ने 1297.00 लाख रू की कुल परियोजना लागत में से 18 अप्रैल, 2013 को हस्ताक्षरित करार के अंतर्गत 500.00 लाख रू की ऋण सहायता को मंजूरी दी। यह परियोजना कुल 1303.73 की कुल लागत तथा 450.00 लाख रू की टीडीबी सहायता से 30 जून, 2014 तक पूरी हो गई।

मल्टी-स्केल मॉडलिंग प्लेटफार्म

मैसर्स ट्राइडायगोनल सोल्यूशन प्रा.लि., पुणे ने मल्टी जोनल मॉडलिंग प्लेटफार्म (एम जेड एम) विकसित किया, यह अत्याधुनिक मल्टी स्केल मॉडलिंग पर्यावरण, इंटीग्रेटिंग सीएफडी और एकीकृत पर्यावरण में मल्टी जोन मॉडलिंग है। प्लेटफार्म में अनेक घटक उपलब्ध है। इसमें शामिल है :- मैस के सृजन हेतु स्नीपीहेक्समैस, परिष्कृत सी एफ डी सोल्वर, इंटीग्रेटिड सी एफ डी और एम जेड एम उपकरणों के लिए कपलिंग और पोस्ट प्रसंस्करण। ओपन फोरम प्राथमिक सी एफ डी प्लेटफार्म हो सकता है जबकि कंटेरा का मॉडलिंग रसायन प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। पाइथन उत्पाद एकीकरण के लिए उपयोग होता है। नम्पी और स्कीपी हैण्डल्स कोर न्यूमरिक्स : प्राथमिक ग्राफिक्स ईंजन के रूप में वीटीके को सहायता करता है।

कंपनी ने एक साथ सभी घटकों के एकीकरण के लिए एकीकृत मल्टी जोनल प्लेटफार्म को विकसित किया है। यह बहुत ही सहज, उपयोग अनुकूल और एडवांस्ड जी यू आई इंटरफेस और ग्राफिक ईंजन की पेशकश करता है। संपूर्ण प्लेटफार्म को माडयुलर बनाने हेतु डिजाइन किया गया है जिसमें विभिन्न घटकों को वाणिज्यिक / खुला स्त्रोत अथवा किसी वैकल्पिक थर्ड पार्टी उपायों के साथ आसानी से स्वैप किया जा सकता है।

इस कार्यढांचे के भाग के रूप में ट्रायडायगोनल को सी एफ डी सोल्वर के आधार पर बहुत ही अत्याधुनिक ओपन फोम के रूप में विकसित किया गया है जो भौतिकी की वृहत् श्रेणी का समर्थन करती है। यह सक्षम प्रसंस्करण/मेशिंग माड्यूल और एक शक्तिशाली उत्तर प्रसंस्करण माड्यूल द्वारा उचित रूप से समर्थित है। इसी दौरान, हमारे जी यू आई इंटरफेस को बहुत ही उपयोगानुकूल और किसी भी अन्य आधुनिक वाणिज्यीकरण सीएफडी टूल के तुलनीय विशेषता युक्त प्लेटफार्म में विकसित किया गया है। कार्यढांचे के विभिन्न घटक निम्नलिखित है :- सम्पूर्ण एम जेड एम कार्यढांचा; कस्टमाइजड् ओपनफोम सोल्वर; स्नेप्पीहेक्स मेश जेनरेटर; पोस्ट प्रोसेसर; रिएक्शन कायनेटिक्स और थर्मोडाक्नामिक्स डाटा आधार और ओ डी ई सोल्वर लाइक कंटेरा।

एम जेड एम प्लेटफार्म के कुछ पहलू जो इसे महत्वपूर्ण बनाते है, इस प्रकार है:- 1) आधुनिक यूजर इंटरफेस के साथ क्रास प्लेटफार्म प्रौद्योगिकी का उपयोग (2) उच्च निष्पादन परिकलन और जॉब सबिशन को समर्थन (3) विण्डो/लाइनेक्स से कार्य प्रस्तुत करने के लिए क्लाईंट सर्वर को समर्थन (4) उच्च परिष्कृत सी एफ डी सोल्वर पर्यावरण (5) लागत अनुकूल उपयोग हेतु ओपन स्पेर्स प्रौद्योगिकी का उपयोग (6) थर्ड पार्टी सोल्वर्स के एकीकरण हेतु खुलापन (7) इन-हाउस परामर्शों से बेहतर सहायता।

Sanctions / Agreements concluded

During the year 2014-15, TDB has been in the expansion mode and exploring newer programs / activities. A lot of consolidation of activities have been done during the year.

Disbursements

During the year, an amount of Rs. 10.29 crore has been disbursed towards on-going and new projects and schemes. This included Rs. 5.63 crore as loan and Rs. 4.66 crore to Venture Capital Fund (VCF) for investment.

Products Released / Projects Completed During 2014-15

The brief profile of products released / projects completed during the year with the financial assistance from TDB is given below:

Aluminum Ion Vapour Deposited Coated Aerospace Fasteners

M/s Ankit Fasteners Private Limited (AFPL), Bangalore has implemented the project entitled 'Aluminum Ion Vapour Deposited Coated Aerospace Fasteners' based on technology developed in-house by the company.

The Company had implemented & commercialized their unique process to manufacture varied types of Stainless Steel, Titanium, Inconel, high performance Nickel and Cobalt base alloys fasteners for the aerospace segment for use in engines and frames that are subject to extreme temperatures and rotational speeds. Ankit's Fasteners are designed for high strength and light weight assemblies and have an addressable captive market for these products.

The Company has indigenized an Ion Vapour Deposition (IVD) process. Ankit's Aluminum Ion Vapour Deposition (AIVD) process does not generate hazardous waste. Based on these facts, replacing cadmium electroplating with AIVD would significantly reduce the volume of hazardous waste generated during plating operations

Board sanctioned a loan assistance of Rs. 500 lakh under an agreement signed on 18th April 2013 out of a total project cost of Rs. 1297 lakh. The project was completed by 30th June 2014 at a total cost of Rs. 1303.73 and TDB assistance of Rs. 450 lakh.

Multi-scale modeling platform

M/s Tridiagonal Solutions Pvt. Ltd., Pune has developed the Multi Zonal Modeling (MZM) Platform. It is state of the art multi scale modeling environment, integrating CFD and Multi Zone Modeling in a unified environment. Several components are available within the platform. These include: SnappyHex Mesh for generation of mesh, Customized CFD solver, coupling to integrate CFD and MZM tools and post processing. OpenFOAM happens to be the primary CFD platform whereas Cantera is used for modeling chemical reactions. Python is used for product integration. Numpy & Scipy handles core numerics; VTK serves as primary graphics engine.

The company has developed the unified Multi Zonal platform integrating all the different components together. It offers very intuitive, user friendly and advanced GUI Interface and Graphics engine. The whole platform has been designed to be modular where various components can be easily swapped with commercial/ open source or any alternative third party tools.

As part of this framework Tridiagonal has developed the most advanced OpenFOAM based CFD solver which supports wide range of physics. This is well supported by an able preprocessing/ meshing module and a powerful post processing module. At the same time, our GUI interface has developed into very user friendly and feature rich platform comparable to any other modern commercial CFD tool. The different components of the framework are: Overall MZM Framework; Customized OpenFOAM solver; SnappyHex Mesh Generator; Post processor; Reaction Kinetics and Thermodynamics database and ODE solver like Cantera.

Some aspects of MZM platform that make it unique are 1) Use of Cross platform technology with modern user interface; 2) Support for high performance computing and Job submission; 3) Client Server support to submit job from Windows/Linux; 4) Highly customized CFD solver environment; 5) Use of open source technology for cost effective usage; 6) Openness to integrate third party solvers; 7) Excellent support from in-house consultants.

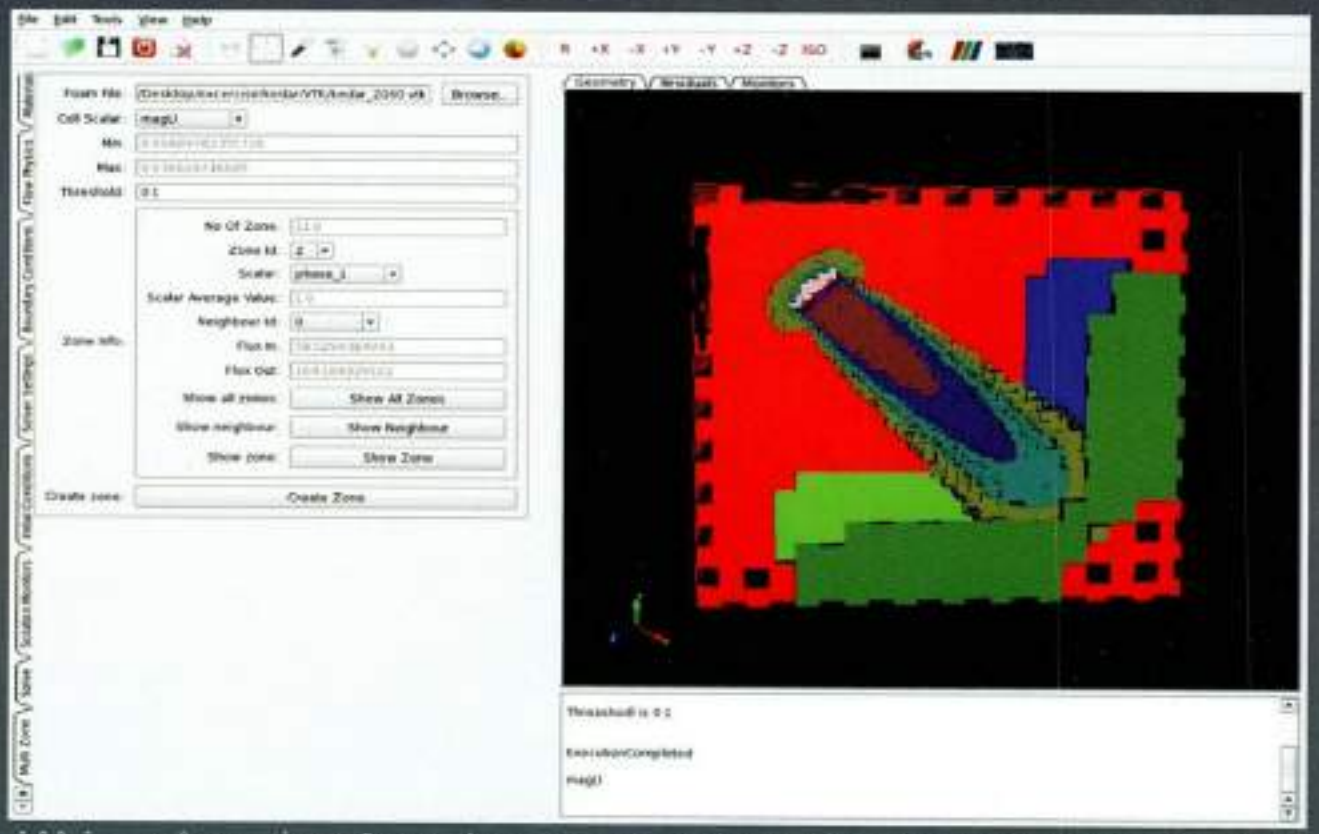

टीडीबी ने 7 फरवरी, 2012 को हस्ताक्षरित करार के तहत 778.60 लाख रु की कुल परियोजना लागत में से 225.00 लाख रु की ऋण सहायता को मंजूरी दी है। परियोजना 31 मई, 2014 को पूरी हो गई।

डिवाइस ड्राइवर संश्लेषण और एंबोडिड सिस्टम मार्केट के लिए सिस्टम लेवर वैधीकरण उपकरण

मैसर्स वायव्या लैब्स प्रा. लि. कर्नाटक ने डिवाइस ड्राइवर संश्लेषण और एंबोडिड सिस्टम मार्केट के लिए सिस्टम लेवर वैधीकरण उपकरण के वाणिज्यीकरण" के लिए परियोजना कार्यान्वित की है। वायव्या लैब्स अपने उपकरण सूट 'वी टूल्स' के वाणिज्यीकरण की परिकल्पना करती है जो फ्लैगशिप उत्पादन डी डी जेन का पूर्ण ई एस एल डिजाइन प्लेटफार्म में विस्तार है जिसमें अनेक उपकरण निहित है जो सिस्टम डिजाइन और विकास के दौरान किए गए बहु कार्यों (डिवाइस ड्राइवर साफ्टवेयर सृजन के अतिरिक्त) का स्वचालन करता है।

डीडीजेन के रूप में विकसित प्रौद्योगिकी को मैसर्स वायव्या द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है जो कि एक बहुत ही नवोन्मेष समाधान है और इसे उपयोग के लिए ई डी ए उपकरण विक्रेताओं और इलेक्ट्रानिक उद्योग की मदद करेगा तथा उत्पादकता में इसे बढ़ोतरी होगी। यह साफ्टवेयर प्रेरित सत्यापन चिप लेवल सत्यापन के लिए डी डी जेन प्रौद्योगिकी का स्तरोन्नयन करता है तथा साफ्टवेयर प्रेरित इनसाइड-आउट-सत्यापन यू वी एम काम्पलियंट, पासिस टी बी एण्ड एस वी काम्पलिएंट जांच विनिर्देशनों और परिदृश्यों में पुनः उपयोग जांच विनिर्देशनों। सास माडल के रूप में डी डी जेन पारंपरिक ई डी ए उपकरण लाइसेंस मॉडल के साथ दूर हो रहे है। यह माडल पायलट/डेमो के लिए आसान और तीव्र है और उपकरण आधारित सेवा राजस्व के लिए सक्षम है। इस कुछ आरंभ के परंतु प्रतिष्ठित ग्राहकों के साथ संस्थापित किया गया है।

मैसर्स वायव्या आईईईई मानकों के पोर्टेबल स्टीमुलस कार्य समूह (पी एस डब्ल्यू जी) में सहायक सदस्य बन गया है और कंपनी द्वारा आए हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर इंटरफेस विनिर्देशन इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में वांछित मानकों पर देखने के लिए पी एस डब्ल्यू जी समूह का अभिप्रेरित करेगा। यह भागीदारी और मानकों के लिए सहयोग नवोन्मेष प्रोत्साहन में सहायता करेगा तथा ये नए समाधानों/उत्पादों पर कार्य करने के लिए विश्वास उत्पन्न करेगी।

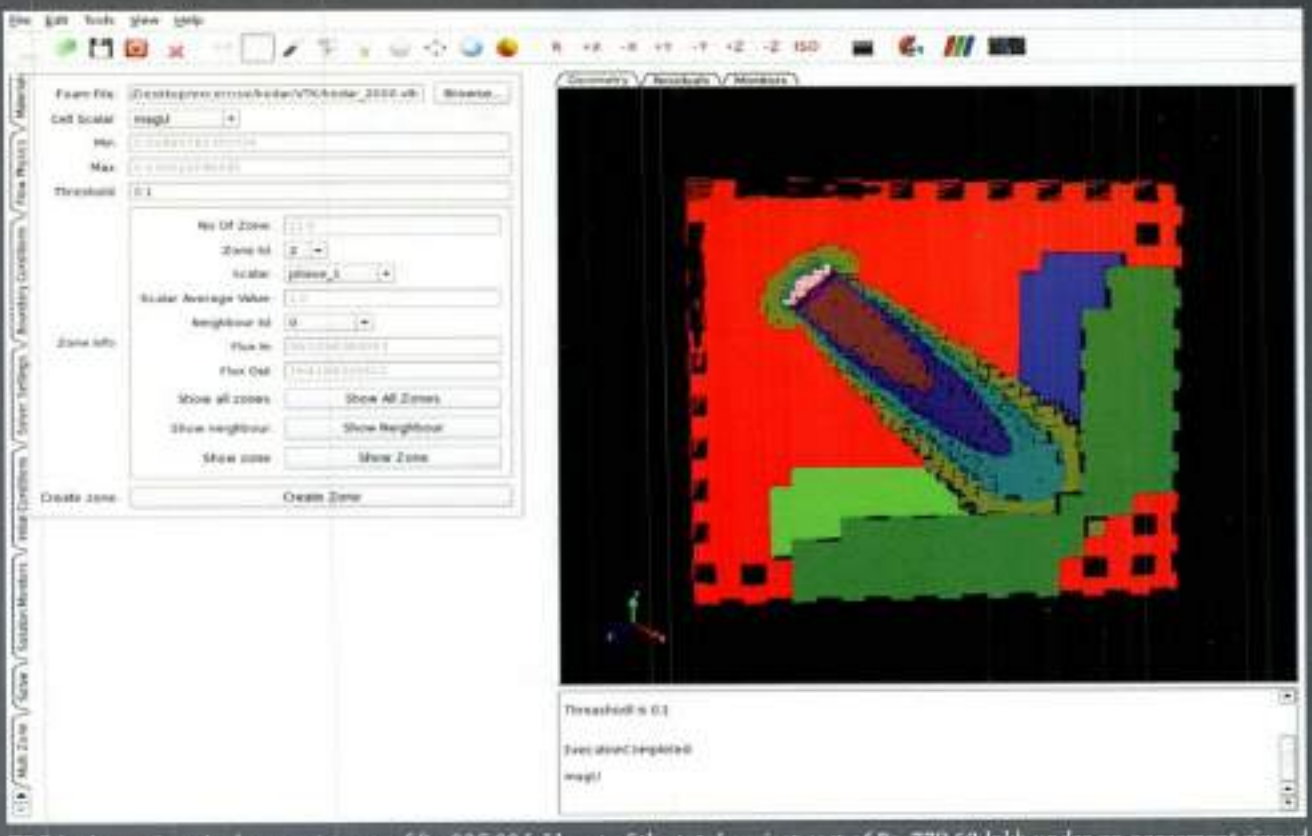

TDB had sanctioned a loan assistance of Rs. 225.00 lakh out of the total project cost of Rs. 778.60 lakh under an agreement signed on 7th February, 2012. The project was completed by 31st May 2014.

Device Driver Synthesis and System Level Validation Tools for Embedded System Market

M/s Vayavya Labs Pvt. Ltd., Karnataka have implemented the project for "Commercialization of Devise Driver Synthesis and System Level Validation Tools for Embedded System Market".

Vayavya Labs envisaged to commercialize its tool suite 'VTools' which is an extension of the flagship product DDGen into a complete ESL Design platform consisting of several tools that automate multiple tasks (apart from the device driver software generation) typically carried out during system design and development.

The technology development in the form of DDGen designed and developed by M/S Vayavya is quite an innovative solution and would help the EDA tool vendors and electronic industry to use the same which results in the productivity improvement. This Software driven verification leverages the DDGen technology to chip level verification and Software driven inside-out-verification is UVM compliant, passes TB & SV compliant test specifications and re-use test specifications across scenarios. DDGen as SaaS model is doing away with traditional EDA tool licence model. This model is easier and quicker for Pilot/demos and enabler for tool based services revenue. It has been deployed with few early but prestigious customers.

M/S Vayavya has become contributory member in Portable Stimulus Working Group (PSWG) of IEEE standards and the Hardware-Software Interface specification arrived at by the company would inspire the PSWG group to look at the desired standards in this important area. This participation and contribution for the Standards will help to promote innovation and they would gain confidence to work on the novel solutions/ products.

बोर्डों ने 21 जून, 2012 को हस्ताक्षरित करार के अंतर्गत 1005.75 लाख रु की कुल परियोजना लागत में से 345.00 लाख रु की ऋण सहायता को मंजूरी की है। परियोजना 15 दिसम्बर, 2014 को पूरी हो चुकी है।

इलैक्ट्रानिक फाइल / डाटा सुरक्षा

मैसर्स पावा साफ्टवेयर प्रा. लि., बैंगलोर ने ''एम्बेडेड कारपोरेट प्रतिभूति नितियों के साथ एन्क्रिप्टेड कन्टेनर के माध्यम से इलेक्ट्रानिक फाईल/डाटा की सुरक्षा के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यीकरण'' की परियोजना को कार्यान्वित किया।

पावा वैश्विक सूचना सुरक्षा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकियों और समाधान मार्केट में एक उभरती हुई कंपनी है। यह मूल रूप से अपने स्वयं के विश्वास पात्र और अधिकृत प्रयोक्ताओं के साथ जीवनपर्यंत हेतु किसी भी उद्यम अथवा संगठन के महत्वपूर्ण और संवेदनशील सूचना और सुरक्षा के द्वारा सूचना सुरक्षा के साथ चुनौतियों के समाधान पर ध्यान केन्द्रित करता है। पावा फाइल पावा की परियोजना की प्रमुख प्रौद्योगिकी है जो सर्वर को पुनः जोड़कर प्रमुख प्रबंधन सर्वर तक पहुंचे बिना फाइलों का एन्क्रिप्ट और डीक्रिप्ट करती है। इस चरण में पावा ने अनेक उपयोग मामले तैयार किए है जो उद्योगों की स्वीकृति हेतु विभिन्न वैधीकरण स्त्रोतों के लिए उद्योगों के इन्पुट और विकसित सहायता के अनुसार बाजार में लिए गए है। इस विशेषता के कारण, इस बात की परवाह किए बिना कि पावा फाइल कहां बनी है, इन फाइलों का बहु अंतिम उपयोगों पर उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में पावा निम्नलिखित कनेक्टर्स: एडी/एलडीएपी, वेबसाइटों, ओपन ओथ, एसएएमएल, सिंगल सिग्नन और एक्सएमएल आदि।

फाइल और दस्तावेज सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी के सरल उपयोग प्रदान करने के मद्देनजर, पावा परिश्रम के साथ कार्य कर रहा है और उत्पाद को एक नए उत्पाद, सिक्योरलीशेयर नामक उत्पाद जिसमें अनेक विशेषताएं है परन्तु इसमें पावा प्रौद्योगिकी का ही उपयोग किया गया है को विकसित किया गया है। सिक्योरलीशेयर न केवल इसे फाइल सुरक्षा में निहित सभी तकनीकी ब्योरों को छिपाने की अनुमति देता है, पहली बार, एप्लीकेशन लेयर में फाइल सुरक्षा को ले जाता है। यह पावा को गूगल एम्स, सेल्स फार्स, बाक्स और शेयर प्वाइंट जैसे मौजूदा इको - सिस्टम्स के माध्यम से इसके उत्पादों और समाधानों के विपणन के लिए असाधारण अवसर प्रदान करता है। सिक्योरलीशेयर वेल्यू प्रोपोसिशन एप्लीकेशन लेयर पर सुरक्षा उपलब्ध कराता है। सिक्योरलीशेयर को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि पावा सुरक्षा को सरल बना देगा। सिक्योरलीशेयर को प्लेटफार्मस, ई मेल गेटवेस/ अनुप्रयोगों स्टोरेज और एंटर प्राइज/क्लाउड अनुप्रयोगों में एकीकृत होगा। आरंभ में सिक्योरलीशेयर को आई ओ एस, एण्डराइड आदि जैसे डिवाइसों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद पावा इको - सिस्टम्स की खोज करेगा जिसमें राजस्व सृजन करने की संभावना होगी।

TDB sanctioned a loan assistance of Rs. 245.00 lakh out of the total project cost of Rs. 1005.75 lakh under the agreement signed on 21st June, 2012. The project was completed on 15th December, 2014.

Electronic File/ Data Security

M/s Pawaa Software Pvt. Ltd., Bangalore implemented the project for "Development and commercialization of Innovative Technologies for Electronic File/ Data Security through Encrypted Container with Embedded Corporate Securities Policies".

Pawaa is an emerging player in the Global Information Security Software Technologies and Solutions Market. It is fundamentally focused on addressing the challenges with Information Security by protecting critical and sensitive information of any enterprise or organization for its lifetime at the hands of its own trusted and authorized users. PawaaFILE is a core technology of Pawaa's project, which Encrypt and Decrypt files without accessing a Key management server, contact the server again. In this phase Pawaa has built many use cases those are taken to market as per industries input & developed support for various authentication sources for industry's acceptance. Due to this feature, irrespective of where the PawaaFILE is produced, these files can be consumed/used at multiple ends. Currently Pawaa supports following connectors: AD/LDAP, Websites, OpenID, OpenAuth, SAML, Single Signon and XML etc.

In line with its vision of providing a simple to use technology for file & document security, Pawaa has seemingly worked hard & the product has been evolved into a new product called Securelyshare having several features but still using the Pawaa technology. Securelyshare not only allows it to obstruct all the technical details involved in file security, it also enables, for the first time, taking the file security to the application layer. This presents Pawaa enormous opportunity to market its products and solutions through existing ecosystems such as Google Apps, Sales Force, box and Share Point. SecurelyShare value proposition is to make security available at Application layer. SecurelyShare is designed in such a way that Pawaa will make security easier. SecurelyShare will be integrated into Platforms, Email gateways/ applications, Storage and Enterprise/Cloud applications. Initially SecurelyShare will be offered free on devices such as IOS, Android etc. After this Pawaa will go after Ecosystems, which have the potential to generate revenue.

टीडीबी ने 23 अगस्त, 2012 को हस्ताक्षरित करार के अंतर्गत् 686.07 लाख रु की कुल परियोजना लागत में से 250.00 लाख रु की ऋण सहायता मंजूर किया। परियोजना 31 दिसम्बर, 2014 को पूरी हो चुकी है।

पुनःसंयोजक एंटीजेन, पुनःसंयोजक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एवं सेल व्युत्पन्न एंटीजेन

मैसर्स यशराज बॉयटेक्नालॉजी लि., नवी मुम्बई द्वारा ''पुनःसंयोजक एंटीजेन, पुनः संयोजक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एवं सेल व्युत्पन्न एंटीजेन के विकास एवं वाणिज्यीकरण'' की परियोजना का कार्यान्वयन।

कंपनी नैदानिक संबद्धता के नए विकार निर्माताओं के विकास पर कार्य करती है और हमारे देश में अधिक प्रभावित बिमारियों तथा माइक्रोबायोलोजिस्ट के विभिन्न भारतीय उपभेदों पर विचार करती है। बायोमेडिकल द्रव जो कि सबसे कच्ची सामग्री है, कंपनी के पास अपेक्षित कुशल मानवशक्ति है और विभिन्न राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड महाराष्ट्र सरकार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और अन्य विनियामक निकायों से सभी मंजूरियों के साथ मानव बायोमेडिकल द्रव तक पहुंच रखता है। यह संकलन आईएसओ 9001-2008 दिशानिर्देशों का भी अनुपालन करता है।

वर्तमान परियोजना इन-विट्रो डायग्नोस्टिक ऐसे के निमार्ण में इनके उपयोग के लिए रीकॉबिनेट एंटीजेंस, रीकॉबिनेट मोनोक्लोनल एंटीबाडी और सेल डेरिव्ड एंटीजेंस के उत्पादन के लिए अत्याधुनिक संरचना स्थापित करने की परिकल्पना करता है। इन्होंने अत्याधुनिक क्यू सी प्रयोगशाला और रीकॉबिनेट और सेल डेरिव्ड उत्पादों के लिए अतिरिक्त उत्पादन के साथ रीकॉबीनेट और सेल कल्चर सुविधा हेतु दो अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं को स्थापित किया है। कंपनी ने दिसम्बर, 2014 में जैसा कि घोषणा की है परियोजनाओं का तकनीकी समापन कर दिया है। टीडीबी द्वारा 60.00 लाख रु अंतिम किश्त अभी जारी की जानी है।

टीडीबी ने 23 अप्रैल, 2012 को हस्ताक्षरित करार के अंतर्गत् 1200.00 लाख रु की कुल परियोजना लागत में से 600.00 लाख रु की ऋण सहायता मंजूर किया। परियोजना 31 दिसम्बर, 2014 को पूरी हो चुकी है।

TDB sanctioned a loan assistance of Rs. 250.00 lakh out of the total project cost of Rs. 686.07 lakh under the agreement signed on 23rd August 2012. The project was completed on 31st December 2014.

Recombinant Antigens, Recombinant Monoclonal Antibodies & Cell Derived Antigens

M/s Yashraj Biotechnology Ltd., Navi Mumbai have implemented the project "Development and Commercialization of Recombinant Antigens, Recombinant Monoclonal Antibodies and Cell Derived Antigens"

The company deals with the development of new disease markers of clinical relevance and most importantly considering variant Indian strains of microbiologist and diseases most prevalent in our country. Biomedical fluids being one of the major raw materials, the company possesses required skilled human resource and access to the human biomedical fluids with all the approvals viz. from Pollution Control Board of various states, the Government of Maharashtra, Food and Drug, Administration and other regulatory bodies. The collection also complies with ISO 9001-2008 guidelines.

The present project envisaged setting up of state-of-the-art infrastructure for Production of Recombinant Antigens, Recombinant monoclonal Antibodies and cell derived Antigens for their use in manufacturing of in-vitro diagnostic assays. They have set up two state-of-the-art laboratories for Recombinant and Cell Culture facility alongwith the state-of-the-art QC Laboratory and additional production facility for Recombinant and Cell Derived products. The technical closure of the projects as declared by the company is December 2014. The last installment of Rs. 60.00 lakh is yet to be released by TDB.

TDB sanctioned a loan assistance of Rs. 600.00 lakh out of the total project cost of Rs. 1200.00 lakh under the agreement signed on 23rd April, 2012. The project was completed on 31st December, 2014.

4जी वायरलेस 3जीपीपी एलटीई उत्पादो, बेस स्टेशन (ईनोडबी), उपयोगकर्ता उपकरण (यूई) एवं एलटीई एम्यूलेटर्स

मैसर्स माईमो वायरलैस टेक्नोलॉजी प्रा. लि., बैगलोर द्वारा ''4जी वायरलेस 3जीपीपी एलटीई उत्पादो, बेस स्टेशन (ईनोडबी), उपयोगकर्ता उपकरण (यूई) एवं एलटीई एम्यूलेटर्स का वाणिज्यीकरण'' की परियोजना का कार्यान्वयन।

माईमो की परियोजना इसे 3 जी पी पी एल टी ई जैसे 4 जी वायरलैस मानकों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धी उत्पाद डिजाइन हाउस बनाने के लिए इसे सक्षम बनाने की परिकल्पना करती है। जिसे जीएसएम विकसित सेल्युलर वायरलैस प्रौद्योगिकी और एल टी ई – एडवांस्ड; एलटीई हैण्डहेल्ड यूई और इनोड-बी में रीलीज – 9, 10, 11 और 12 के रूप में भी जाना जाता है। माईमो वर्तमान में यूई हैण्डहेल्ड समाधानों, ईनोड बी एल 1, बी एल एस आई जैसे उपभोक्ताओं के विभिन्न घटकों और रीलीज – 10, 11, और 12 में विकसित एल टी ई उत्पादों के लिए आरएण्डडी प्रोमियर संस्थानों के साथ चिप वेंडर्स और सहयोग और अत्याधुनिक नवोन्मेषों और आई पी आर का प्रदर्शन तथा रीलीज – 9 उत्पादों का प्रदर्शन कर रहा है।

कंपनी ने व्यापक उत्पाद पोर्टफोलियो के साथ कदम रखा है जिसमें नवोन्मेषक उत्पाद (वायरलैस स्निफर, एयर-टू-ग्राउंड, एल टी ई – लाइक इंटरफेस) जो अत्याधुनिक हैं शामिल है और अपने राजस्वों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की संभावना रखती है। इसने वैश्विक और घरेलू आई पी आर लाइसेंसिंग के लिए 3 जी पी पी एल टी ई रीलीज – 9 मानकों के आधार पर स्वदेशी रूप से उत्पादों का और बाजार के विभिन्न घटकों यथा (1) बेस स्टेशनों मैको, माइको, पीको (2) हेण्डसेट्स, आई पी फोरस, ए एस आई सी और चिप तथा (3) इम्यूलेटर्स; एम डब्ल्यू 2000 यू ई और एम डब्ल्यू 2000 ई बी एस तक पहुंच बनाने में स्पष्ट टी टी एम (टाइम – टू – मार्केट) लाभ के साथ रायल्टी के साथ उत्पादों का निर्माण किया।

टीडीबी ने 2 जुलाई, 2012 को हस्ताक्षरित करार के अंतर्गत 585.33 लाख रू की कुल परियोजना लागत में से 340.00 लाख रू की ऋण सहायता मंजूर किया। परियोजना 30 सितम्बर, 2014 को पूरी हो चुकी है।

4G wireless 3GPP LTE Products: Base Station (eNodeB), User Equipment (UE) and LTE Emulators

M/s MYMO Wireless Technology Private Limited, Bangalore have implemented the project "Commercialization of 4G wireless 3GPP LTE Products: Base Station (eNodeB), User Equipment (UE) and LTE Emulators".

Mymo's Project contemplated to enable it in becoming a globally competitive products design house for 4G Wireless standards like 3GPP LTE which is also known as GSM Advanced Cellular Wireless Technology and LTE-Advanced: Release-9, 10, 11 and 12 in the LTE handheld UE and eNodeB. Mymo is currently demonstrating the Release-9 products for different segments of customers like UE Handheld solutions, eNodeB L1, VLSI and Chip vendors and collaboration with R&D premier institutions for advanced LTE products in Release-10, 11 and 12 and showcases the cutting-edge innovations and IPRs.

The company has come up with a wide product portfolio, which includes innovative products (wireless sniffer, air-to-ground LTE-like interface) are cutting edge, and have the potential to significantly improve its revenues. It has built the products indigenously based on 3GPP LTE Release-9 standards for global & domestic IPR licensing and building the products with royalties with a clear TTM (time-to-market) advantage in reaching out to different segments of the market as: i) Base Stations: Macro, Micro, Pico, ii) Handsets: IP Cores, ASIC & Chip and iii) Emulators: MW 2000U UE and MW 2000E BS.

TDB sanctioned a loan assistance of Rs. 240.00 lakh out of the total project cost of Rs. 585.33 lakh under the agreement signed on 2nd July 2012. The project was completed on 30th September 2014.

परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा व निस्तारण

Processing of Project Proposals

टीडीबी से ऋण सहायता की अपेक्षा रखने वाली औद्योगिक इकाई को एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा करना होता है। टीडीबी वर्ष भर आवेदन प्राप्त करता है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित और अन्य विवरण 'परियोजना वित्त व्यवस्था दिशा निर्देश' पुस्तिका में उपलब्ध कराया गया है जो कि टीडीबी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। संबंधित उद्योग अथवा उद्यमी / प्रोत्साहक आवेदन का प्रपत्र टीडीबी की वेबसाईट www.tdb.gov.in से प्राप्त कर सकता है।

वर्ष 2014–15 में प्राप्त आवेदन

टीडीबी ने वर्ष के दौरान औद्योगिक संस्थानों से 28 आवेदन प्राप्त किया।

राज्य–वार प्राप्त आवेदन

28 आवेदनों का राज्यवार वितरण निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु. में)

	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आवेदनों की संख्या	कुल लागत	टीडीबी से मांगी गई सहायता
1	आंध्र प्रदेश	05	609.17	47.99
2	दिल्ली	02	70.27	32.92
3	गुजरात	01	51.37	25.00
4	हरियाणा	01	1.99	0.99
5	कर्नाटक	06	56.35	31.89
6	मध्य प्रदेश	01	21.50	8.00
7	महाराष्ट्र	09	311.63	184.86
8	ओडिशा	01	1.00	1.00
9	तमिलनाडु	01	45.90	24.00
10	पश्चिम बंगाल	01	64.72	32.36
	कुल	**28**	**1233.90**	**389.01**

क्षेत्र–वार प्राप्त आवेदन

टीडीबी द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त किए जाने कि लिए सभी आर्थिक क्षेत्रे से आवेदन प्राप्त होते है। क्षेत्र-वार प्राप्त आवेदनों का वितरण नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु. में)

	सेक्टर	आवेदनों की संख्या	कुल लागत	टीडीबी से मांगी गई सहायता
1	कृषि	02	35.36	14.04
2	केमिकल	04	288.00	189.67
3	इलेक्ट्रोनिक्स	01	9.97	9.11
4	इंजीनियरिंग	06	636.64	72.65
5	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	06	119.39	37.90
6	सूचना प्रौद्योगिकी	07	142.91	64.06
7	अन्य	02	1.63	1.58
	कुल	**28**	**1233.90**	**389.01**

An industrial concern seeking financial assistance from the Technology Development Board should submit the application in a prescribed format. The format of application seeking financial assistance from Technology Development Board and other details are available in a brochure titled 'Project Funding Guidelines' which is made available free of cost by TDB. TDB receives the applications throughout the year. The industrial concern or the entrepreneur/promoter can also obtain the format of application from the website of TDB i.e. www.tdb.gov.in.

Applications Received in 2014-15

TDB received 28 applications from various industrial concerns during the year.

Application Received State-wise

The state-wise distribution of 28 applications is as under:

(Rs. in Crore)

	State / Union Territory	Number of Applications	Estimated Total Cost	Assistance sought from TDB
1	Andhra Pradesh	05	609.17	47.99
2	Delhi	02	70.27	32.92
3	Gujrat	01	51.37	25.00
4	Haryana	01	1.99	0.99
5	Karnataka	06	56.35	31.89
6	Madhya Pradesh	01	21.5	8.00
6	Maharashtra	09	311.63	184.86
8	Odisha	01	1	1.00
9	Tamil Nadu	01	45.9	24.00
10	West Bengal	01	64.72	32.36
	Total	**28**	**1233.90**	**389.01**

Applications Received Sector-wise

TDB receives applications seeking financial assistance in all the sectors of the economy. The sector-wise details of receipt of applications are given in the table below:-

(Rs. in Crore)

	Sector	Number of Applications	Estimated Total Cost	Assistance sought from TDB
1	Agriculture	02	35.36	14.04
2	Chemical	04	288	189.67
3	Electronics	01	9.97	9.11
5	Engineering	06	636.64	72.65
6	Health & Pharma	06	119.39	37.9
7	Information Technology	07	142.91	64.06
8	Others	02	1.63	1.58
	Total	**28**	**1233.90**	**389.01**

आवेदकों के प्रकार

वर्ष के दौरान टीडीबी द्वारा प्राइवेट लिमिटेड एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों इत्यादि से प्राप्त आवेदनों को नीचे की तालिका में देखा जा सकता है:-

(करोड़ रु. में)

श्रेणी	आवेदनों की संख्या	अनुमानित कुल लागत	टीडीबी से मांगी गई सहायता
प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियाँ	20	1012.41	285.04
पब्लिक लिमिटेड कम्पनियाँ	06	219.86	102.39
अन्य	02	1.63	1.58
कुल	**28**	**1233.90**	**389.01**

आवेदनों की प्रारंभिक जांच

प्रारंभिक जांच समिति (आईएससी) वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों को उसके पूर्णता, परियोजना का उद्देश्य एवं प्रौद्योगिकी की स्थिति आदि की दृष्टि से जांच करती है। ऐसी जांच में आवेदक और प्रौद्योगिकी प्रदानकर्ता के साथ विचार विमर्श के साथ - साथ अतिरिक्त जानकारी / विस्तृत विवरण अथवा परियोजना के बारे में संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण शामिल होता है। यदि आवेदक, टीडीबी द्वारा वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करता है तो उसे तदनुसार सलाह दी जाती है।

आवेदनों की प्रारंभिक जांच में सहयोग देने वाले वैज्ञानिकों की सूची को इस रिपोर्ट के परिशिष्ट में लगाया गया है। टीडीबी उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता है।

परियोजना मूल्यांकन

परियोजना मूल्यांकन समिति (पीईसी)

आईएससी की सिफारिशों के आधार पर आवेदनों को परियोजना मूल्यांकन समिति (पीईसी) को भेजा जाता है। प्रत्येक परियोजना के लिए उसकी प्रकृति और उत्पादन को ध्यान में रखते हुए पीईसी का गठन किया जाता है और परियोजना के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए टीडीबी के बाहर से संबंधित क्षेत्रों (विज्ञान, तकनीकी एवं वित्तीय) के विशेषज्ञों को इस समिति में शामिल किया जाता है।

विशेषज्ञ (सेवारत अथवा सेवानिवृत्त) सरकारी विभागों, आर एंड डी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, उद्योग संघों, वित्तीय संस्थानों और व्यावसायिक बैंकों के हो सकते हैं। पी ई सी परियोजना स्थल का दौरा करती है। आवेदन को प्रौद्योगिकी प्रदानकर्ता सहित वैज्ञानिकों, तकनीक, मार्केटिंग, वाणिज्यिक तथा वित्तीय प्रस्तुतीकरण की विस्तृत जानकारी देने एवं परियोजना एवं कम्पनी से जुड़े मुद्दों पर जानकारी देने का पूरा अवसर दिया जाता है।

उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (एचएलईसी)

लंबित एवं आगामी परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन में तेजी लाने के क्रम में, अध्यक्ष, टी डी बी ने (वर्ष 2011-12 से) इन परियोजना प्रस्तावों के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए एक नामचीन व्यक्तित्व की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (एच एल ई सी), जिसमें कि टीडीबी के बाहर के उस क्षेत्र के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ (वैज्ञानिक, तकनीक, शिक्षा, मार्केटिंग एवं वित्तीय) शामिल है, का गठन किया।

बोर्ड ने 18 फरवरी, 2012 को आयोजित अपनी 49वीं बैठक में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिती (एचएलईसी) द्वारा परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन की नई प्रक्रिया पर काफी विचार विमर्श किया। बोर्ड ने प्रस्तावों पर कार्य करने के समय लागत को घटाने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना व अनुमोदन किया।

बोर्ड ने भविष्य के लिए निम्नलिखित मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुमोदन किया।

क) बोर्ड ने इस तरह मूल्यांकन करने के प्रस्ताव के संकल्पना की सराहना की और सलाह दी कि इसे 4 तकनीकी विशेषज्ञों व 1 से 2 वित्तीय विशेषज्ञों से कई क्षेत्र विशेषज्ञ की समिती बनाई जाए। ये समितियां मामलों की जांच के लिए हर तिमाही बैठक करेंगी और उपयुक्त सिफारिशें प्रदान करेंगी।

ख) बोर्ड ने अध्यक्ष को विभिन्न डोमेन की 8-10 समितियों के लिए 7 से 10 विशेषज्ञों का विशेष पैनल बनाने के लिए अधिकृत किया। किसी दिए हुए समय पर मूल्यांकन के मकसद से 3 से 4 सदस्यों जिसमें वित्तीय विशेषज्ञ भी शामिल है को किसी खास बैठक के लिए लिया जा सकता है। कमेटी बैठक के दौरान एक अध्यक्ष का चयन करेगी और वह बैठक के मिनट्स पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होंगे।

ग) इन समूहों का कार्यकाल लगभग 2 साल का होगा।

घ) अध्यक्ष, विशेषज्ञता की जरुरतों के आधार पर इन समितियों में अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।

Profile of Applicants

TDB mainly received applications from private limited companies. A few applications were also received from public limited companies etc., during the year, as may be seen from the table given below.

(Rs. in Crore)

Category	Number of Applications	Estimated Total Cost	Assistance Sought from TDB
Private Limited Company	20	1012.41	285.04
Public Limited Company	06	219.86	102.39
Others	02	1.63	1.58
Total	**28**	**1233.90**	**389.01**

Initial Screening of Applications

The Initial Screening Committee (ISC) examines the application received for financial assistance, from the point of view of completeness of the application, objective of the project and status of the technology, etc. Such screening may include preliminary discussions with the applicant and technology provider besides calling for additional information/details or a brief presentation covering the project. If the application does not meet the criteria prescribed for TDB's financial assistance, the applicant is advised accordingly.

The list of experts, who assisted in the Initial Screening of applications, is appended to this report. TDB is thankful to them.

Project Evaluation

Project Evaluation Committee (PEC)

Based on the recommendations of the ISC, the application is referred to the Project Evaluation Committee (PEC). For each project, a PEC is constituted keeping in view the nature of the project and the product. PEC consists of experts (scientific, technical and financial) in the relevant fields from outside TDB for an independent evaluation of the project.

The experts (serving or retired) may belong to government departments, R&D organizations, academic institutions, industry, industry associations, financial institutions and commercial banks. The PEC visits the project site. The applicant along with the technology provider is given full opportunity to give a detailed presentation on the scientific, technical, marketing, commercial and financial aspects and to provide in-depth information on various issues related to the project & the company.

High Level Expert Committee (HLEC)

In order to expedite the process of evaluation for pending and upcoming project proposals, Chairperson, TDB (from the year 2011-12) constituted a High Level Expert Committee which consists of eminent experts (scientific, technical, academia, marketing and financial) in the relevant fields from outside TDB under the Chairmanship of a renowned personality for an independent evaluation of the projects.

The Board in its 49th Meeting dated 18.02.2012 deliberated at length upon the new process of evaluation of project proposals by High Level Expert Committee (HLEC). The Board appreciated and endorsed the steps taken to reduce the time to process proposals.

The Board recommended the following process of evaluation for the future:

a) The Board appreciated the concept to evaluate proposals in this manner and suggested that several domain specific committees should be formed with 3 to 4 technical experts and 1 to 2 financial experts. These committees would meet once in a quarter to review the cases and make suitable recommendations.

b) The Board authorized the Chairperson to constitute 7 to 10 member expert panel for 8-10 committees in different domains. For the purpose of evaluation at any given point of time, 3 to 4 members can be drawn up for a

ड) यह प्रक्रिया टीडीबी के साथ पहले से मौजूद मूल्यांकन के उपकरणों के अतिरिक्त है और दोनो तंत्र साथ-साथ रहेंगे।

बोर्ड की, दिनांक 18.02.2012 को आयोजित 49वीं बैठक के इच्छानुसार, निम्नलिखित प्रक्रिया एचएलईसी की आगे की बैठकों के लिए लागू की गई।

- परियोजनाओं को 4 क्षेत्रों नामत: कृषि / स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी / टेलीकॉम और केमिकल / एनर्जी एवं वेस्ट में बांटा गया।
- दो क्षेत्रविशेष के विशेषज्ञ और एक वित्त विशेषज्ञ वाली चार अलग-अलग सेक्टर विशेष की समितियां बनाई जाएंगी जोकि प्रत्येक सेक्टर में आनेवाली परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी।
- मूल्यांकन पैरामीटर का निर्णय वैटेज से लिया जाएगा और समिती के सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे प्रत्येक प्रस्ताव का इन पैरामीटर पर 1-10 के स्केल पर मूल्यांकन करें।

उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (एचएलईसी) की पहली बैठक डॉ. अनिल काकोडकर, भूतपूर्व-सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में 23 और 24 जनवरी, 2012 के दौरान मुम्बई में आयोजित की गई। तब से मुम्बई, हैदराबाद, जयपुर और अहमदाबाद में एचएलईसी की चार बैठकें आयोजित हो चुकी है।

मूल्यांकन मानदण्ड

आवेदनों को वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, वाणिज्यिक एवं वित्तीय प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है :-

- प्रस्ताव के विषयों का अनूठा एवं नवीनात्मक होना
- सुदृढ़ता, वैज्ञानिक गुणवत्ता और प्रौद्योगिकीय प्राथमिकता
- वृहत रुप से लागू करने के लिए और वाणिज्यीकरण से लाभप्रद संभावना
- प्रस्तावित प्रयास की पर्याप्तता
- प्रस्तावित कार्यवाई नेटवर्क में आर एंड डी संस्थानों की क्षमता
- आंतरिक प्राप्ति सहित एंटरप्राइज की संगठनात्मक एवं वाणिज्यिक योग्यता
- प्रस्तावित लागत और वित्त पोषण के तरीके की औचित्यपूर्णता
- मापयोग्य उद्देश्य, लक्ष्य और निर्धारित लक्ष्य
- उद्यमी का पिछला रिकॉर्ड

गोपनीयता एवं पारदर्शिता

टीडीबी में यह मान्यता है कि गोपनीयता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रस्ताव एक वाणिज्यिक प्रस्ताव है जिसमें एक नया उत्पादन अथवा प्रक्रिया शामिल है। आवेदक द्वारा यह बताया जाता है कि टीडीबी को उपलब्ध कराई जाने वाली कुछ जानकारी को सख्ती से गोपनीय रखा जाएगा और इसे परियोजना मूल्यांकन समिति एवं उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के विशेषज्ञों को परिचालित नहीं किया जाएगा। पीईसी या एचएलईसी प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का खुलासा न करने की आवेदकों की आशंकाओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रखा जाता है।

आवेदकों के साथ पूर्ण रुप से विचार विमर्श करने के पश्चात् पीईसी / एचएलईसी के विशेषज्ञों द्वारा टिप्पणियों और सिफारिशों को अंतिम रुप दिया जाता है। एच एल ई सी से मंजूर हुए सभी प्रस्तावों को प्रौद्योगिकी - आर्थिक व्यवहार्यता / यथोचित परिश्रम के माध्यम से मूल्यांकन के लिए भेजा जाता है। तथापि यदि परियोजना में टी डी बी की सहायता 10.00 करोड़ रू से अधिक हो तो केवल उसी स्थिति में पी ई सी द्वारा यथोचित परिश्रम के लिए मामलों की सिफारिश की जाती है। पी ई सी अथवा एच एल ई सी की सिफारिशें अनुमोदनार्थ बोर्ड को भेजी जाती है। यदि परियोजना प्रस्ताव की पीईसी / एचएलईसी द्वारा सिफारिश नहीं की जाती तब आवेदन को टीडीबी द्वारा बंद कर दिया जाता है और आवेदक को सूचित कर दिया जाता है।

वित्तीय सहायता का अनुमोदन

पीईसी / एचएलईसी द्वारा वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावित परियोजना प्रस्तावों को आर्थिक सहायता पर विचार एवं अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष भेजने से पहले उसे टेक्नो-इकोनॉमिक वायविलिटी / ड्यू - डिलिजेन्स प्रकिया से गुजरना होता है। तथापि, पी ई सी के मामले में 10.00 करोड़ रू से अधिक की सहायता के मामलों में ही प्रस्ताव को वित्तीय सहायता हेतु विचार और अनुमोदन के लिए बोर्ड को भेजे जाने से पूर्व यथा - कर्मिष्ठता के लिए भेजा जाता है।

अनुविक्षण एवं समीक्षा

टीडीबी अनुमोदित सहायता लाभअर्जकों को किस्तों में उपलब्ध कराता है जो कि जोखिम सम्बंधित लक्ष्यों पर आधारित होता है। दूसरी और अगली किश्तों को प्रत्येक अनुमोदित परियोजना के लिए गठित की गई परियोजना अनुविक्षण समिति (पीएमसी) की सिफारिशों के आधार पर जारी किया जाता है। परियोजना अनुविक्षण समिति में उन वैज्ञानिक / तकनीकि एंव वित्तीय विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है जो कि परियोजना

particular meeting, including a finance expert. The committee will select a Chairperson during the meeting and he will be authorized to sign the minutes.

c) These groups will have a tenure of approximately 2 years.

d) The Chairperson can nominate, depending upon the specialized need, additional members to these committees.

e) This procedure is in addition to the instruments of evaluation already available with TDB and both the mechanisms would co-exist.

As desired by the Board in its 49th Meeting dated 18.02.2012, the following procedure was adopted for subsequent meetings of HLEC.

- Projects were segregated in to four sectors namely Agriculture / Healthcare, Engineering / Electronics, IT / Telecom and Chemical / Energy & Waste Utilisation.
- Four different sector specific committees consisting of two domain experts and one financial expert were made to evaluate project proposals falling in each of the sector.
- The evaluation parameters were decided with weightage and committee members were requested to evaluate each proposal on certain parameters in the scale of 1-10.

The first meeting of this High Level Expert Committee (HLEC) took place during 23rd & 24th January, 2012 at Mumbai under the Chairmanship of Dr. Anil Kakodkar, Ex-Secretary, Government of India. Since then four HLEC Meetings have been held done at Mumbai, Hyderabad, Jaipur and Ahmedabad.

Evaluation Criteria

The application is evaluated for its scientific, technological, commercial and financial merits. The evaluation criteria include:

- The uniqueness and innovative content of the prztial for wide application and the benefits expected to accrue from commercialization
- Adequacy of the proposed effort
- Capability of the R&D institution(s) in the proposed action network
- Organizational and commercial capability of the enterprise including its internal accruals
- Reasonableness of the proposed cost and financing pattern
- Measurable objectives, targets and milestones
- Track record of the entrepreneur

Confidentiality and Transparency

TDB recognizes that it is important to maintain confidentiality, as each proposal is a commercial proposal involving a new product or process. Where the applicant mentions that some of the information provided to TDB has to be treated as strictly confidential, it is not circulated to the experts of the Project Evaluation Committee or High Level Expert Committee. The PEC or HLEC respects the sensibility of the applicant's apprehensions in disclosing certain vital information on the processes.

After a comprehensive discussion/deliberation with the applicant, the observations and recommendations are finalised by the experts constituting the PEC or HLEC. All the proposals cleared from HLEC goes for assessment through Techno-Economic Viability / Due-diligence, however, cases recommended by the PEC goes for due diligence only if the TDB's assistance to the project exceeds Rs. 10.00 Crore. The recommendations of the PEC or HLEC goes to the Board for approval. If the project proposal is not recommended by PEC or HLEC, the application is closed by TDB after intimation to the applicant.

Approval of Financial Assistance

The project proposals recommended by HLEC for financial assistance are further assessed through a Techno-Economic Viability / Due-diligence process by the independent agency/agencies. However, in case of PEC, the cases beyond Rs. 10.00 crore assistance only go for Due-diligence, before the proposal is referred to the Board for its consideration and approval for financial assistance.

Monitoring and Review

TDB releases the approved assistance to

मूल्यांकन के समय पीईसी / एचएलईसी के सदस्य थे।

टीडीबी ने वर्ष 2014-15 के दौरान परियोजना अनुविक्षण समिति / परियोजना मूल्यांकन एवं अनुविक्षण समिति, समीक्षा बैठकों और निरीक्षणों के माध्यम से इकत्तीस (31) बैठकें आयोजित की।

पीईसी, एचएलईसी एवं पीएमसी पी ई एम सी और आई एस टी में सहयोग देने वाले विशेषज्ञ

वर्ष 2014-15 के दौरान परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन, अनुविक्षण और समीक्षा से संबंधित क्षेत्रों से –चौंतीस (34) विशेषज्ञों ने टीडीबी को अपनी विशेषज्ञता प्रदान की। विशेषज्ञों की सूची को इस रिपोर्ट के परिशिष्ट में लगाया गया है। टीडीबी उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उनका आभार प्रकट करता है।

आवेदनों के सारांश की स्थिति

वर्ष 2014-15 के दौरान टीडीबी को प्राप्त हुए आवेदनों की जानकारी और 31 मार्च, 2015 तक आवेदनों की स्थिति को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:-

(करोड़ रु. में)

स्थिति	संख्या	कुल अनुमानित लागत	टीडीबी से मांगी गई सहायता
प्राप्त आवेदन	**28**	**1233.90**	**389.01**
31.03.2015 को बंद आवेदन	05	120.26	50.48
2014-15 में हस्ताक्षरित करार	00	0.00	0.00
पीईसी / एचएलईसी को भेजे गये अथवा पीईसी / एचएलईसी के पश्चात् की गई कार्रवाई	00	0	0
विचार / प्रारंभिक जांच के अधीन आवेदन	23	1113.64	338.53

the beneficiaries in installments, based on risk associated milestones. The second and subsequent release of installments depends on the recommendations of a Project Monitoring Committee (PMC) constituted for each of the approved projects. The PMC invariably consists of a scientific/technical and financial expert who was a member of the PEC or HLEC at the time of evaluation of the project.

TDB conducted thirty one (31) meetings through Project Monitoring Committees / Project Evaluation & Monitoring Committees, review meetings and inspections during 2014-15.

List of Experts who assisted the ISC, PEC, PEMC, HLEC and PMC

Thirty four (34) experts from the relevant fields have provided their expertise to TDB in evaluating the project proposals, monitoring and reviewing the projects during 2014-15. The list of experts is appended to this report. TDB gratefully acknowledges the valuable contributions made by them.

Summary Status of Applications

The information regarding the number of applications received by TDB during 2014-15 and the status of applications as on 31st March, 2015 are indicated in the table given below:

(Rs. in Crore)

Status	Number	Estimated Total Cost	Assistance sought from TDB
Application Received	28	**1233.90**	**389.01**
Closed as on 31.03.2015	05	120.26	50.48
Agreements signed in 2014-15	00	0.00	0.00
Referred to or Processed after PEC/HLEC	00	0	0
Application under Consideration / under Initial Screening	23	1113.64	338.53

सकारात्मक – सक्रिय भूमिका
Proactive Role

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड औद्योगिक इकाईयों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के अलावा सकारात्मक - सक्रिय भूमिका अदा करता है। विचार यह है कि प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यीकरण के लिए टीडीबी की सहायता व्यापक होनी चाहिए। सकारात्मक-सक्रिय भूमिका के तौर पर टीडीबी ने नवीनता और नवीन उत्पाद / सेवाओं वाले एसएमई के माध्यम से शुरुआती चरण वाले वेन्चर को सहायता देकर अपना विस्तार करने के लिए वेन्चर कैपिटल फंड में भी भागीदारी की है। टीडीबी की प्रेरणा और भागीदारी के परिणामस्वरुप वेन्चर लाने वाले पूंजीपतियों ने टीडीबी मिशन को अपना सहयोग दिया है। पूर्ववर्ती वर्षों में इन्क्यूबेटर में शुरुआत करने वाले युवा उद्यमियों को शुरुआती आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनके नवीन विचारों को फलीभूत करने के लिए सीड सहायता स्कीम में भागीदारी का निर्णय करके टीडीबी ने विकासोन्मुख पहल की है। टीडीबी ने आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, औद्योगिक खोज, प्रौद्योगिकी विकास एवं नवीन खोज के क्षेत्रा में संयुक्त प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने, सहायता करने और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कुछ चुनिंदा विदेशी संस्थानों नामत: एजेंस नेशनले डी वेलोराइजेशन डी ला रेकरेक (एएनवीएआर), फ्रांस, सेंटर फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ इन्डस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी (सीडीटीआई), स्पेन और कॉमनवेल्थ बिजनेस काउंसिल (सीबीसी), यू. के. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

टीडीबी ने दायित्व के निर्वहन के लिए उपरोक्त पहल के माध्यम से स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहित किया है। बोर्ड ने वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित पहलों का अनुमोदन किया है :-

वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) में भागीदारी

स्वदेशी प्रौद्योगिकीयों के विकास और वाणिज्यीकरण अथवा व्यापक घरेलु उपयोग के लिए आयातित प्रौद्योगिकीयों के अनुकूलन का प्रयास करने वाली औद्योगिक इकाईयों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, टीडीबी ने नवोन्मेषी और नवोन्मेषी उत्पादों / सेवाएं रखने वाले प्रारंभिक अवस्था उद्यमों के लिए सहायता प्रदान करके अपने कार्य क्षेत्रा को विस्तारित करने के उद्देश्य के साथ प्रौद्योगिकीय रुप से नवोन्मेषी व्यवहार्य उद्यमों को सहायता प्रदान करने हेतु प्रौद्योगिकी केन्द्रित उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) में भाग लेता है।

टीडीबी द्वारा उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) में भागीदारी करने के मुद्दे पर बोर्ड की बैठकों में बहुत से अवसरों पर विचार किया जाता है। बोर्ड ने वीसीएफ में टीडीबी की भागीदारी को भौगोलिक एवं प्रौद्योगिकीय रुप से विस्तार करने के लिए एक उत्कृष्ट माध्यम माना और यह निर्णय लिया कि टीडीबी उच्च जोखिम, उच्च रिटर्न प्रौद्योगिकी उन्मुख परियोजनाओं में चयनात्मक आधार पर वी सी एफ में गहनता से सहायता प्रदान करना जारी रखे चूंकि वी सी एफ के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्मुख परियोजनाओं के वित्तपोषण ने बड़ी अच्छी सफलता दर्शाई है और काफी संख्या में परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है।

बोर्ड ने दिनांक 17 मार्च, 2010 को अपनी 44वीं बैठक में उद्यम पूंजी निधि हेतु टीडीबी द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता पर विचार और समीक्षा करने तथा टीडीबी द्वारा वी सी एफ को सहायता प्रदान करने में अपनाई जाने वाली कार्य पद्धति पर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया। बोर्ड ने 10 मई, 2010 की अपनी 45वीं बैठक के दौरान उद्यम पूंजी निधि में टीडीबी की भागीदारी हेतु निम्नलिखित व्यापक दिशा-निर्देश को भी अंतिम रुप प्रदान किया :-

- ❖ टीडीबी की निधियां मुख्य रुप से उन वी सी एफ में लगाई जाएंगी जो नवोन्मेषी और / अथवा प्रौद्योगिकी उन्मुख क्षेत्रों में निवेश करने की नीति रखते हों
- ❖ लघु से मध्यम आकार की निधि में योगदान को वरीयता दी जायेगी
- ❖ वी सी एफ के लाभार्थियों को मुख्य रुप से एस एम ई क्षेत्रों से होना चाहिए
- ❖ वी सी एफ में टीडीबी द्वारा योगदान सामान्यत: निधि के आकार के 15% तक होगा। समावेशी विकास / औद्योगिक रुप से पिछड़े क्षेत्रों अथवा प्रथम पीढ़ी के लिए नवोन्मेष प्रदान करने वाले वी सी एफ के मामलों में 25% तक के उच्च योगदान के विषय पर विचार किया जा सकता है। कार्य क्षेत्र के 100% प्रौद्योगिकी उन्मुख होने के मामले में बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर टीडीबी द्वारा उच्च योगदान पर भी विचार किया जा सकता है
- ❖ निगरानी कार्य तंत्र के रुप में, प्रस्तावों में सहयोग हेतु वी सी एफ की निवेश समिति में सदस्य के रुप में टीडीबी का एक प्रतिनिधि होगा
- ❖ प्रतिनिधि को कार्य क्षेत्र सन्तुलन हेतु आपत्ति दर्ज करने का प्राधिकार होगा
- ❖ निधि प्रबंधक के पृष्ठभूमि कार्य निष्पादन (ट्रेक रिकॉर्ड) पर विचार किया जाएगा
- ❖ वित्तीय सेवाओं को वरीयता नहीं दी जाएगी

31 मार्च, 2015 तक टीडीबी ने 12 (बारह) उद्यम पूंजी निधियों (वीसीएफएस) में, 310.00 करोड़ रु. के कमिटमेंट /सहभागिता के साथ भागीदारी की जिसमें अन्य निवेशकर्ताओं की कुल भागीदारी 2408.00 करोड़ रु. की है।

The Technology Development Board takes a proactive role besides responding to the applications received from industrial concerns and other agencies. The idea is that TDB's support for technology development and commercialization should be comprehensive. In a proactive role, TDB has also participated in Venture Capital Funds to spread itself by providing support to early stage ventures through SMEs having innovation and innovative products / services. TDB's motivation and participation has resulted in the venture capitalists contouring their assistance to TDB's mission. TDB took a growth-oriented initiative by instituting the Seed Support Scheme for start-ups in Incubators in previous years to provide early stage financial assistance to the young entrepreneurs for bringing their innovative technology venture ideas to fruition. TDB has signed Memorandum of Understanding (MoUs) with select foreign institutions, namely, AgenceNationale De Valorisation de la Recherche (ANVAR), France, Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI), Spain and Commonwealth Business Council (CBC), UK to promote, assist and fund the development of joint technology cooperation for technology transfer, industrial research, technology development and innovation for the purpose of generating economic benefits.

Under the aegis of its mandate, TDB has encouraged development and commercialization of indigenous technologies through the above initiatives. The Board continued its association with the following initiatives during the year 2014-15.

Participation in Venture Capital Funds (VCFs)

In addition to the direct financial assistance to industrial concern attempting development and commercialization of indigenous technologies or adapting imported technology for wider domestic application, TDB participates in the technology focused Venture Capital Fund (VCF) to support technologically innovative viable ventures with the objective to spread itself by providing support to early stage ventures having innovation and innovative products / services.

The issue of participation in Venture Capital Funds (VCFs) by TDB was discussed on several occasions in Board Meetings. The Board considered TDB's participation in VCFs as an excellent tool for increasing geographical and technological spread and decided that TDB may continue to support the VCFs rigorously on the selective basis in high risk, high return technology oriented projects, as funding to technology oriented projects through VCF route has shown remarkable success and supported large number of projects.

The Board in its 44th meeting dated 17th March, 2010 decided to constitute a committee to consider and review the support provided by the TDB to Venture Capital Funds and suggest the methodology to be adopted for supporting the VCFs by TDB. The Board also finalized the following broad guidelines for participation of TDB in Venture Capital Funds during its 45th meeting dated 10th May, 2010:

- TDB funds will primarily be deployed in VCFs which have policy to invest in innovative and/ or technology oriented portfolio.
- Contribution in small to medium size fund would be preferred.
- The beneficiaries of the VCFs should be primarily from SMEs sector.
- The contribution by TDB in the VCF will normally be upto 15% of the fund size. Higher contribution can be considered in case of VCFs serving innovation for inclusive growth / industrially backward regions or first generation entrepreneurs upto 25%. In case the portfolio is 100% technology oriented even higher contribution by TDB can be considered based on Board approval.
- As an over sight mechanism, TDB representative will be a member of the Investment Committee of the VCF, to concur in proposals.
- The representative will be authorized to make exceptions to balance the portfolio.
- Track record of the Fund Manager would be considered.
- Financial services will not be preferred.

Upto 31st March, 2015, TDB continued its participation in 12 (twelve) VCFs and committed

भारत – स्पेन नवोन्मो कार्यकम (आईएसआईपी) के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाएं

31 मार्च, 2015 तक सीडीटीआई, स्पेन और टीडीबी के बीच इंडिया स्पेन इनोवेशन प्रोग्राम (आईएसआईपी) के तहत दोनो देशों के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रौद्योगिकी सहयोग के विकास / परियोजना हस्तांतरण एवं एसएमई विकास को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं नवीन खोज के क्षेत्र में सहायता करने और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कुल 8 (आठ) द्विपक्षीय परियोजनाओं के साथ अपना गठबंधन जारी रखा। परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

- **एफएक्सइंटेरेक्टिव** - स्टेकधारकों और फोरेक्स बाजार के बीच सम्पर्क के लिए उच्च प्रौद्योगिकी उपकरणों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना। इससे सम्बद्ध कंपनियां स्पेन की एफ एक्सस्ट्रीट और मेडिकल वीएम तथा भारत की आई-नो इंडिसेज है।
- **इन्टीग्रेसन सिक्यूरीटि सिस्टम** - यह एक इलेक्ट्रोनिक निगरानी तंत्रा है। इससे सम्बद्ध कंपनियां; स्पेन की रैनट्रिंग एस. एल. और भारत की रैनट्रिंग सॉटवेयर इंजीनियर्स प्रा. लि. है।
- **एससीयूटीबूएम** - इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य, माइक्रोकैप्सूलेड फेब्रिक्स, बेड शीट और कपड़ों, जिनमें मच्छर से बचा जा सके, की प्राप्ति के लिए विष रहित कीटनाशक माइक्रोकैप्सूल्स से सिंथेटिक और प्राकृतिक कपड़ा उद्योग के विकास एवं अनुप्रयोग में अनुसंधान है।
- **सीओडब्ल्यूबीयूएलएल** - प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और स्पेन तथा भारत के बीच फ्रेमवर्क के अन्तरण के द्वारा भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में केन्द्ररहित ग्राईंडिंग निर्माण प्रतिद्वन्द्विता को बढ़ाना।
- **बीटेन्सन** - यह दो स्पेनिश और दो भारतीय भागीदारों के 36 महीनों की अवधि की सहयोगी परियोजना है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्डों और इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरणों से प्रयुक्त किये जाने के लिए उन्नत एवं पर्यावरण-मित्र नई कम वोल्टेज की प्रौद्योगिकीयों का विकास है। इसे भविष्य में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में उतारा जायेगा।
- **बेंगाला** - यह 22 महीनों की अवधि की एक सहयोगी परियोजना है जिसमें एक स्पेनिश भागीदार, जो मुख्य भागीदार है और दूसरा अन्य भागीदार के रुप में भारतीय भागीदार है। इस परियोजना का उद्देश्य गंधों और सुगंधों के क्षेत्रा में, भारत जैसे देश में व्यापक संभावनाओं का परीक्षण और दोहन है।
- **स्कीड्स** - एक स्पेनिश भागीदार एवं एक भारतीय भागीदार के साथ एक 60 महीनों की अवधि वाली एक सहयोगात्मक परियोजना जो उन क्षेत्रों के लिए नए स्किड्स के विकास के लक्ष्य के साथ सहयोग करेगी जिनमें इन दोनों कम्पनियों की मुख्य उपस्थिति मौजूद है ताकि टर्नकी मिनी प्लांट की तरह एकल इकाई में विभिन्न प्रक्रिया को समेकित करके ये व्यापक समाधान बन सके।
- **एसएईक्लीम्बर इंडिया** - एक स्पेनिश भागीदार एवं एक भारतीय भागीदार के साथ एक 18 महीनों की अवधि वाली एक सहयोगात्मक परियोजना जो विकासशील देशों की निर्माण कार्य आवश्यकताओं के अनुकूल उत्पादों की एक श्रृंखला के विकास करने के उद्देश्य से सहयोग करेगी जहां उच्च वाल्यूम उपकरणों और अधिक ऊंचाई वाली इमारतों की मांग अधिक हो।

इन्क्यूबेटर्स में शुरुआतकर्ताओं के लिए सीड सहायता स्कीम

टीडीबी ने युवा उद्यमियों का संवर्धन करने तथा अपने नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी उद्यम संबंधी विचारों का फलदायक स्थिति तक लाने और अंततः बाजार तक उन्हें पहुंचाने के लिए अत्यंत आवश्यक शुरुआती / आरंभिक स्तर की पूंजी प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स (टी बी आई एस) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्कों (एस टी ई पी एस) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा। इससे कुछ नवोन्मेषी विचारों / प्रौद्योगिकीयों को उस स्तर तक ले जाने में सहायता करेंगे जहां ये सफल वाणिज्यीकरण के अपने मार्ग पर टीडीबी / एफ आई एस माध्यों के द्वारा सामान्य ऋण प्राप्त करने के लिए उपयुक्त होंगे। अतः प्रस्तावित सहायता को प्रौद्योगिकीयों के विकास एवं वाणिज्यीकरण के बीच एक सेतु के रुप में कार्य करने के लिए तैयार किया गया है।

टीडीबी ने वर्ष 2005-06 के दौरान प्रौद्योगिकीय विचारों का संवर्धन करने के लिए इन्क्यूबेटर्स में शुरुआतकर्ताओं के लिए सीड सहायता स्कीम के अंतर्गत पांच प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स (टी बी आई एस) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्कों (एस टी ई पी एस) को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस स्कीम ने अच्छी प्रगति की है। टीडीबी ने इस स्कीम का विस्तार किया और 2007-08 में दूसरे चरण में 100.00 लाख रु. प्रत्येक सहित अन्य 5 (पांच) इन्क्यूबेटर्स, 2009-10 में तीसरे चरण में 100.00 लाख रु. प्रत्येक सहित 5 (पांच) इन्क्यूबेटर्स, 2010-11 में चौथे चरण में 100.00 लाख रु. प्रत्येक सहित 9 (नौ) इन्क्यूबेटर्स एवं पांचवे चरण में 100.00 लाख रु. प्रत्येक सहित 12 (बारह) इन्क्यूबेटर्स को सहायता प्रदान की है।

investment of Rs. 310.00 crore leveraging total fund aggregating to Rs. 2408.00 crores from other investors.

Projects Approved under India Spain Innovating Program (ISIP)

Upto 31st March, 2015, TDB continued its association with total eight (8) bilateral projects under India Spain Innovating Program (ISIP) between CDTI, Spain and TDB to promote, assist and fund the development of joint technology cooperation / transfer projects and for supporting SME growth via technology transfer and innovation for the purpose of generating economic benefits to both the countries. The details of the projects are as follows:-

- **FXINTERACTIVE** – International Project for the high technology tools for the interaction between the stakeholders of the forex market. The companies involved were Fxtreet and Medical VM from Spain and I-Know Indices from India.
- **Integration Security System** – An Electronic Surveillance System. The companies involved were RANTRING S. L. from Spain and RANTRING Software Engineers Pvt. Ltd., India.
- **SCUTUM** – The main aim of this project is to research in the development and application of non-toxic insecticide microcapsules to synthetic and natural textiles, in order to obtain microencapsulated fabrics, bed sheet and clothes that avoid the mosquito bites.
- **COWBULL**–Increase of Centerless Grinding Manufacturing Competitiveness in Indian and International Markets due to a technology development and transfer framework between Spain and India.
- **BTENSION** – It is a collaborative 36 months duration project with two Spanish partners and two Indian partners that will collaborate with the aim of developing advanced and eco-friendly new low voltage technologies to be applied to distribution boards and electromechanical devices that in future will be commercialized in national and international markets.
- **BENGALA** – It is a collaborative 22 months duration project with one Spanish partner as main participant and one Indian partner as other partner. The aim of the project is to test and exploit the vast possibilities that a country like India offers in the Flavors and Fragrances field.
- **SKIDS** - A collaborative 60 months duration project with one Spanish partner and one Indian partner that will collaborate with the aim of development of new skids for the sectors in which these companies have major presence, so that they could become comprehensive solutions integrating various process stages into a single unit like a turnkey mini plant.
- **SAECLIMBER INDIA**- A collaborative 18 months duration project with one Spanish partner and one Indian partner that will collaborate with the aim to develop a product line to fit the needs on construction on the developing countries, where the needs are on high volume equipment and high rise buildings.

Seed Support Scheme for Start-Up in Incubators

TDB continued to provide financial support to Technology Business Incubators (TBIs) and Science & Technology Entrepreneurs Parks (STEPs) to extend much needed early stage /start-up capital to young entrepreneurs to incubate and to bring their innovative technology venture ideas under development to fruition and finally to reach the market place. This would enable some of these innovative ideas/ technologies to graduate to a level where they can then be fit for seeking normal lending through TDB/ FI's route on their way to successful commercialization. Thus the proposed assistance is positioned to act as a bridge between development & commercialization of the technologies.

TDB provided financial assistance to five Technology Business Incubators (TBIs) and Science & Technology Entrepreneurs Parks (STEPs) under Seed Support Scheme for Start-up in Incubators to incubate technological ideas during 2005-06. This scheme has progressed well and TDB extended the scheme and supported another five incubators for

प्रौद्योगिकीय विचारों, प्रयोगशाला स्तर की प्रौद्योगिकीयों और प्रौद्योगिकीय उद्यमिता के संवर्धन का पोषण करने के लिए टीडीबी ने 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार 36 (जिसमें दोबारा वित्तीय सहायता प्राप्त 4 टीबीआईएस/एसटीईपीएस शामिल है) प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स (टीबीआईएस) एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्कों (एसटीपीईएस) को सहायता प्रदान की है। इन इन्क्यूबेटर्स ने 150 से अधिक इन्क्यूबेटीज कम्पनियों को उनकी दूरसंचार, सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स, कृषि, यंत्रीकरण, इंजीनियरिंग, पर्यावरण, फार्मा, खाद्य, सौर, वस्त्र एवं जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है।

Rs.100.00 lakh each in the second round in 2007-08, five incubators for Rs.100.00 lakh each in the third round in the year 2009-10, nine incubators for Rs.100.00 lakh each in the fourth round in the year 2010-11 and twelve incubators for Rs.100.00 lakh each in the fifth round in 2011-12.

To nurture the incubation of technological ideas, lab scale technologies and technological entrepreneurship, TDB has extended support to thirty six (which includes two times financial support to four TBIs/STEPs) Technology Business Incubators (TBIs) and Science and Technology Entrepreneurship Parks (STEPs) as on 31st March, 2015. These Incubators have provided assistance to more than 150 Incubatee companies for their projects which are in the areas of telecom, software, robotics, agriculture, instrumentation, engineering, environment, pharma, food, solar, textile and biotechnology etc.

प्रोन्नति संबंधी गतिविधियाँ
Promotional Activities

प्रौद्योगिकी दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने किसी औद्योगिक कंपनी द्वारा 'स्वदेशी प्रौद्योगिकी के सफल वाणिज्यीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' स्थापित करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय पुरस्कार में दो प्रकार के घटक शामिल है: (1) वे औद्योगिक इकाईयां जिन्होंने स्वदेशी प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक वाणिज्यीकरण किया है और (2) ऐसी प्रौद्योगिकीयों के विकासकर्ता / प्रदाता। प्रत्येक में रु. 10 लाख का नकद पुरस्कार और एक ट्राफी होती है। पहली बार यह राष्ट्रीय पुरस्कार 11 मई, 1999 को प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए थे तत्पश्चात् प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर अर्थात् 11 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

एस एस आई इकाई के लिए पुरस्कार

अगस्त, 2000 में टीडीबी ने इन एस एस आई इकाई, जिन्होंने सफलतापूर्वक प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद का वाणिज्यीकरण किया, को 2 लाख रु. और एक ट्राफी का पुरस्कार आरंभ किया। प्रथम एस एस आई यूनिट पुरस्कार 11 मई, 2001 को प्रदान किया गया तत्पश्चात् प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर अर्थात् 11 मई को प्रत्येक वर्ष एस एस आई यूनिट के लिए पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2011-12 में नकद पुरस्कार को 5 लाख रु. में परिवर्तित कर दिया गया।

राष्ट्रीय पुरस्कार 2014

11 मई, 2014 को डी एस टी, नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी दिवस समारोह-2014 मनाया गया । प्रौद्योगिकी दिवस व्याख्यान प्रो. अशोक झुनझुनवाला आई आई टी, मद्रास द्वारा दिया गया।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के कारण, टीडीबी ने वर्ष 2014 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार एवं एसएसआई इकाई पुरस्कार प्रस्तावों के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया।

उद्योगों के साथ पारस्परिक बैठकें

टीडीबी ने उद्योगों, संभावित उद्यमियों और प्रौद्योगिकी प्रदानकर्ताओं के साथ उद्योग संघों और आर एंड डी संगठनों इत्यादि के साथ बहुत सी बैठकें आयोजित की। टीडीबी ने विभिन्न प्रदर्शनियों में भी भाग लिया।

इन बहुविध प्लेटफॉर्मों के माध्यम से टीडीबी ने उद्योगों, आर एंड डी संगठनों, अकादमी संस्थानों, वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध संगठनों इत्यादि में विशेषकर देश में विकसित प्रौद्योगिकी के लिए उनके वाणिज्यीकरण प्रयासों के लिए आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता की उपलब्धता के बारे में जागरुकता फैलाती है।

इस प्रकार की बैठकें सितम्बर, 1996 से भारत और विदेशों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत अहमदाबाद, बैंगलोर, बेईजिंग (चीन), ब्रुसेल्स (बेल्जियम), भोपाल, भुवनेश्वर, बिकानेर, बुडापेस्ट (हंगरी), कायरो (मिस्त्र), चंडीगढ़, चेन्नई, चिदम्बरम, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली, देवनगेरे, गुजरात, गुडगांव, गुवाहाटी, ग्रेटर नोएडा, हनोवर (जर्मनी), हैदराबाद, हुबली, इम्फाल, इंदौर, इस्ताम्बूल (टर्की), जयपुर, झुनझुनु, जम्मू, जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रिका), कानपुर, केरल, कोची, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, मैड्रिड (स्पैन), मदुरई, मुम्बई, मैसूर, नई दिल्ली, नोएडा, नागपुर, नैनीताल, ऑक्सफोर्ड (यू. के), पिलानी, पुने, राजामुन्द्री, राजापलायम, राजकोट, रुरकी, रुद्रपुर, साओ पाउलो (ब्राजील), शिलोंग, शिमला, तमिलनाडु, थेस्सालोनिकी (ग्रीस), तिरुवनन्तपुरम, तिरुचिरापल्ली, उदयपुर, वापी, वेल्लोर, विजयवाडा में आयोजित की गई।

टीडीबी द्वारा अब तक हस्ताक्षर किए गए करारों का राज्यवार वितरण का विश्लेषण यह दर्शाता है कि वाणिज्यीक उद्यमियों को देशीय प्रौद्योगिकीयों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक प्रयास करने की जरुरत है एवं अब तक कवर नहीं किए गए अन्य राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में प्लांट लगाए जाने चाहिए।

टीडीबी ने देश भर में फैले चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड संघों एवं संस्थानों के घनिष्ठ समन्वय में कार्यशालाएं आयोजित की और भागीदारी की। टीडीबी के अधिकारियों ने वर्ष 2014-15 के दौरान प्रदर्शनियों में भाग लिया और उद्योगों एवं संस्थानों के साथ पारस्परिक बैठकें आयोजित की जिनकी सूची निम्नलिखित है :-

6-8 अक्टूबर, 2014

टीडीबी ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 6-8 अक्टूबर, 2014 को आयोजित अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) पुरस्कार स्कीम के तहत चौथी राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता में भाग लिया।

18-21 नवम्बर, 2014

टीडीबी ने भारतीय उद्योग महासंघ (सी आई आई) द्वारा इण्डिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एन सी आर में 18-21 नवम्बर, 2014 को आयोजित भारत - अमेरिका प्रौद्योगिकी सम्मेलन एवं ज्ञान में भाग लिया। उद्योग से बड़ी संख्या में स्टेक धारकों, भारत, अमेरिका और अन्य देशों से सरकार और संस्थानों प्रदर्शक, वक्ता और प्रतिनिधियों द्वारा नीति संबंधी बातचीत, व्यापार सत्र, बीटूबी की बैठकें, जीटूजी बैठकें, बी2जी बातचीत और साथ ही प्रौद्योगिकी सघन उत्पादों और सेवाओं के प्रदर्शन में भाग लिया।

वेब साईट

टीडीबी के लिए वेबसाईट निम्नलिखित पते पर उपलब्ध है :-
www.tdb.gov.in

National Awards on Technology Day

The Technology Development Board instituted a 'National Award for Successful Commercialization of Indigenous Technology' by an industrial concern. The National Award consists of two components: (i) to the industrial concern that has successfully commercialized the indigenous technology and (ii) to the developer/ provider of such technology. Each component carries a cash award of Rupees ten lakh and a trophy. The National Award was given for the first time on the occasion of the Technology Day on 11th May 1999 and thereafter, it has been decided to give the National Awards every year on the Occasion of Technology Day i.e. 11th May.

Award for SSI unit

In August 2000, TDB introduced a cash award of Rs. 2 lakh and a trophy to an SSI unit that has successfully commercialized a technology-based product. The first SSI award was given on 11th May, 2001 and thereafter it has been decided to give the Award for SSI Unit every year on the Occasion of Technology Day. The cash awards were later revised to Rs. 5 lakh in the year 2011-12.

National Award 2014

Technology Day was celebrated on 11th May, 2014 at DST, New Delhi. The Technology Day Lecture was delivered by Prof. Ashok Jhunjhunwala, IIT Madras.

In view of guidelines from the Election Commission of India, the Board did not issue the call for proposal for the National Award and SSI Unit Awards for the year 2014.

Interactive Meetings with Industry

TDB organised a series of interactive meetings with industry, potential entrepreneurs and technology providers through the industry associations and R&D organizations, etc. TDB also participates in various exhibitions.

Through these multifunctional platforms, TDB aims at creating an awareness amongst the Industries, R&D Organisations, Academic Institutions, Scientific and Industrial Research Organisations, etc., on the availability of financial assistance on soft terms for their commercialization efforts especially for indigenously developed technologies.

Such meetings have been held in India and abroad under the Ministry of Science & Technology at Ahmedabad, Bangalore, Beijing (China) Brussells (Belgium), Bhopal, Bhubaneswar, Bikaner, Budapest (Hungary), Cairo (Egypt), Chandigarh, Chennai, Chidambaram, Coimbatore, Dehradun, Delhi, Devangere, Gujarat, Gurgaon, Guwahati, Greater Noida, Hannover (Germany), Hyderabad, Hubli, Imphal, Indore, Istanbul (Turkey), Jaipur, Jhunjhunu, Jammu, Johannesburg (South Africa), Kanpur, Kerala, Kochi, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Madrid (Spain), Madurai, Mumbai, Mysore, New Delhi, Noida, Nagpur, Nainital, Oxford (UK), Pilani, Pune, Rajahmundry, Rajapalayam, Rajkot, Roorkee, Rudrapur, Sao Paulo (Brazil), Shillong, Shimla, Tamilnadu, Thessaloniki (Greece), Thiruvananthapuram, Tiruchirappalli, Udaipur, Vapi, Vellore and Vijayawada, since September 1996.

An analysis of the state-wise distribution of agreements signed so far by TDB indicates that more efforts are needed to encourage commercial enterprises to adopt indigenous technologies and set up plants in other States and Union Territories that have not been covered so far.

TDB has participated and organized workshops in close coordination with chambers of commerce, trade associations and institutions spread all over the country. TDB officers participated in exhibitions and interactive meetings held with industry and institutions during 2014-15. These are listed below:

October 6th – 8th, 2014

TDB participated in 4th National Level Exhibition and Project Competition under Innovation in Science Pursuit for Inspired Research (INSPIRE) Award Scheme held on 6th – 8th October, 2014 at Pragati Maidan, New Delhi.

November 18th – 21st, 2014

TDB participated in India – U.S. Technology Summit & Knowledge held on 18th – 21st November, 2014 at India Expo Centre, Greater Noida, Delhi NCR organized by Confederation of Indian Industry (CII), New Delhi. A large number of stakeholder from industry, government and institutions from India, U.S. and other countries participated in this event as exhibitors, speakers and delegates to take part in policy dialogues, business sessions, B2B meetings, G2G meetings, B2G interactions and also in exhibiting technology intensive products and services.

Web Site
The web-site for TDB is available on the following address:
www.tdb.gov.in

अनुसंधान एवं विकास उपकर

Research and Development Cess

अनुसंधान एवं विकास उपकर अधिनियम 1986 यथा संशोधित 1995 को प्रौद्योगिकी के आयात के लिए सभी भुगतान पर लेवी और उपकर के समाहरण करने के लिए बनाया गया है। उपकर की दर 5 प्रतिशत है। औद्योगिक इकाईयाँ जो कि ऐसे आयातों के लिए भुगतान करने अथवा भुगतान किए जाने से पूर्व प्रौद्योगिकी आयात करती है, पर उपकर देय होता है। यह उपकर भारत के संचित निधि में जमा होता है। इसको देश में विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण और विदेशी प्रौद्योगिकी को वृहत रुप से घरेलू उपयोग के लिए अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एकत्र किया जाता है।

भारत सरकार, उपकर समाहरण विनियोजन के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास और उसके प्रयोग के लिए फंड का भुगतान करती है जिसे देश में विकसित प्रौद्योगिकी के विकास एवं वाणिज्यीकरण और आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह निधि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा प्रशासित की जाती है।

उपकर, समाहरण एवं भुगतान (1997 – 2015)

निम्नलिखित सारणी 1996-97 (जिस वर्ष प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, भारत सरकार द्वारा गठित किया गया) से वर्षवार उपकर समाहरण, टीडीबी को आवंटन तथा भुगतान को दर्शाती है:-

अनुसंधान एवं विकास उपकर, समाहरण एवं संवितरण

(करोड़ रु. में)

वर्ष	उपकर समाहरण (सी.ए.जी. के आंकड़े)	टीडीबी को आवंटन		सरकार द्वारा टीडीबी को किया गया वास्तविक भुगतान
		अनुमानित बजट	संशोधित बजट	
1996-97	80.13	30.00	30.00	29.97
1997-98	81.42	70.00	49.93	49.93
1998-99	81.10	50.00	20.00	28.00
1999-00	88.93	70.00	50.00	50.00
2000-01	98.91	70.00	63.00	62.79
2001-02	95.30	63.00	57.00	57.00
2002-03	99.47	58.00	56.00	56.00
2003-04	119.51	55.00	53.65	53.65
2004-05	156.99	54.00	48.10	48.10
2005-06	176.61	43.50	42.65	42.66
2006-07	186.56	33.50	04.90	04.32
2007-08	254.09	63.00	60.00	19.00
2008-09	310.33	20.80	04.67	–
2009-10	418.22	50.00	20.00	–
2010-11	592.22	50.00	50.00	5.00
2011-12	702.54	50.00	50.00	–
2012-13	685.62	50.00	50.00	22.50
2013-14	737.54	50.00	35.00	13.50
2014-15	906.78	211.06	49.85	6.75
कुल	**5872.27**	**1141.86**	**794.75**	**549.17**

वर्ष 1996-2015 की अवधि के दौरान अनुसंधान एवं विकास उपकर समाहरण के कुल 5872.27 करोड़ रु. में से सरकार ने 19 वर्षों (1996-2015) के दौरान टीडीबी को 549.17 करोड़ रु. की संचित राशि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के गैर-योजना व्यय में से अनुदान सहायता के रुप में उपलब्ध कराया गया।

The Research and Development Cess Act, 1986, as amended in 1995, provides for the levy and collection of cess on all payments made towards the import of technology. The rate of cess is 5 percent. The cess is payable by an industrial concern which imports technology on or before making any payments towards such import. The proceeds of the cess are credited to the Consolidated Fund of India. The cess is levied and collected for the purpose of encouraging the commercial application of indigenously developed technologies and for adapting imported technologies for wider domestic application.

Out of the cess collections, the Government of India, through appropriations made by Parliament, pay to the Fund for Technology Development and Application to be utilized for development and commercialization of indigenous technology and adaptation of imported technology. The Fund is administered by the Technology Development Board.

Cess Collections and Payments (1997-2015)

The following table indicates the year-wise cess collection from 1996-97 (the year in which the Technology Development Board was constituted by the Government) and allocations to TDB and payments to TDB.

Research and Development Cess, Collections and Disbursements

(Rs. in Crore)

Year	Cess Collection (CAG's Figures)	Allocation to TDB		Actual Payment to TDB
		Budget Estimate (BE)	Revised Estimate (RE)	
1996-97	80.13	30.00	30.00	29.97
1997-98	81.42	70.00	49.93	49.93
1998-99	81.10	50.00	20.00	28.00
1999-00	88.93	70.00	50.00	50.00
2000-01	98.91	70.00	63.00	62.79
2001-02	95.30	63.00	57.00	57.00
2002-03	99.47	58.00	56.00	56.00
2003-04	119.51	55.00	53.65	53.65
2004-05	156.99	54.00	48.10	48.10
2005-06	176.61	43.50	42.65	42.66
2006-07	186.56	33.50	04.90	04.32
2007-08	254.09	63.00	60.00	19.00
2008-09	310.33	20.80	04.67	0.00
2009-10	418.22	50.00	20.00	0.00
2010-11	592.22	50.00	50.00	5.00
2011-12	702.54	50.00	50.00	0.00
2012-13	685.62	50.00	50.00	22.50
2013-14	737.54	50.00	35.00	13.50
2014-15	906.78	211.06	49.85	6.75
Total	**5872.27**	**1141.86**	**794.75**	**549.17**

A total of Rs. 5872.27 crore was collected through R&D cess during the years 1996-2015. A cumulative sum of Rs. 549.17 crore over the period of 19 years (1996-2015) has been made available through Grant-in-aid from non-plan expenditure of Department of Science & Technology.

प्रशासन | Administration

वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखे

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 के अध्याय 12 में यह उल्लेख है कि बोर्ड अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की गतिविधियों का पूरा वर्णन किया जाएगा। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम के धारा 13 (4) के अनुसार बोर्ड केन्द्र सरकार को लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ अपनी लेखाओं की लेखा परीक्षित प्रति प्रस्तुत करेगा।

टीडीबी की वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षित प्रति राज्य सभा एवं लोक सभा के पटल पर क्रमशः दिनांक 07.05.2015 और 06.05.2015 को रख दी गई है।

टीडीबी सचिवालय

नए पदधारी

- श्री प्रवीन शर्मा, अनुभाग अधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने दिनांक 17.04.2014 से प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड में अवर सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया।
- डा. मैत्री नंदा, वैज्ञानिक 'एफ', डीआरडीओ ने दिनांक 17.04.2014 से प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड में वैज्ञानिक 'जी' के रूप में पदभार ग्रहण किया।
- डा. चैताली भट्टाचार्य, प्रमुख, अनुसंधान एवं विकास, टेरी ने दिनांक 15.05.2014 से प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड में वैज्ञानिक 'डी' के रूप में पदभार ग्रहण किया।

आयकर छूट

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी बी डी टी), नई दिल्ली ने टीडीबी को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10[23सी (iv), के तहत आकलन वर्ष 2000-01 और आगे के लिए 18 मई, 2007 के एवं 21 मई, 2007 को जारी अधिसूचना सं. 173/2007 के तहत छूट प्रदान की है।

राजभाषा कार्यान्वयन

टीडीबी ने अपने गठन के समय से सरकार के राजभाषा संबंधी विभिन्न प्रावधानों को कार्यान्वित किया है और अधिसूचनाएं, वार्षिक रिपोर्ट, परियोजना वित्तपोषण दिशा निर्देश, ब्रोशर्स, वाउचर्स इत्यादि को हिन्दी एवं अंग्रेजी रूप में मुद्रित किया है। विभिन्न प्रदर्शनियों में दर्शाए जाने वाली प्रदर्शन संबंधी वस्तुओं / पैनलों को हिन्दी एवं अंग्रेजी में तैयार किया गया है।

Annual Report and Audited Accounts

Section 12 of the Technology Development Board Act, 1995, prescribes that the Board shall prepare its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year. As per section 13(4) of the Technology Development Board Act, the Board has to furnish to the Central Government, its audited copy of accounts together with auditor's report.

The Annual Report, including audited copy of the Annual Accounts of the Technology Development Board for the year 2013-14 was laid before Rajya Sabha and Lok Sabha on 07.05.2015 and 06.05.2015 respectively.

TDB Secretariat

New Incumbent

- Shri Praveen Sharma, Section Officer from Department of Science & Technology (DST) has joined the Technology Development Board as Under Secretary w.e.f. 17.04.2014.
- Dr. Maitreyee Nanda, Scientist 'F' from DRDO has joined the Technology Development Board as Scientist 'G' w.e.f 17.04.2014.
- Dr. Chaitali Bhattacharya, Head, R&D from TERI has joined the Technology Development Board as Scientist 'D' w.e.f. 15.05.2014.

Income Tax exemption

The Central Board of Direct Taxes (CBDT), New Delhi has granted exemption to TDB - u/s 10[23C(iv)] of the Income Tax Act, 1961 for the further period i.e. Assessment Year 2000-01 and onwards vide notification no. 173/2007 dated 18th May, 2007 issued on 21st May, 2007.

Implementation of Official Language

The Technology Development Board, since its inception, has implemented various provisions pertaining to the official language of the Union, and had printed Notifications, Annual Reports, Project Funding Guidelines, Brochures, Vouchers etc. in Hindi and English. The exhibits / panels are prepared in Hindi and English for display in various exhibitions.

समितियाँ | Committees

प्रारंभिक जांच समिति के सदस्य

अग्रवाल, एस. पी.	पूर्व-जीएम, बैंक ऑफ बडौदा, नई दिल्ली
आहुजा, ए. सी.	भूतपूर्व सीएमडी, आईएफसीआई नई दिल्ली
बुधिराजा, रेणु	निदेशक एवं एचओडी, ई-गवर्नेंस ग्रुप, आईटी विभाग, नई दिल्ली
दीक्षित, अपर्णा	प्रोफेसर, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जे एन यू, नई दिल्ली
गोडसे, विनायक	निदेशक, डाटा सुरक्षा, भारतीय डाटा सिक्यूरिटी काउंसिल, नई दिल्ली
वार्सनेय, के. सी.	भूतपूर्व ईडी, आईडीबीआई, नई दिल्ली
कटोच, डी. सी. (डॉ.)	संयुक्त सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली
कटपालिया, गीता (डॉ.)	वैज्ञानिक 'एफ', इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग, कम्यूनिकेशन एवं आईटी मंत्रालय, नई दिल्ली
कुमार, मनोज	एसोसिएट प्रोफेसर, कम्प्युटर इंजीनियरिंग विभाग, दिल्ली टेक्नालॉजी, लोधी रोड़, नई दिल्ली
तयाल, कुमार देवेन्द्र (डॉ.)	एसोसिएट प्रोफेसर एवं पूर्व अध्यक्ष, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नीकल विश्वविद्यालय, दिल्ली

INITIAL SCREENING COMMITTEES

Agarwal, S.P.	Ex-GM, Bank of Baroda, New Delhi
Ahuja, A. C.	Former CMD, IFCI VCF, New Delhi
Budhiraja, Renu	Director & HOD, e-Governance Group, Department of Information Technology, New Delhi
Dixit, Aparna	Professor, School of Biotechnology, JNU, New Delhi
Godse, Vinayak	Director, Data Protection, Data Security Council of India.
Varshney, K.C.	Former ED, IDBI, Greater Kailash-II, New Delhi
Katoch, D.C. (Dr.)	Joint Advisor (Ayurveda), Department of Ayush, Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi, Ministry of AYUSH, New Delhi.
Katpalia, Geeta (Dr.)	Scientist 'F', (Innovation & IPR Cell), Deptt. of Electronic & IT, Electronic Niketen, Ministry of Communications and Information, New Delhi
Kumar, Manoj	Associate Professor, Computer Engineering Department, Delhi Technology, Lodhi Road, New Delhi.
Tayal, Kumar Devendra (Dr.)	Associate Professor & Ex-Head, Indira Gandhi Delhi Technical University, Delhi

परियोजना मूल्यांकन एवं परियोजना अनुविक्षण समितियों के विशेषज्ञों के नाम

अग्रवाल, एस. पी.	पूर्व-जीएम, बैंक ऑफ बरौदा, नई दिल्ली
अग्रवाल, अनुराग (डॉ.)	वैज्ञानिक, इंस्टीट्यूट ऑफ जिनोमिक्स एण्ड इण्टिग्रेटिव बायलोजी (आईजीआईबी), नई दिल्ली
ब्रहादेशवर, बेजावदा (डॉ.)	सहायक प्रोफेसर, सेंटर फॉर सिक्युरिटी, थ्योरी एण्ड अल्गोरिथमिटिक रिसर्च, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
चौकालिंगम, ए. (डॉ.)	प्रोफेसर, इलैक्ट्रीकल संचार इंजीनियरिंग विभाग, आई आई एस सी, बैंगलोर
चौधरी, एम. सी.	भूतपूर्व निदेशक (तकनीकी), टीसीआईएल, नई दिल्ली
धुमल, जयसिंह	मुख्य संयोजक, टीएफजी, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, मुम्बई
ई. वी. थॉमसकुट्टी	सेवानिवृत ए. जी. एम. फेडरल बैंक, एर्नाकुलम नार्थ, केरल
गुप्ता, प्रवीन	चार्टर्ड एकाउटेंट, मेसर्स के. एस. गुप्ता एंड कम्पनी, नई दिल्ली
कुमार, राजेश	महाप्रबंधक (टीएफ), बीएसएनएल कॉरपोरेट ऑफिस, नई दिल्ली
करूणाकरन, के. पी. (डॉ.)	प्रोफेसर, यांत्रिकी इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बाम्बे, मुम्बई
कोतवाल, पी. पी. (प्रो.)	प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, अस्थिरोग विभाग, एम्स, दिल्ली
मोहनन, पी. वी. (डॉ.)	वैज्ञानिक 'एफ' और वैज्ञानिक प्रभारी, विष विज्ञान प्रभाग, श्री चित्रा तिरूनल चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम-695011 केरल
मूथू, एम. वी.	पूर्व कार्यकारी निदेशक-आई एफ सी आई, बैंगलोर
मल्होत्रा, आर. के. (डॉ.)	पूर्व निदेशक, आर एण्ड डी सेंटर, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन, फरीदाबाद
निवासकर, मनीष (डॉ.)	निदेशक, बी.वी. पटेल फार्मास्यूटिकल्स शिक्षा एवं अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, अहमदाबाद - 380054
प्रधान, बी. डी. (डॉ.)	सेवानिवृत प्रोफेसर, आई आई टी, बॉम्बे
राव, बसूतकर जे. (डॉ.)	वरिष्ठ प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च
राय, शांतनु (प्रो.)	एसोसिएट प्रोफेसर, केमिकल इंजीनियरिंग विभाग, आई आई टी - दिल्ली
शास्त्री, एम. वी. कृष्णा (डॉ.)	वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, एन सी सी एस काम्पलैक्स, पुणे
शर्मा, पी. अनंता	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, भू तल, एम एस एम ई विकास केन्द्र, मुम्बई
शिवासुब्रहमण्यम, वी (डॉ.)	निदेशक - टेक फिकोंस्पेक्ट्रम पर्यावरण अनुसंधान केन्द्र (पी ई आर सी), चैन्नई
वार्सनेय, के. सी.	पूर्व ईडी - आईडीबीआई, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली

PROJECT EVALUATION AND PROJECT MONITORING COMMITTEES

Aggarwal, S.P.	Ex-GM, Bank of Baroda, New Delhi
Agrawal, Anurag (Dr.)	Scientist, Institute of Genomics and Integrative Biology (IGIB), New Delhi
Bruhadeshwar, Bezawada (Dr.)	Assistant Professor, Centre for Security, Theory & Algorithmic Research, IIIT, Hyderabad.
Chockalingam, A. (Dr.)	Professor, Department of Electrical Communication Engineering, IISc, Bangalore.
Chaudhary, M. C.	Former Director (Technical), TCIL, New Delhi
Dhumal, Jaisingh	Chief Manager, Technology Finance Group, ICICI Bank Limited, Mumbai.
E.V. Thomaskutty	Retd. AGM, Federal Bank, Ernakulam North, Kerala
Gupta, Praveen	Chartered Accountant, M/s K. S. Gupta & Co., New Delhi
Kumar, Rajesh	General Manager (TF), BSNL Corporate Office, New Delhi
Karunakaran, K.P. (Dr.)	Professor, Department of Mechanical Engineering, Indian Institute of Technology, Bombay, Mumbai.
Kotwal, P. P. (Prof.)	Professor and Head, Department of Orthopedics, AIIMS, New Delhi
Mohanan, P.V. (Dr.)	Scientist 'F' & Scientist In-charge, Toxicology Division Shree Chitra Tirunal Institute of Medical Science & Technology, Trivandrum-695011, Kerala
Muthu, M.V.	Fromer Executive Director- IFCI, Bangalore
Malhotra, R. K. (Dr.)	Former Director, R&D Centre, Indian Oil Corporation, Faridabad
Nivsakar, Manish (Dr.)	Director, B.V. Patel Pharmaceutical Education and Research & Development Centre, Ahmedabad-380054.
Pradhan, B.D. (Dr.)	Retired Professor, IIT Bombay
Rao, Basuthkar J (Dr.)	Senior Professor, Department of Biotecnology Science, Tata Institute of Fundamental Research.
Roy, Shantanu (Prof.)	Associate Professor, Department of Chemical Engineering, IIT-Delhi, New Delhi
Sastry, Krishna M.V. (Dr.)	Senior Scientist , National Centre for Cell Science, NCCS Complex, Pune.
Sarma, P. Ananta	Chief Executive Officer, SIDBI Venture Capital Limited, Ground Floor, MSME Development Centre, Mumbai
Sivasubramanian, V. (Dr.)	Director-Tech, Phycospectrum Environmental Research Center (PERC), Chennai
Varshney, K.C.	Former ED, IDBI, Greater Kailash- II, New Delhi

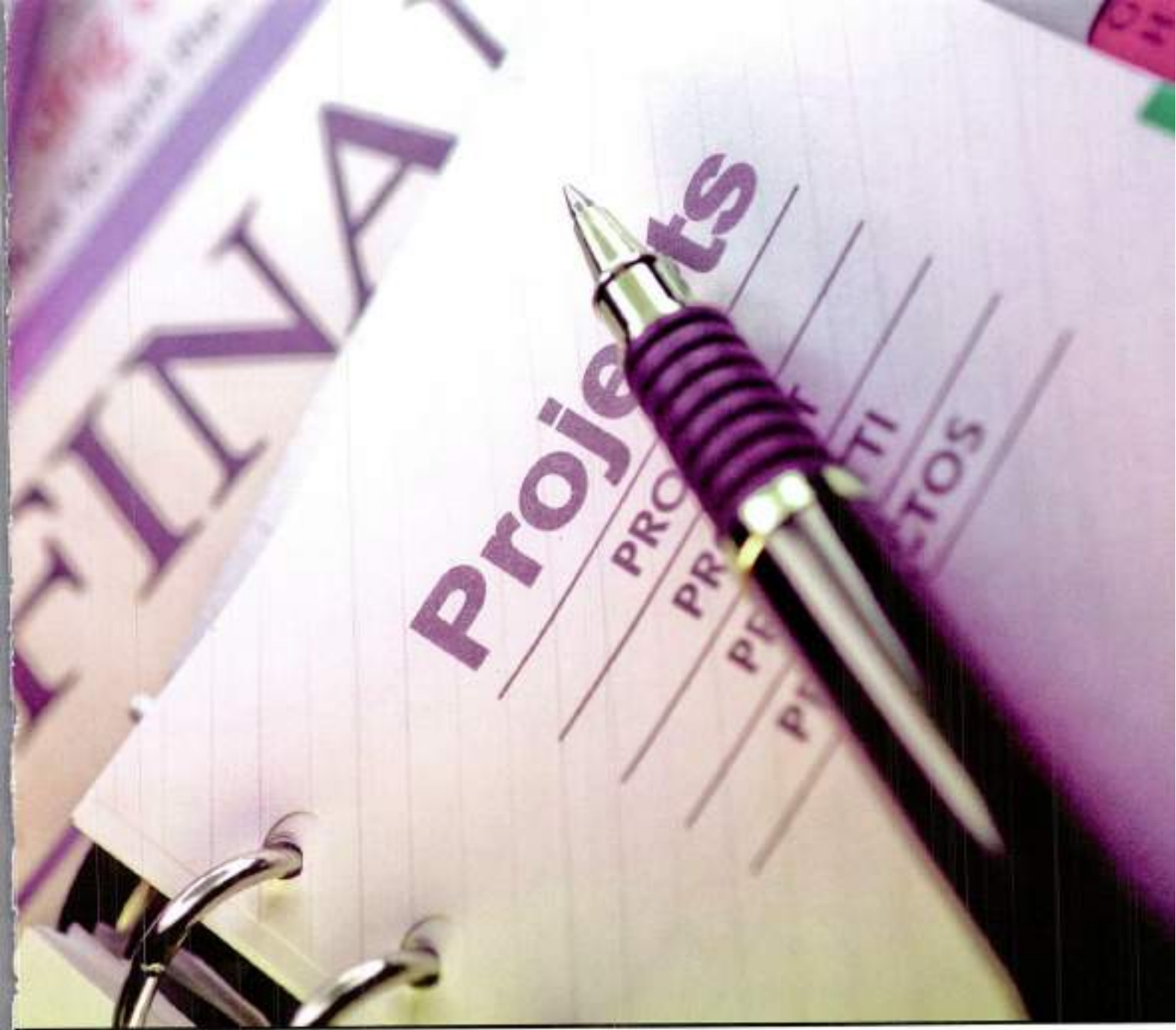

वित्तीय विवरण | Financial Statements

तुलन-पत्र

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

कॉरपस / कैपिटल फंड और दायित्व	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
कॉरपस / कैपिटल फंड	1	8,76,60,25,760	8,22,44,92,488
रिजर्व और सरप्लस	2		-
निर्धारित / इनडॉवमेंट फंड	3	2,75,35,158	2,64,77,686
सुरक्षित ऋण और लेनदारी	4		-
असुरक्षित ऋण और लेनदारी	5		-
आस्थगित क्रेडिट दायित्व	6		-
वर्तमान दायित्व और प्रावधान	7	1,16,49,245	1,21,56,953
कुल		**8,80,52,10,163**	**8,26,31,27,127**
परिसम्पतियाँ			
निर्धारित परिसम्पत्तियाँ	8	42,61,110	53,76,574
निर्धारित इनडॉवमेंट फंड में निवेष	9	65,99,000	65,99,000
निवेश – अन्य	10	1,91,17,41,823	1,86,57,68,670
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	6,88,26,08,230	6,38,53,82,883
विविध खर्चे (छूट न दिए जाने अथवा समायोजित न किए जाने की सीमा तक)			-
कुल		**8,80,52,10,163**	**8,26,31,27,127**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		-
आकस्मिक दायित्व और लेखों पर टिप्पणियाँ	25		-

ह./–
(नीरज केला)
निदेशक
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

ह./–
(डा. मैत्रेयी नंदा)
वैज्ञानिक 'जी'
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

ह./–
(प्रो. आशुतोष शर्मा)
अध्यक्ष
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

BALANCE SHEET

As at 31st March, 2015

Amount in Rupees

Corpus/ Capital Fund And Liabilities	Schedule	Current Year	Previous Year
Corpus/Capital Fund	1	8,76,60,25,760	8,22,44,92,488
Reserves and Surplus	2	-	-
Earmarked / Endowment Funds	3	2,75,35,158	2,64,77,686
Secured Loans and Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans and Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities and Provisions	7	1,16,49,245	1,21,56,953
TOTAL		**8,80,52,10,163**	**8,26,31,27,127**
ASSETS			
Fixed Assets	8	42,61,110	53,76,574
Investments- From Earmarked/ Endowment Funds	9	65,99,000	65,99,000
Investments- Others	10	1,91,17,41,823	1,86,57,68,670
Current Assets, Loans, Advances etc.	11	6,88,26,08,230	6,38,53,82,883
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		**8,80,52,10,163**	**8,26,31,27,127**
Significant Accounting Policies	24	-	-
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25	-	-

sd/-
(NIRAJ KELA)
DIRECTOR
Technology Development Board

sd/-
(Dr. MAITREYEE NANDA)
SCIENTIST 'G'
Technology Development Board

sd/-
(Prof. ASHUTOSH SHARMA)
CHAIRPERSON
Technology Development Board

समाप्त वर्ष की आय एवं व्यय का लेखा

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री / सेवाओं से आय	12		
अनुदान / सब्सिडी	13	6,75,00,000	13,50,00,000
फीस / अंशदान	14		
निवेश से आय (ईयरमार्क्ड/इनडोव में निवेश पर आय)	15		
राजस्व, प्रकाशन आदि से आय	16	19,30,909	5,71,887
अर्जित ब्याज	17	51,88,95,868	40,71,20,048
अन्य आय	18	1,42,960	8,51,78,395
पूर्ण हो चुकी और चल रही मदों में वृद्धि/गिरावट	19		
कुल (क)		**58,84,69,737**	**62,78,70,330**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	1,55,33,195	1,45,34,095
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	2,49,48,393	11,11,81,199
अनुदान, सब्सिडी इत्यादि पर व्यय	22		10,50,00,000
ब्याज	23		
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के तदनुसार वर्ष के अंत तक सकल योग)		11,62,821	15,30,333
कुल (ख)		**4,16,44,409**	**23,22,45,627**
व्यय पर आय में अधिकता (क–ख)		54,68,25,328	39,56,27,703
पहले की अवधि का समायोजन		(52,92,056)	(3,12,35,599)
जनरल रिजर्व में स्थानांतरण			-
कॉरपस फंड में दिया गया अतिरिक्त शेष		**54,15,33,272**	**36,43,89,104**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक दायित्व और लेखों पर टिप्पणियाँ	25		

ह./–
(नीरज केला)
निदेशक
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

ह./–
(डा. मैत्रेयी नंदा)
वैज्ञानिक 'जी'
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

ह./–
(प्रो. आशुतोष शर्मा)
अध्यक्ष
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS FOR

For The Year Ended 31st March, 2015

Amount in Rupees

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Income from Sales/ Services	12		
Grants / Subsidies	13	6,75,00,000	13,50,00,000
Fees/ Subscriptions	14	-	-
Income from Investments (Income on Invest. from earmarked/endow.)	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	19,30,909	5,71,887
Interest Earned	17	51,88,95,868	40,71,20,048
Other Income	18	1,42,960	8,51,78,395
Increase / (decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19		
TOTAL (A)		**58,84,69,737**	**62,78,70,330**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	1,55,33,195	1,45,34,095
Other Administrative Expenses etc.	21	2,49,48,393	11,11,81,199
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22		10,25,00,000
Interest	23	-	-
Depreciation (Net Total at the year-end - corresponding to Schedule -8)		11,62,821	15,30,333
TOTAL (B)		**4,16,44,409**	**22,97,45,627**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		54,68,25,328	39,56,24,703
Prior Period Adjustments		(52,92,056)	(3,12,35,599)
Transfer to General Reserve		-	-
Balance Being Surplus Carried To Corpus Fund		**54,15,33,272**	**36,43,89,104**
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		

sd/-
(NIRAJ KELA)
DIRECTOR
Technology Development Board

sd/-
(Dr. MAITREYEE NANDA)
SCIENTIST 'G'
Technology Development Board

sd/-
(Prof. ASHUTOSH SHARMA)
CHAIRPERSON
Technology Development Board

समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान का लेखा

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

प्राप्तियाँ		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक शेष			
	लघु अवधि जमा में निवेष	30,95,00,000	54,75,00,000
	सुलभ नकद	97,734	38,378
	बैंक में नकद	8,75,36,967	21,05,74,406
	फ्लेक्सी अकाउंट	-	79,33,110
	डीएफआईडी (इन्वेन्ट)	1,98,78,686	
प्रौद्योगिकी विकास एवं आवेदन के लिए फंड			
i)	टी डी फंड	6,75,00,000	13,50,00,000
ii)	लघु अवधि जमा पर ब्याज	4,64,70,008	3,90,15,658
iii)	ऋण पर ब्याज	5,58,67,960	13,06,26,714
iv)	राजस्व पर ब्याज	62,776	20,16,755
v)	अनुदान पर ब्याज	-	17,44,887
vi)	ऋण की अदायगी	29,55,45,176	27,62,50,193
vii)	राजस्व	19,30,909	5,71,887
viii)	छान	7,000	-
ix)	आईडीबीआई के वीसीएफ का स्थानांतरण	52,25,642	-
x)	कर्मचारियों को अग्रिम	-	-
xi)	विविध प्राप्तियाँ	47,382	1,26,044
xii)	सिक्यूरिटि जमा प्राप्ति / अग्रिम	-	-
xiii)	स्त्रोत पर आयकर वसूली की कटौती	-	-
xiv)	वेतन से वसूली	12,50,736	6,74,798
xv)	जीआईटीए	-	-
xvi)	यूटीआई – एसेन्ट इंडिया फंड एवं आईटीवीयूएस	-	3,85,89,586
xvii)	आरवीसीएफ	30,63,268	36,28,979
xviii)	लाभांश	25,05,596	15,76,576
xix)	वेंचर ईस्ट टीनेट फंड	-	84,84,088
xx)	अन्य प्राप्तियाँ (वेंचर फंड से लाभ एवं आय)	-	8,34,75,775
xxi)	गैर–समायोजित वसूली	(5,98,216)	(3,09,68,285)
xxii)	अर्नेस्ट मनी डिपोजिट	-	1,00,000
xxiii)	डीएफआईडी – इन्वेंट	10,57,472	1,98,78,686
	कुल	**89,69,49,096**	**1,47,68,38,235**

ह./–
(नीरज केला)
निदेशक
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

ह./–
(डा. मैत्रेयी नंदा)
वैज्ञानिक 'जी'
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

ह./–
(प्रो. आशुतोष शर्मा)
अध्यक्ष
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS

For The Year Ended 31st March, 2015

Amount in Rupees

RECEIPTS		Current Year	Previous Year
Opening Balance :			
	Investment in short term deposits	30,95,00,000	54,75,00,000
	Cash in hand	97,734	38,378
	Cash at bank	8,75,36,967	21,05,74,406
	Flexi Account	-	79,33,110
	DFID-INVENT	1,98,78,686	-
Fund for Technology Development & Application			
i)	TD Fund	6,75,00,000	13,50,00,000
ii)	Interest on short term deposits	4,64,70,008	3,90,15,658
iii)	Interest on loans	5,58,67,960	13,06,26,714
iv)	Interest on royalty	62,776	20,16,755
v)	Interest on grants	-	17,44,887
vi)	Repayment of loans	29,55,45,176	27,62,50,193
vii)	Royalty	19,30,909	5,71,887
viii)	Donations	7,000	-
ix)	Interest on saving accounts	52,25,642	-
x)	Advance to staff members	-	-
xi)	Miscellaneous receipts	47,382	1,26,044
xii)	Security Deposit Received / Advance	-	-
xiii)	Recoveries towards Income Tax deducted at source	-	-
xiv)	Recoveries from salaries	12,50,736	6,74,798
xv)	GITA	-	-
xvi)	UTI_Ascent India Fund& ITVUS	-	3,85,89,586
xvii)	RVCF	30,63,268	36,28,979
xviii)	Dividend	25,05,596	15,76,576
xix)	Venture East Tenet Fund	-	84,84,088
xx)	Other Receipt (Income & Profit from venture fund)	-	8,34,75,775
xxi)	Recoveries pending adjustment	(5,98,216)	(3,09,68,285)
xxii)	Earnest money deposit	-	1,00,000
xxiii)	DFID - INVENT	10,57,472	1,98,78,686
TOTAL		**89,69,49,096**	**1,47,68,38,235**

sd/-
(NIRAJ KELA)
DIRECTOR
Technology Development Board

sd/-
(Dr. MAITREYEE NANDA)
SCIENTIST 'G'
Technology Development Board

sd/-
(Prof. ASHUTOSH SHARMA)
CHAIRPERSON
Technology Development Board

समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान का लेखा

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

भुगतान		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
स्थापना व्यय			
i)	वेतन	1,45,54,529	1,32,23,248
ii)	मजदूरी	-	
iii)	यात्रा व्यय (घरेलू)	9,93,601	28,69,747
iv)	यात्रा व्यय (विदेश)	-	2,65,820
v)	पारिश्रमिक	39,600	25,450
vi)	समयोपरि भत्ता	5,951	8,229
vii)	चिकित्सा व्यय	2,67,744	2,74,037
viii)	प्रतिनियुक्ति के लिए पेंशन अंषदान	2,59,898	6,93,328
xi)	वर्दी एवं लिवरीज	-	-
कार्यालय व्यय			
i)	टेलीफोन / टेलेक्स	2,44,291	8,78,078
ii)	डाक टिकट	73,634	1,52,239
ii)	पेट्रोल, तेल, लूब्रीकेन्टस	2,05,888	91,304
ii)	मरम्मत एवं रख–रखाव	1,98,331	3,57,370
iii)	उपभोज्य स्टोर्स एवं छपाई	13,34,968	21,58,150
iv)	समाचार पत्र एवं पत्रिका	2,496	18,222
v)	मनोरंजन एवं अतिथि सत्कार	35,155	79,560
vi)	बैठकों पर व्यय	2,46,916	10,00,095
vii)	विज्ञापन एवं प्रचार	5,52,993	32,99,439
viii)	प्रौद्योगिकी दिवस व्यय	1,29,360	39,98,344
ix)	विविध व्यय	3,86,055	33,15,553
x)	राष्ट्रीय पुरस्कार	-	30,00,000
xi)	पुस्तकालय किताबें एवं जरनल्स	225	1,650
xii)	विधि प्रभार	78,09,170	43,37,906
xiii)	परिसम्पत्ति प्रबंधान प्रभार	1,09,44,141	2,13,89,008
xiv)	लेखा परीक्षा शुल्क	-	37,255
xv)	कर्मचारियों को अग्रिम	(55,000)	(2,000)
xvi)	वसूली की गई राशि	(7,515)	10,46,201
xvii)	विषेशज्ञों को टी.ए. / डी.ए.	4,21,985	12,81,457
xviii)	विषेशज्ञों को पारिश्रमिक	2,94,500	14,29,000
मौजूदा परिसंपत्तियों / दायित्वों में परिवर्तन			
i)	विविध लेनदारों को भुगतान	-	
बोर्ड व्यय			
i)	सदस्यों का टी.ए. / डी.ए.	-	24,089
ii)	बोर्ड की बैठक का व्यय	-	91,922

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS

For The Year Ended 31st March, 2015

Amount in Rupees

Payments		Current Year	Previous Year
ESTABLISHMENT EXPENSES			
i)	Salaries	1,45,54,529	1,32,23,248
ii)	Wages	-	-
iii)	Travel Expenses (Domestic)	9,93,601	28,69,747
iv)	Travel Expenses (Abroad)	-	2,65,820
v)	Honorarium	39,600	25,450
vi)	Over Time Allowance	5,951	8,229
vii)	Medical Expenses	2,67,744	2,74,037
viii)	Pension Contribution for Deputationists	2,59,898	6,93,328
xi)	Liveries & Uniform	-	-
OFFICE EXPENSES			
i)	Telephone / Telex	2,44,291	8,78,078
ii)	Postage stamps	73,634	1,52,239
ii)	Petrol, Oil, Lubricants	2,05,888	91,304
ii)	Repairs & Maintenance	1,98,331	3,57,370
iii)	Consumable Stores & Printing	13,34,968	21,58,150
iv)	Newspapers & Magazines	2,496	18,222
v)	Entertainment & Hospitality	35,155	79,560
vi)	Meeting Expenses	2,46,916	10,00,095
vii)	Advertisement & Publicity	5,52,993	32,99,439
viii)	Technology Day Expenditure	1,29,360	39,98,344
ix)	Miscellaneous Expenses	3,86,055	33,15,553
x)	National Award	-	30,00,000
xi)	Library Books & Journals	225	1,650
xii)	Legal Charges	78,09,170	43,37,906
xiii)	Asset Management Charges	1,09,44,141	2,13,89,008
xiv)	Audit Fee	-	37,255
xv)	Advance to staff members	(55,000)	(2,000)
xvi)	Amount recoverable (TDS)	(7,515)	10,46,201
xvii)	TA / DA to Experts	4,21,985	12,81,457
xviii)	Honorarium Experts	2,94,500	14,29,000
CHANGE IN CURRENT ASSETS / LIABILITIES			
i)	Payment to Sundry Creditors	-	-
BOARD EXPENSES			
i)	TA / DA to Members	-	24,089
ii)	Board Meeting Expenses	-	91,922

	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
iii)	विषेशज्ञों का शुल्क	-	15,000
पूंजीगत व्यय			
i)	उपस्कर / उपकरण / मशीनरी	11,025	9,39,811
ii)	फर्नीचर एवं फिक्सचर	36,332	7,75,300
iii)	वाहन	-	-
iv)	**स्त्रोत से आयकर कटौती का प्रेषण**	-	4,43,118
v)	**अन्य विभागों से रिकवरी का प्रेषण**	12,50,736	6,74,798
vi)	**ब्याज एवं टी.डी.एस.**	9,94,684	7,34,300
टी डी एफ से वितरण			
i)	ऋण	5,62,50,000	58,79,50,000
ii)	अनुदान	-	10,50,00,000
	ख) अन्य एजेंसियां	-	
iii)	इक्विटी	-	-
iv)	आईटीवीयूएस (यूटीआई)	-	-
v)	एसेन्ट इंडिया फंड (यूटीआई वीएफएम)	-	-
vi)	एपीआईडीसी वेंचर कैपिटल फंड	-	-
vii)	वेंचर ईस्ट टीनेट फंड II	-	2,22,77,000
viii)	जीवीएफएल वेंचर फंड	-	63,75,000
ix)	आरवीसीएफ	-	-
x)	जीआईटीए	-	2,40,20,000
xi)	एसआईडीबीआई वीसीएफ	2,09,69,509	2,45,36,284
xii)	सीफ इंडिया एग्रीबिजनैस फंड	2,01,46,649	6,18,25,759
xiii)	मल्टी सेक्टर सीड कैपिटल फंड	-	10,30,00,000
xiv)	आईवीकेप वेंचर ट्रस्ट फंड–1	-	5,00,00,000
xv)	इंडियन फंड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी (सीआईआईई)	79,20,263	59,13,777
अंतशेष			
i)	सुलभ नकद	13,037	97,734
ii)	बैंक में लघु अवधि जमा	52,02,08,332	30,95,00,000
iii)	बचत खाता में	23,01,73,455	8,75,36,967
iv)	डीएफआईडी – इन्वेन्ट	36,158	1,98,78,686
	कुल	**89,69,49,096**	**1,47,68,38,235**

ह./–
(नीरज केला)
निदेशक
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

ह./–
(डा. मैत्रेयी नंदा)
वैज्ञानिक 'जी'
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

ह./–
(प्रो. आशुतोष शर्मा)
अध्यक्ष
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

	Payments	Current Year	Previous Year
iii)	Fee to Board Members	-	15,000
CAPITAL EXPENDITURE			
i)	Equipment / Apparatus / Machinery	11,025	9,39,811
ii)	Furniture & Fixtures	36,332	7,75,300
iii)	Vehicle	-	-
iv)	**Remittance of Income Tax deducted at source**	-	4,43,118
v)	**Remittance of recoveries to other deptts.**	12,50,736	6,74,798
vi)	**Interest on TDS**	9,94,684	7,34,300
DISBURSEMENTS FROM TDF			
i)	Loans	5,62,50,000	58,79,50,000
ii)	Grants	-	10,50,00,000
iii)	(b) Other Agencies		
iv)	Equity	-	-
v)	ITVUS (UTI)	-	-
vi)	Ascent India Fund (UTI VFM)	-	-
vii)	APIDC Venture Capital Fund	-	-
viii)	Ventureast TeNet Fund II	-	2,22,77,000
ix)	GVFL Venture Fund	-	63,75,000
x)	RVCF	-	-
xi)	GITA	-	2,40,20,000
xii)	SIDBI VCF	2,09,69,509	2,45,36,284
xiii)	SEAF India Agribusiness Fund	2,01,46,649	6,18,25,759
xiv)	Multi Sector Seed Capital Fund	-	10,30,00,000
xv)	IvyCap Venture Trust Fund-1	-	5,00,00,000
xvi)	Indian Fund for Sustainable Energy (CIIE)	79,20,263	59,13,777
CLOSING BALANCE			
i)	Cash in hand	13,037	97,734
ii)	Short term deposits with banks	52,02,08,332	30,95,00,000
iii)	In Saving Account	23,01,73,455	8,75,36,967
iv)	DFID - INVENT	36,158	1,98,78,686
	TOTAL	**89,69,49,096**	**1,47,68,38,235**

sd/-
(NIRAJ KELA)
DIRECTOR
Technology Development Board

sd/-
(Dr. MAITREYEE NANDA)
SCIENTIST 'G'
Technology Development Board

sd/-
(Prof. ASHUTOSH SHARMA)
CHAIRPERSON
Technology Development Board

तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

अनुसूची 1 – कॉरपस / कैपिटल फंड :				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में शेष	8,22,44,92,488		7,86,01,03,384	
जमा: कॉरपस / कैपिटल फंड में अंशदान	-		-	
जमा: आय और व्यय लेखे से स्थानांतरित सकल आय का शेष	54,15,33,272	87,66,00,25,760	36,43,89,104	8,22,44,92,488
वर्ष के अंत में शेष		**87,66,00,25,760**		**8,22,44,92,488**

(राशि रु. में)

अनुसूची 2 – रिजर्व और आपूर्ति				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. कैपिटल रिजर्व:				
पिछले एकाउंट के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. पूनर्मूल्यांकन रिजर्व:				
पिछले एकाउंट के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. विशेष रिजर्व:				
पिछले एकाउंट के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य रिजर्व:				
पिछले एकाउंट के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
कुल योग				

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET

As On 31st March, 2015

Amount in Rupees

SCHEDULE 1- CORPUS/CAPITAL FUND				
	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
Balance as at the beginning of the year	8,22,44,92,488		7,86,01,03,384	
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund	-		-	
Add : Balance of net income transferred from the Income and Expenditure Account	54,15,33,272		36,43,89,104	
		8,76,60,25,760		8,22,44,92,488
Balance As At The Year- End		**8,76,60,25,760**		**8,22,44,92,488**

Amount in Rupees

SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS				
	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Capital Reserve:				
As per last Account	-	-	-	-
Addition during the year	-	-	-	-
Less: Deduction during the year	-	-	-	-
2. Revaluation Reserve:				
As per last Account	-	-	-	-
Addition during the year	-	-	-	-
Less: Deduction during the year	-	-	-	-
3. Special Reserves:				
As per last Account	-	-	-	-
Addition during the year	-	-	-	-
Less: Deduction during the year	-	-	-	-
4. General Reserve:				
As per last Account	-	-	-	-
Addition during the year	-	-	-	-
Less: Deduction during the year	-	-	-	-
TOTAL				

तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

अनुसूची 3 – निर्धारित / इनडोवमेंट फंड				
दायित्व	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
अ. आईडीबीआई का वीसीएफ				
1) भारत सरकार से आई डी बी आई द्वारा प्राप्त अंशदान		28,84,00,000		28,84,00,000
निवेश से आय				
क) ब्याज	13,08,52,144		13,08,52,144	
ख) राजस्व	5,51,97,900		5,51,97,900	
ग) लाभांश	86,23,794		86,23,794	
घ) उपार्जित आय	2,39,03,76,810		2,39,03,76,810	
ड) लम्बित प्राप्तियाँ	-		-	
	25,85,05,064		**25,85,05,064**	
घटा : टीडीबी को दी गई राशि	21,25,00,000		21,25,00,000	
	2,37,25,50,648		**2,37,25,50,648**	
घटा : पूर्व में वसूली गई राजस्व	1,12,50,000		1,12,50,000	
	2,36,13,00,648		**2,36,13,00,648**	
घटा : माफ किया गया ऋण	4,36,36,450		4,36,36,450	
घटा : निवेश की बिक्री से घाटा	26,76,250		26,76,250	
	2,31,49,87,948		**2,31,49,87,948**	
घटा : ऋण पर किया गया प्रावधान	8,29,51,357		8,26,40,484	
घटा : ब्याज एवं एफआईएलडी पर किये गये प्रावधान	2,39,03,76,810		2,39,03,76,810	
घटा : लेखा शुल्क एवं अन्य व्यय	18,05,553		17,60,553	
घटा : आईडीबीआई को प्रदान किया गया प्रबंधन शुल्क	12,93,40,000		12,23,80,000	
घटा : निवेश के मूल्य मे कमी	26,26,000	(29,21,11,772)	26,26,000	(28,47,95,899)
		-37,11,772		
टीडीबी से प्राप्त राशि		1,03,10,772		29,94,899
		65,99,000		**65,99,000**
ख. प्रौद्योगिकी कोष के लिए अभिनव उपक्रम (इन्वेंट) – डीएफआईडी		**2,09,36,158**		**1,98,78,686**
कुल		**2,75,35,158**		**2,64,77,686**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET

As On 31st March, 2015

Amount in Rupees

SCHEDULE 3- EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS				
Liabilities	**Current Year**		**Previous Year**	
A. VCF of IDBI				
1) Contribution received by IDBI from Government of India		28,84,00,000		28,84,00,000
Income from Investment				
a. Interest	13,08,52,144		13,08,52,144	
b. Royalty	5,51,97,900		5,51,97,900	
c. Dividend	86,23,794		86,23,794	
d. Accrued income Less waivers	2,39,03,76,810		2,39,03,76,810	
	2,58,50,50,648		**2,58,50,50,648**	
Less : Amount transferred to TDB	21,25,00,000		21,25,00,000	
	2,37,25,50,648		**2,37,25,50,648**	
Less: Excess Royalty recd. earlier	1,12,50,000		1,12,50,000	
	2,36,13,00,648		**2,36,13,00,648**	
Less : Loans written off	4,36,36,450		4,36,36,450	
Less : Loss on sale of Investment	26,76,250		26,76,250	
	2,31,49,87,948		**2,31,49,87,948**	
Less : Provision on loan	8,29,51,357		8,26,40,484	
Less : Provision on interest & FILD	2,39,03,76,810		2,39,03,76,810	
Less: Audit Fees & other Expenses	18,05,553		17,60,553	
Less: Management fees to IDBI	12,93,40,000		12,23,80,000	
Less: Diminution in value of investment	26,26,000	(29,21,11,772)	26,26,000	(28,47,95,899)
		(37,11,772)		29,94,899
Amount receivable from TDB		1,03,10,772		
Innovative Ventures for Technology Development		**65,99,000**		**65,99,000**
(INVENT) - DFID		**2,09,36,158**		**1,98,78,686**
TOTAL		**2,75,35,158**		**2,64,77,686**

तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

अनुसूची 4 – प्रतिभूत ऋण एवं उधार				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं				
क) आवधिक ऋण				
ख) प्राप्त ब्याज और देय	-	-	-	-
4. बैंक :				
क) आवधिक ऋण				
– प्राप्त ब्याज और देय	-	-	-	-
ख) अन्य ऋण				
– प्राप्त ब्याज और देय	-	-	-	-
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	-	-	-	-
6. डिबेंचर्स एवं बॉन्डस	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

टिप्पणी : वर्ष के भीतर देय राशि

(राशि रु. में)

अनुसूची 5 – अप्रतिभूत ऋण एवं उधार				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)				
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-	-	-
4. बैंक :				
क) आवधिक ऋण	-	-	-	-
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	-	-	-	-
6. डिबेंचर्स एवं बॉन्डस	-	-	-	-
7. अचल जमा	-	-	-	-
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

टिप्पणी : वर्ष के भीतर देय राशि

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET

As On 31st March, 2015

Amount in Rupees

SCHEDULE 4- SECURED LAONS AND BORROWINGS	Current Year		Previous Year	
1. Central Government	-	-	-	-
2. State Government (Specify)	-	-	-	-
3. Financial Institutions				
a) Term Loans				
b) Interest accrued and due	-	-	-	-
4. Banks:				
a) Term Loans				
- Interest accrued and due	-	-	-	-
b) Other Loans (Specify)				
- Interest accrued and due	-	-	-	-
5. Other Institutions and Agencies	-	-	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Note: Amounts due within one year

Amount in Rupees

SCHEDULE 5- UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	Current Year		Previous Year	
1. Central Government	-	-	-	-
2. State Government (Specify)				
3. Financial Institutions	-	-	-	-
4. Banks:				
a) Terms Loans	-	-	-	-
b) Other Loans (Specify)	-	-	-	-
5. Other Institutions and Agencies	-	-	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-	-	-
7. Fixed Deposits	-	-	-	-
8. Others (Specify)	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Note: Amounts due within one year

तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. कैपिटल उपस्करों एवं अन्य परिसंपत्तियों के ऋण भार द्वारा सुरक्षित सहमति	-	-	-	-
ख. अन्य **टिप्पणी** : वर्ष के भीतर देय राशि	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

(राशि रु. में)

अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू देयताएं				
1. सहमति	-			-
2. विविध लेनदार				
क) माल के लिए				
ख) अन्य		1,00,000		1,00,000
3. प्राप्त प्रतिभूत		50,000		50,000
4. ब्याज प्राप्ति लेकिन इनपर देय नहीः				
क) प्रतिभूत ऋण / उधार				
ख) अप्रतिभूत ऋण / उधार	-			-
5. सांविधिक देयताएं				
क) अतिदेय	-			-
ख) अन्य				
6. अन्य चालू देयताएं				
क) प्रतिनियुक्ति के लिए पेंशन अंशदान	6,09,334			6,54,863
ख) लेखा परीक्षा शुल्क	2,82,745			2,02,745
ग) पिछला समायोजन	99,09,510	1,08,01,589		1,05,07,726
कुल (क)		**1,09,51,589**		**1,15,15,334**
ख. प्रावधान				
1. टैक्स के लिए				
2. ग्रेच्यूटी		6,97,657		6,41,619
3. अधिवर्षता / पेंशन				
4. एकत्रित अवकाश का नकदीकरण				
5. ट्रेड वारंटीज / दावे				
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)				
कुल (ख)		6,97,657		6,41,619
कुल (क + ख)		**1,16,49,245**		**1,21,56,953**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET

As On 31st March, 2015

Amount in Rupees

SCHEDULE 6- DEFERRED CREDIT LIABILITIES	Current Year		Previous Year	
a. Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-	-	-
b. Other				
Note: Amounts due within one year				
TOTAL				

Amount in Rupees

SCHEDULE 7- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	Current Year		Previous Year	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptances	-	-	-	-
2. Sundry Creditors				
a) For Goods				
b) Others		1,00,000		1,00,000
3. Security Received		50,000		50,000
4. Interest accrued but not due on :				
a) Secured Loans /borrowings				
b) Unsecured Loans/borrowings	-	-	-	-
5. Statutory Liabilities				
a) Overdue	-			-
b) Others				
6. Other current Liabilities				
a) Pension contribution for deputations	6,09,334			6,54,863
b) Audit fee payable	2,82,745			2,02,745
c) Pending Adjustment	99,09,510	1,08,01,589		1,05,07,726
TOTAL (A)		**1,09,51,589**		**1,15,15,334**
B.PROVISIONS				
1. For Taxation				
2. Gratuity		6,97,656		6,41,619
3. Superannuation/Pension				
4. Accumulated Leave Encashment				
5. Trade Warranties/Claims				
6. Others (Specify)				
TOTAL (B)		6,97,656		6,41,619
TOTAL (A+B)		**1,16,49,245**		**1,21,56,953**

तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

अनुसूची 8 : स्थायी परिसम्पति

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में कीमत / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़े गए	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत तक कीमत/ मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान जोड़े गए	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी परिसम्पति										
1. जमीन										
क) फ्रीहोल्ड										
2. बिल्डिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड जमीन										
ख) लीजहोल्ड जमीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्वधारी फ्लैट / परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) जमीन पर अभिरचना अस्तित्व से संबद्ध नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. प्लांट एवं मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	3,80,081	-	-	3,80,081	2,39,760	21,048	-	2,60,808	1,19,273	1,40,321
5. फर्नीचर / फिक्सचर	27,42,335	36,332	-	27,78,667	11,40,577	1,63,810	-	13,04,387	14,74,280	16,01,758
6. कार्यालय उपस्कर	50,59,075	11,025	-	50,70,100	23,82,658	4,03,116	-	27,85,774	22,84,326	26,76,417
7. कम्प्यूटर / पैरीफेरल्स	24,52,722	-	-	24,52,722	14,94,644	5,74,847	-	20,69,491	3,83,231	9,58,078
8. इलेक्ट्रिक अधिस्थापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालय की किताबें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ट्यूबवैल और वाटर सप्लाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य अचल परिसम्पतियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का कुल	**1,06,64,213**	**47,357**	**-**	**1,06,81,570**	**52,57,639**	**11,62,821**	**-**	**64,20,460**	**42,61,110**	**53,76,574**
ख. कैपिटल चल रहा कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-		-
कुल	**1,06,64,213**	**47,357**	**-**	**1,06,81,570**	**52,57,639**	**11,62,821**	**16,07,707**	**64,20,460**	**42,61,110**	**53,76,574**
(उपर्युक्त को शामिल करते हुए किराए पर लिए गए परिसम्पत्तियों की लागत पर दी जाने वाली टिप्पणियां)										
पिछला वर्ष	**1,11,13,429**	**12,47,958**	**5,23,175**	**1,18,38,212**	**48,57,570**	**7,22,582**	**2,45,139**	**53,35,013**	**65,03,199**	

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET

As On 31st March, 2015

Amount in Rupees

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS

DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	Cost/ valuation As at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/ valuation at the year-end	As at the beginning of the year	On Additions during the year	On Deductions during the year	Total up to the year -end	As at 31.03.2015	As at the 31.03.2014
A. FIXED ASSETS:										
1. Land:										
A) Freehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Building:										
B) On Leasehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Ownership Flats/ Premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) Superstructures On Land Not Belonging To The Entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Plant Machinery & Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Vehicles	3,80,081	-	-	3,80,081	2,39,760	21,048		2,60,808	1,19,273	1,40,321
5. Furniture, Fixtures	27,42,335	36,332	-	27,78,667	11,40,577	1,63,810	-	13,04,387	14,74,280	16,01,758
6. Office Equipment	50,59,075	11,025	-	50,70,100	23,82,658	4,03,116	-	27,85,774	22,84,326	26,76,417
7. Computer/ Peripherals	24,52,722	-	-	24,52,722	14,94,644	5,74,847	-	20,69,491	3,83,231	9,58,078
8. Electric Installations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Library Books	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tubewells & W. Supply	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Other Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Of Current Year	**1,06,34,213**	**47,357**	-	**1,06,81,570**	**52,57,639**	**11,62,821**	-	**64,20,460**	**42,61,110**	**53,76,574**
B.capital Work-In-Progress	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**1,06,34,213**	**47,357**	-	**1,06,81,570**	**52,57,639**	**11,62,821**	-	**64,20,460**	**42,61,110**	**53,76,574**
(Note to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above)										
PREVIOUS YEAR	**1,11,13,429**	**12,47,958**	**5,23,175**	**1,18,38,212**	**48,57,570**	**7,22,582**	**2,45,139**	**53,35,013**	**65,03,199**	

तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

अनुसूची 9 – निर्धारित / इनडोवमेंट निधियों से निवेश			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-		-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-
3. शेयर	-		-
4. डिबेंचर्स और बॉन्ड्स	-		-
5. सब्सिडियरिज एवं संयुक्त उद्यम	-		-
6. आई डी बी आई का यीसीएफ (परिसम्पत्ति)	-		-
निवेश			
(1) ऋण	8,29,51,357		8,26,40,484
घटा : प्रावधान	8,29,51,357		8,26,40,484
(2) इक्विटी	92,25,000		92,25,000
घटा : मूल्य में कमी	26,26,000	65,99,000	26,26,000
वसूली योग्य			
(1) ब्याज	29,97,69,021		29,97,69,021
(2) एफआईएलडी	2,09,06,07,789		2,09,06,07,789
	2,39,03,76,810		**2,39,03,76,810**
घटा : प्रावधान	**2,39,03,76,810**		**2,39,03,76,810**
नकद एवं बैंक शेष			
कुल		**65,99,000**	**65,99,000**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET

As On 31st March, 2015

Amount in Rupees

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	Current Year		Previous Year
1. In Government Securities	-		-
2. Other approved Securities	-		-
3. Shares	-		-
4. Debentures and Bonds	-		-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-		-
6. VCF of IDBI (Assets)	-		-
Investment			
(i) Loan	8,29,51,357		8,26,40,484
Less: Provisions	8,29,51,357		8,26,40,484
(ii) Equity			92,25,000
Less: Diminution in value of	92,25,000 26,26,000		(26,26,000)
		65,99,000	
Receivables			
(i) Interest	29,97,69,021		29,97,69,021
(ii) FILD	2,09,06,07,789		2,09,06,07,789
	2,39,03,76,810		2,39,03,76,810
Less: Provisions	2,39,03,76,810	-	(2,39,03,76,810)
Cash & Bank Balance			
Total		**65,99,000**	**65,99,000**

तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

अनुसूची 10 – निवेश – अन्य				
		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-		-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-		-
3. शेयर – इक्विटी भागीदारी		28,46,72,726	28,46,72,726	28,46,72,726
4. डिबेंचर्स और बॉन्ड्स		-		-
5. सहायक उद्यम एवं संयुक्त उद्यम		-		-
6. वैन्चर फंड	29,92,72,098			
क) यूटीआई एसेंट इंडिया फंड				
घटा : विमोचन	-	29,92,72,098		29,92,72,098
ख) एपीआईडीसी वेन्चर फंड		30,00,00,000		30,00,00,000
ग) वेन्चर ईस्ट टीनेट फंड	13,15,34,803			
जमा : वितरण	-			
घटा : विमोचन	-	13,15,34,803		13,15,34,803
घ) जीवीएफएल	15,00,00,000			
जमा : वितरण	-	15,00,00,000		15,00,00,000
ङ) आरवीसीएफ	11,76,55,779			
जमा : वितरण	-			
घटा : विमोचन	(30,63,268)	11,45,92,511		11,76,55,779
च) एसआईडीबीआई वीसीएफ	5,75,16,643			
जमा : वितरण	2,09,69,509	7,84,86,152		5,75,16,643
छ) आईवीकेप वेंचर ट्रस्ट फंड–1	10,00,00,000			
जमा : वितरण	-	10,00,00,000		10,00,00,000
ज) मल्टी सेक्टर सीड कैपिटलफंड	20,00,00,000			
जमा : वितरण	-	20,00,00,000		20,00,00,000
झ) सीफ इंडिया एग्रीबिजनैस फंड	17,58,71,844			
जमा : वितरण	2,01,46,649	19,60,18,493		17,58,71,844
ञ) इंडियन फंड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी (सीआईआईई)	59,13,777			
जमा : वितरण	79,20,263	1,38,34,040		59,13,777
7. जीआईटीए	4,33,31,000			
जमा : वितरण	-	4,33,31,000		4,33,31,000
			1,62,70,69,097	
कुल			**1,91,17,41,823**	**1,86,57,68,670**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET

As On 31st March, 2015

Amount in Rupees

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS				
		Current Year		Previous Year
1. In Government Securities				
2. Other approved Securities				
3. Shares-Equity participation		28,46,72,726	28,46,72,726	28,46,72,726
4. Debentures and Bonds				
5. Subsidiaries and Joint Ventures				
6. Venture Funds				
a) UTI ITVUS	29,92,72,098			
Less : Redemption	-	29,92,72,098		29,92,72,098
b) APIDC Venture Funds		30,00,00,000		30,00,00,000
c) Ventureast TeNet Fund	13,15,34,803			
Add: Disbursement	-			
Less : Redemption	-	13,15,34,803		13,15,34,803
d) GVFL	15,00,00,000			
Add: Disbursement	-	15,00,00,000		15,00,00,000
e) RVCF	11,76,55,779			
Add: Disbursement	-			
Less: Redemption	(30,63,268)	11,45,92,511		11,76,55,779
f) SIDBI VCF	5,75,16,643			
Add: Disbursement	2,09,69,509	7,84,86,152		5,75,16,643
g) IvyCap Venture Trust Fund-1	10,00,00,000			
Add: Disbursement	-	10,00,00,000		10,00,00,000
h) Multi Sector Seed Capital Fund	20,00,00,000			
Add: Disbursement	-	20,00,00,000		20,00,00,000
i) SEAF India Agribusiness Fund	17,58,71,844			
Add: Disbursement	2,01,46,649	19,60,18,493		17,58,71,844
j) Indian Fund for Sustainable Energy (CIIE)	59,13,777 79,20,263			
Add: Disbursement		1,38,34,040		59,13,777
7. GITA	4,33,31,000			
Add: Disbursement	-	4,33,31,000		4,33,31,000
			1,62,70,69,097	
TOTAL			**1,91,17,41,823**	**1,86,57,68,670**

तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्ति, ऋण, अग्रिम इत्यादि			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
क. चालू परिसम्पत्ति			
1. सामान्य सूची			
क) स्टोर्स एवं स्पेयर्स			
ख) लूज टूल्स			
ग) स्टॉक इन ट्रेड			
i) समाप्त माल			
ii) चल रहा कार्य			
iii) कच्ची सामग्री	-	-	-
2. विविध देनदार			
क) छः महीनों से अधिक अवधि से लंबित ऋण			
ख) अन्य			
3. हाथ में नकद शेष (चैक / ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)	13,037	13,037	97,734
4. बैंक शेष			
क) सूचीगत बैंकों के साथ			
– चालू खाते पर			
– जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)	52,02,08,332		30,95,00,000
– बचत खातों पर	23,01,73,455		8,75,36,967
– फ्लैक्सी खातों पर		75,03,81,787	
ख) गैर–सूचीगत बैंकों के साथ			
– चालू खाते पर			
– जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)			
– बचत खातों पर			
ग) सूचीगत बैंकों के साथ– इन्वेंट. डीएफआईडी खाता		36,158	1,98,78,686
– बचत खातों पर			
5. डाक घर – बचत खाता			
कुल (क)		**75,04,30,982**	**41,70,13,387**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEETAS

On 31st March, 2015

Amount in Rupees

SCHEDULE 11- CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Current Year		Previous Year
A. CURRENT ASSETS:			
1. Inventories:			
a) Stores and Spares			
b) Loose Tools			
c) Stock-in- trade			
i) Finished Goods			
ii) Work-in-progress			
iii) Raw Material	-	-	-
2. Sundry Debtors			
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months			
b) Others			-
3. Cash balance in hand (including cheques/ drafts and imprest)	13,037	13,037	97,734
4. Bank Balances:			
a) With Scheduled Banks:			
-On Current Accounts			
- On Deposit Accounts (includes DFID)	52,02,08,332		30,95,00,000
- On Savings Accounts	23,01,73,455		8,75,36,967
- On Flexi Account		75,03,81,787	-
b) With non- Scheduled Banks:			
- On Current Accounts	-		-
- On Deposit Accounts	-		-
- On Savings Accounts	-		-
c) With Scheduled Bank – A/c INVENT - DFID		36,158	1,98,78,686
- On Savings Accounts			
5. Post Office- Savings Accounts			
TOTAL (A)		**75,04,30,982**	**41,70,13,387**

तुलन पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 – चालू परिसम्पति, ऋण, अग्रिम इत्यादि (जारी है)			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियां			
1. ऋण			
क) स्टाफ			
ख) अन्य सत्ताएं जो उनसे मिलती जुलती सत्ताओं की गतिविधियों / उद्देश्यों में सम्मिलित	-	-	-
ग) ऋण : शुरु हुए औद्योगिक इकाईयों को सहायता	3,87,28,99,846		3,56,98,94,501
जमा : वर्ष के दौरान	5,62,50,000		58,79,50,000
घटा : ऋण की अदायगी	(29,55,45,176)		(27,62,50,193)
घटा : ऋण का इक्विटी में परिवर्तन			
घटा : ऋण माफी	-		-
घटा : पूर्व अवधि समायोजन	(83,55,068)	3,62,52,49,602	(86,94,462)
2. नकद, अग्रिम एवं अन्य राशि की अथवा वस्तु अथवा उसके कीमत में वसूली			
क) कर्मचारियों को अग्रिम	-		55,000
ख) अन्य सरकारी विभागों से वसूली	10,38,686		10,46,201
ग) अन्य – प्रतिभूति जमा	1,23,000		1,23,000
घ) अन्य	7,680	11,69,366	7,680
3. प्राप्त आय			
क) निर्धारित / इन्डोवमेंट फंड से निवेश पर			
ख) अन्य निवेश पर	1,69,96,055		2,58,34,705
ग) ऋण एवं अग्रिम पर	2,48,87,62,225		2,06,84,03,064
घटा : ऋण माफी	-		
घटा : इक्विटी में परिवर्तन	-		
		2,50,57,58,280	
4. वसूलीयोग्य दावा		-	-
कुल (ख)		6,13,21,77,248	5,96,85,69,496
कुल (क + ख)		**6,88,26,08,230**	**6,38,55,82,883**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEETAS

On 31st March, 2015

Amount in Rupees

SCHEDULE 11-CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)			
	Current Year		Previous Year
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS:			
1. Loans:			
a) Staff			
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the entity	-	-	-
c) Loan : Assistance to industrial concerns			
Opening	3,67,28,99,846		3,56,98,94,501
Add: During the year	5,62,50,000		58,79,50,000
Less: Repayment of loan	(29,55,45,176)		(27,62,50,193)
Less: loan converted into equity			-
Less: Written Off	-		-
Less: Prior Period Adjustment	(83,55,068)	3,62,52,49,602	(84,94,462)
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or of value to be received			
a) Advance to staff members	-		55,000
b) Recovery from other Govt. departments	10,38,686		10,46,201
c) Others - Security Deposit	1,23,000		1,23,000
d) Others	7,680	11,69,366	7,680
3. Income Accrued:			
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds			
b) On Investments - Others	1,69,96,055		2,58,34,705
c) On Loans and Advances	2,48,87,62,225		2,06,84,03,064
Less: written off	-		
Less: Converted into equity	-	2,50,57,58,280	
4. Claims Receivable		-	-
TOTAL (B)		6,13,21,77,248	5,96,85,69,496
TOTAL (A +B)		**6,88,26,08,230**	**6,38,55,82,883**

आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

अनुसूची 12 – बिक्री / सेवाओं से आय			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. बिक्री से आय			
क) तैयार माल की बिक्री			
ख) कच्चे सामग्री की बिक्री			
ग) कबाड़ की बिक्री	-	-	-
2. सेवाओं से आय			
क) श्रम एवं संसाधित प्रभार			
ख) व्यावसायिक / परामर्शी सेवाएं			
ग) एजेंसी कमीशन और दलाली			
घ) रखरखाव सेवाएं (उपस्कर / संपत्ति)			
ङ) अन्य (निर्दिश्ट करें)			-
कुल			

(राशि रु. में)

अनुसूची 13 – अनुदान / सब्सिडी (गैर वसूलीयोग्य अनुदान एवं वसूली गई सब्सिडी)			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1) केन्द्र सरकार	6,75,00,000		13,50,00,000
2) राज्य सरकार (रें)			
3) सरकारी एजेंसियां			
4) संस्थान / कल्याण बोर्ड	-	-	-
5) अंतराष्ट्रीय संगठन			
6) अन्य (निर्दिश्ट करें)			
कुल	**6,75,00,000**	-	**13,50,00,000**

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE

For The Year Ended 31St March, 2015

Amount in Rupees

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES	Current Year		Previous Year
1. Income from Sales			
a) Sales of Finished Goods			
b) Sale of Raw Material			
c) Sale of Scraps	-	-	-
2. Income from Services			
a) Labour and Processing Charges			
b) Professional/Consultancy Services			
c) Agency Commission and Brokerage			
d) Maintenance Services (Equipment/Property)			
e) Others (Specify)			-
TOTAL	-	-	-

Amount in Rupees

SCHEDULE 13–GRANTS/SUBSIDIES (Irrevocable Grants & Subsidies Received)	Current Year		Previous Year
1) Central Government	6,75,00,000		13,50,00,000
2) State Government (s)			
3) Government Agencies			
4) Institutions / Welfare Bodies			
5) International Organizations			
6) Others (Specify)			
TOTAL	**6,75,00,000**	-	**13,50,00,000**

आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

अनुसूची 14 – शुल्क /अंशदान			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1) प्रवेश शुल्क	-	-	-
2) वार्षिक शुल्क / अंशदान			
3) सेमिनार / कार्यक्रम शुल्क	-	-	-
4) परामर्शी शुल्क	-	-	-
कुल	-	-	-

टिप्पणी : प्रत्येक मद की बताई जाने वाली लेखा नीतियों का निर्धारित फंड से निवेश

(राशि रु. में)

अनुसूची 15 – निवेश से आय (फंड में हस्तांतरित किया गया निर्धारित / इनडोवमेंट फंड से निवेश पर आय)			
	निर्धारित फंड से निवेश		अन्य निवेश
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष
1. ब्याज			
क) सरकारी प्रतिभूति पर			
ख) अन्य बॉन्ड्स / डिबेन्चर			
2. लाभांश			
क) शेयर पर			
ख) म्यूचूअल फंड प्रतिभूति पर			
3. किराए	-	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-
कुल	-	-	-

निर्धारित / इनडोवमेंट फंड में हस्तांतरित

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE

For The Year Ended 31St March, 2015

Amount in Rupees

SCHEDULE 14 - FEES/SUBSCRIPTINS	Current Year		Previous Year
1) Entrance Fees	-	-	-
2) Annual Fees/Subscriptions			
3) Seminar/Program Fees	-	-	-
4) Consultancy Fees	-	-	-
TOTAL	-	-	-

Note: Accounting Policies towards each item are to be disclosed

Amount in Rupees

SCHEDULE 15- INCOME FROM INVESTMENTS (Income on Invest. From Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others
	Current Year	Previous Year	Current Year
1) Interest			
a) On Govt. Securities			
b) Other Bonds/Debentures			
2) Dividends			
a) On Shares			
b) On Mutual Fund Securities			
3) Rents	-	-	-
4) Other (Specify)	-	-	-
TOTAL			
TRANSFERRED TO EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS			

आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

अनुसूची 16 – राजस्व, प्रकाशन इत्यादि से आय			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1) राजस्व से आय		19,30,909	5,71,887
2) उपार्जित राजस्व			
घटा: राजस्व माफी			-
3) अन्य (निर्दिष्ट करें)			-
कुल		**19,30,909**	**5,71,887**

(राशि रु. में)

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. आवधिक जमा पर			
क) सूचीगत बैंकों के साथ	3,76,31,358		
ख) गैर – सूचीगत बैंकों के साथ	-		
ग) संस्थाओं के साथ	-		
		3,76,31,358	4,67,22,203
2. बचत खातों पर			
क) सूचीगत बैंकों के साथ	52,25,642		
ख) गैर – सूचीगत बैंकों के साथ	-		
ग) डाक घर बचत खाता	-		
घ) अन्य	-	52,25,642	55,75,928
3. ऋण पर			
क) कर्मचारी / स्टाफ			
ख) औद्योगिक इकाई को ऋण सहायता		47,59,76,092	35,10,60,275
4. राजस्व पर ब्याज		62,776	20,16,755
5. अनुदान पर ब्याज		-	17,44,887
कुल		**51,88,95,868**	**40,71,20,048**

टिप्पणी : स्रोत पर कर कटौती को दर्शाया गया है।

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE

For The Year Ended 31st March, 2015

Amount in Rupees

SCHEDULE 16 – INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.			
	Current Year		Previous Year
1) Income from Royalty		19,30,909	5,71,887
2) Royalty Accrued			-
Less: Royalty written off		-	-
3) Others (Specify)			
TOTAL		**19,30,909**	**5,71,887**

Amount in Rupees

SCHEDULE 17- INTEREST EARNED			
	Current Year		Previous Year
1) On Term Deposits:			
a) With Scheduled Banks	3,76,31,358		4,67,22,203
b) With Non- Scheduled Banks	-		-
c) With Institutions	-		-
	-	3,76,31,358	-
2) On Savings Accounts:			
a) With Scheduled Banks	52,25,642		55,75,928
b) With Non- Scheduled Banks	-		-
c) Post Office Savings Accounts	-		-
d) Others	-	52,25,642	-
3) On Loans:			
a) Employees/Staff			
b) Loans assistance to industrial concerns		47,59,76,092	35,10,60,275
4) Interest on royalty		62,776	20,16,755
5) Interest on grants		-	17,44,887
TOTAL		**51,88,95,868**	**40,71,20,048**

Note - Tax Deducted as source to be indicated

आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

अनुसूची 18 – अन्य आय			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. संपत्तियों की बिक्री / निपटान से लाभ	-		-
क) प्राप्त संपत्ति – यूटीआई की यूनिटें			
ख) अनुदान से प्राप्त अथवा निःशुल्क प्राप्त संपत्ति			
2. यूनिटों के विमोचन से लाभ			8,33,88,542
3. लाभांश		88,578	15,76,576
4. विविध आय		45,382	1,26,044
5. विविध सेवाओं का आय		-	
6. दान		7,000	-
7. वेन्चर फंड से आय		-	87,233
कुल		**1,42,960**	**8,51,78,395**

(राशि रु. में)

अनुसूची 19 – तैयार माल और चल रहे कार्य की वृद्धि / घटाव			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
क) बंद स्टॉक			
– तैयार माल			
– चल रहा कार्य			
ख) घटा : ओपनिंग स्टॉक			
– तैयार माल			
– चल रहा कार्य			
निवल वृद्धि / (घटाव) (क – ख)			

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE

For The Year Ended 31st March, 2015

Amount in Rupees

SCHEDULE 18–OTHER INCOME	Current Year		Previous Year
1) Profit on Sale/disposal of Assets:	-	-	-
a) Owned assets - UTI			
b) Assets acquired out of grants or received free of cost			
2) Profits on redemption of units		-	8,33,88,542
3) Dividend		88,578	15,76,576
4) Miscellaneous Income		47,382	1,26,044
5) Fees of Miscellaneous Services			
6) Donations		7,000	-
7) Income from Venture Fund		-	87,233
TOTAL		**1,42,960**	**8,51,78,395**

Amount in Rupees

SCHEDULE 19 – INCREASE/(DECREASE) STOCK OF FINISHED GOODS & WOKR IN PROGRESS	Current Year		Previous Year
a) Closing Stock:			
- Finished Goods			
- Work – in - progress	-	-	-
b) Less: Opening Stock			
- Finished Goods			
- Work – in - progress	-	-	-
NET INCREASE / (DECREASE) [a-b]	-	-	-

आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	1,33,03,793		1,25,48,450
ख) भत्ता और बोनस	5,951		8,229
ग) भविष्य निधि में अंशदान	12,50,736		6,74,798
घ) अन्य फंड में अंशदान	-		
ङ) कर्मचारी कल्याण खर्च	39,600		25,450
च) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभों पर व्यय	6,09,334		9,53,226
छ) चिकित्सा प्रभारों की प्रतिपूर्ति	2,67,744		2,74,037
ज) ग्रेच्यूटी	56,037		49,905
कुल		**1,55,33,195**	**1,45,34,095**

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE

For The Year Ended 31st March, 2015

Amount in Rupees

SCHEDULE 20–ESTABLISHMENT EXPENSES			
	Current Year		Previous Year
a) Salaries and Wages	1,33,03,793		1,25,48,450
b) Allowances and Bonus	5,951		8,229
c) Contribution to Provident Fund	12,50,736		6,74,798
d) Contribution to Other Fund	-		-
e) Staff Welfare Expenses	39,600		25,450
f) Expenses on Employees' Retir. and terminal Benefits	6,09,334		9,53,226
g) Reimbursement of medical charges	2,67,744		2,74,037
h) Gratuity	56,037		49,905
TOTAL		**1,55,33,195**	**1,45,34,095**

आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) राष्ट्रीय पुरस्कार		-	30,00,000
ख) विधि प्रभार		78,09,170	43,37,906
ग) संपत्ति प्रबंधन शुल्क		1,09,44,141	2,13,89,008
घ) संपत्ति माफी		-	13,12,946
ङ) टी.डी.एस. पर ब्याज / दंड		9,94,684	7,34,300
च) वेंचर फंड की बिक्री पर हानि		-	-
छ) टूट फूट और रख – रखाव		1,98,331	3,57,370
ज) डाक एवं टिकट		73,634	1,52,239
झ) प्रौद्योगिकी दिवस व्यय		1,29,360	39,98,344
ञ) वाहन चालन और रखरखाव		2,05,888	91,304
ट) टेलीफोन और संचार प्रभार		2,44,291	21,58,150
ठ) प्रिंटिंग, स्टेशनरी एवं उपभोज्य		13,34,968	21,58,150
ड) यात्रा और वाहन भत्ता			
क. घरेलु	9,93,601		
ख. विदेश	-		
ग. विषेशज्ञ	4,21,985	14,15,586	44,17,024
ढ) पुस्तकालय की किताबें एवं आवधिक		225	1,650
ण) बोर्ड सदस्यों को टीए/डीए/शुल्क		-	39,089
त) लेखा परीक्षा शुल्क		80,000	80,000
थ) आवभगत व्यय		35,155	79,560
द) बैठकों पर व्यय		2,46,916	10,00,095
ध) व्यवसायिक प्रभार		2,94,500	14,29,000
न) क) ब्याज की माफी		-	-
ख) राजस्व की माफी		-	-
ग) ऋण की माफी		-	-
प) सरकार की और से देय राशि की माफी		-	5,90,00,000
फ) विविध व्यय		3,86,055	33,15,553
ब) अखबार एवं पत्रिका		2,496	18,222
भ) विज्ञापन एवं प्रचार		5,52,993	32,99,439
म) बोर्ड के खर्चे		-	91,922
कुल		**2,49,48,393**	**11,11,81,199**

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE

For The Year Ended 31st March, 2015

Amount in Rupees

SCHEDULE 21–OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.			Current Year	Previous Year
a) National Award			-	30,00,000
b) Legal charges			78,09,170	43,37,906
c) Assets Management Fees			1,09,44,141	2,13,89,008
d) Assets written off			-	13,12,946
e) TDS and Interest			9,94,684	7,34,300
f) Loss on sale of Venture Fund			-	-
g) Repairs and maintenance			1,98,331	3,57,370
h) Postage & stamps			73,634	1,52,239
i) Technology Day Expenditure			1,29,360	39,98,344
j) Vehicles Running and Maintenance			2,05,888	91,304
k) Telephone and Communication Charges			2,44,291	8,78,078
l) Printing, Stationary & Consumables			13,34,968	21,58,150
m) Travelling and Conveyance Expenses			-	-
	a) Domestic	9,93,601		
	b) Abroad	-		
	c) Experts	4,21,985	14,15,586	44,17,024
n) Library books and periodical			225	1,650
o) TA / DA / fee to Board members			-	39,089
p) Auditors Remuneration			80,000	80,000
q) Hospitality Expenses			35,155	79,560
r) Meeting Expenses			2,46,916	10,00,095
s) Professional Charges			2,94,500	14,29,000
t) a) Interest written off			-	-
b) Royalty written off			-	-
c) Loan written off			-	-
u) Devaluation of Equity			-	5,90,00,000
v) Misc. Expenses			3,86,055	33,15,553
w) Newspaper & Magazine			2,496	18,222
x) Advertisement and Publicity			5,52,993	32,99,439
y) Board Expenses			-	91,922
TOTAL			**2,49,48,393**	**11,11,81,199**

आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2015 के अनुसार

(राशि रु. में)

अनुसूची 22 – अनुदान पर व्यय			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1) संस्थानों / संगठनों को दिया गया अनुदान	-		-
(i) इन्क्यूबेटर्स			
(ii) अन्य एजेंसियां	-		10,50,00,000
2) संस्थानों / संगठनों को दी गई सब्सिडी			
कुल	-		**10,50,00,000**

नोट: संस्थाओं के नाम, उनकी गतिविधियों के साथ अनुदान / सब्सिडी का खुलासा

(राशि रु. में)

अनुसूची 23 – ब्याज			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
क) अचल ऋण पर			
ख) अन्य ऋण पर (बैंक प्रभार सहित)			
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)			
कुल			

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE

For The Year Ended 31st March, 2015

Amount in Rupees

SCHEDULE 22 – EXPENDITURE ON GRANTS		
	Current Year	Previous Year
1) Grants given to Institutions / Organizations		
(i) Incubators	-	
(ii) Other agencies	-	10,50,00,000
2) Subsidies given to Institutions / Organizations		
TOTAL	**-**	**10,50,00,000**

Note: Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/Subsidies are to be disclosed

Amount in Rupees

SCHEDULE 23 – INTEREST		
	Current Year	Previous Year
a) On Fixed Loans		
b) On Other Loans (including Bank Charges)		
c) Others (Specify)		
TOTAL		

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

लेखा संबंधी प्रमुख नीतियां एवं लेखाओं पर टिप्पणी – 2014–15

क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. प्राप्तियों एवं भुगतानों से संबंधित लेखा को नकद प्राप्ति जर्नल से तैयार किया जाता है और यह विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत नकद लेन-देन का एक सारांश है। इसमे पूंजी तथा राजस्व दोनों प्रकार की आवतियों और भुगतानों का रिकॉर्ड रखा जाता है।

2. आय एवं व्यय लेखा वर्ष में हुए आय और व्यय का सारांश है। यह नकद तथा उपार्जन दोनों आधार पर तैयार किया जाता है। यह केवल राजस्व प्रकृति के आय एवं व्यय का रिकॉर्ड रखता है। संवितरित ऋण राशि पर उपार्जित ब्याज का लेखा, जिस वर्ष ऋण की किस्त जारी की जाती है, के लिए रखा जाता है तथापि ब्याज को वास्तव में तब प्राप्त किया जा सकता है जब परियोजना संबंधित ऋण करारों की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार पूरी कर ली गई है। खातों में, साल के लिए स्टाफ के बकाया और लेखापरीक्षा शुल्क के अलावा, बकाया परन्तु भुगतान नही किये गये खर्चों के लिए प्रावधान नही किया गया।

3. अचल सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास, ह्रासमान संतुलित पद्ध ति पर आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों के आधार पर प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित/बेची गई/स्थानांतरित/त्यागी गई अचल सम्पत्तियों पर कोई मूल्यह्रास नही प्रदान किया जाता है। अचल सम्पत्तियों में वृद्धि की गणना अधिग्रहण लागत के आधार पर की जाती है।

4. राजस्व संबंधी भुगतान आवती एवं भुगतान लेखा और तुलन पत्र (बैलेंस सीट) में प्राप्ति के आधार पर लिए जाते है।

5. सरकारी अनुदानों को आवती आधार पर मान्यता दी जाती है। व्यय नही की गई राशि को भारत सरकार को वापस नहीं किया जाता क्योंकि सरकार द्वारा जारी अनुदानों को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 9 (1) (क) के अनुसार प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग हेतू निधि मै जमा कर दिया जाता है और इस प्रकार किसी प्रकार की वापसी की कोई आवश्यकता नही है। अत: भारत सरकार को वापस करने हेतू कोई राशि बकाया नही है।

6. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा (1) के अनुसार प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग हेतू निधि द्वारा प्रदत्त राशियों की अधिवसूली, ऋणों पर ब्याज की प्राप्तियों, राजस्व, अनुदानों और किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त राशि को इस निधि मे जमा कर दिया जाता है। इस प्रावधान को ध्यान में रखकर तुलन पत्र (बैलेंस सीट) तैयार किया गया है।

7. आईडीबीआई द्वारा अनुरक्षित निर्धारित / स्थायी निधियों (उद्यम पूंजी निधि) के तुलन पत्र ने निम्नलिखित को दर्शाया है :-

   (क) राजस्व, प्रबंधन शुल्क और उस पर पैनल ब्याज के संबंध में आय/ परिव्यय जिन्हें वास्तविक प्राप्तियों / भुगतान के रुप में माना गया है को छोड़कर तुलन पत्र को प्रोदभवन आधार पर तैयार किया गया है।

   (ख) परिसम्पत्तियों/ऋण/निवेश का मूल्यांकन, आईडीबीआई (फंड मैनेजर) द्वारा मूल्यांकित मूल्य पर किया गया और परिसम्पत्तियों की बुक मूल्य को कम करने के प्रावधान का अभिलेखन वित्तीय विवरण मे उपलब्ध नोट्स के आधार पर किया गया।

   (ग) तुलन पत्र के नोट के अनुसार, ग्राहक बकाया/ वसूली में कोई बदलाव नही है, ज्ञापन पुस्तकों मे ग्राहकों से वसूली योग्य राशि मे अर्जित ब्याज/ अतिरिक्त ब्याज आदि सभी राशियां शामिल होगी। बकाया अर्जित ब्याज के साथ खराब ऋण को उस स्थिति में समाप्त किया जायेगा जहां वसूली प्रकिया समाप्त हो चुकी है एवं ऋण खाते से कोई भी अदायगी की सम्भावना नही है और जिसे बोर्ड द्वारा समाप्त करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

   (घ) आईडीबीआई (वीसीएफ) के वित्तीय विवरण को तुलन पत्र के साथ उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अन्य नोट्स एवं स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जायेगा।

Technology Development Board

Significant Accounting Policies and Notes on Accounts - 2014 - 15

A. Significant Accounting Policies

1. Receipts and Payments Accounts is prepared from the cash receipt journal and is a summary of cash transactions under various heads. It records receipts and payments of both capital and revenue nature.
2. Income and Expenditure Account is the summary of incomes and expenditures of the year. It is prepared both on cash and on accrual basis. It records income and expenditure of revenue nature only. The accrued interest earned on the loan amount disbursed is accounted for in the year in which the loan installment is released; however, the interest is actually receivable after the projects have been completed in accordance with the terms and conditions of the respective loan agreements. Provision of expenses due but not paid are not make in the accounts for the year except for Staff Dues and Audit Fess.
3. Depreciation on fixed assets is provided on the basis and rates prescribed under the Income Tax Act, 1961, on diminishing balance method. No depreciation is provided on the fixed Assets acquired/sold/transferred/discarded during the financial year. Addition in fixed assets are accounted at the cost of acquisition.
4. Royalty payments are taken on receipt basis in Receipts and Payments Account and Balance Sheet.
5. Government grants are recognized on receipt basis. Unspent balances are not to be refunded to the Government of India as the grants released by the Government are credited to the Fund for Technology Development and Application in terms of section 9(1)(a) of the Technology Development Board Act, 1995 and thus there is no such requirement of refund. No amount is, therefore, due for refund to the Government of India.
6. In terms of section 9(1) of the Technology Development Board Act, 1995, recoveries made of the amounts granted from the Fund for Technology Development and Application, receipt of interest on loans, royalty, donations and sums received from any other source are credited to the Fund. Keeping this provision in view, the Balance Sheet has been prepared.
7. The balance sheet of Earmarked/ Endowment funds (Venture Capital Funds) maintained by IDBI has indicated the following:-
   a) The balance sheet is prepared on accrual basis except for income/expenditure in respect royalty, management fee and penal interest thereon, which are recognized on actual receipt/ payment.
   b) The valuation of assets/ loans/ investments have been carried at the assessment value by IDBI (Fund manager) and the provision for reducing the book value of the assets is recorded as per the notes provided in the financial statements.
   c) As per the Notes to Balance Sheet, there is no change in the customer outstanding / recovery i.e.: the amount recoverable from the customer would include the amount as per accord interest/ additional interest in Memorandum Books. Further write off of bad loans including accrued interest outstanding shall be done where the recovery process has reached a closure and no further repayments are expected from the loan accounts and the same have been approved for write off by the Board.
   d) The financial statements of IDBI (VCF) are to be read with other notes and explanations attached with the Balance Sheet provided by them.

8. निधि की राशियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में अल्पावधि जमा योजना में रखा जाता है अल्पावधि जमा पर ब्याज को प्राप्ती एवं भुगतान, लेखों और तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

9. कंपनियों में निवेश को लागत मूल्य पर दर्शाया गया है। टीडीबी के मैंडेट के अनुसार यह निवेश टीडीबी के किसी भी कैपिटल अभिमूल्यन या अन्य लाभ के लिए नहीं किया गया है। शेयरों को उनके वास्तविक वसूली तक अधिग्रहण मूल्य के आधार पर लिया जायेगा। हालांकि, किसी भी कम्पनी के समापन/विघटन या किसी अन्य मामले में निवेश के उचित मूल्य में किसी भी प्रकार की स्थायी गिरावट की स्थिति में गिरावट मूल्य को आय एवं व्यय लेखों में चार्ज किया जायेगा।

10. अप्राप्ति के मामले में, किसी भी प्रकार के पुनर्निर्धारण करार (रों) को ऋण करार में निर्धारित नियम एवं शर्तों के आधार पर किया जायेगा एवं खाते में बकाया राशि मूल करार के आधार पर बहाल होगा। इस वजह से, मूल करार पर वापस जाने के कारण ऋणकर्ता के बकाया राशि में वृद्धि हो सकती है।

11. अगर उधारकर्ता ऋण करार के शर्तों के तहत ऋण/ब्याज की राशि का भुगतान करने में अक्षम है और वसूली का मामला विवाचन को निर्दिष्ट किया गया है तो बकाया ऋण राशि, दंडविषयक ब्याज के साथ ब्याज को मामले को विवाचन को निर्दिष्ट करने के तारीख पर रोक दिया जाता है। पुरस्कार शर्तों के अनुसार पारित पुरस्कार के प्राप्त होने के बाद ही बकाया ब्याज का प्रावधान या समायोजन किया जाता है।

12. अगर उधरकर्ता ने ऋण करार के शर्तों के तहत ऋण/ब्याज की राशि का भुगतान करने में डिफॉल्ट किया है और उचित कानूनी प्रकिया में गये बिना ही परिसमापन में चला गया है तो परिसमापन की तारीख तक ब्याज लगाया जायेगा। चूंकि वसूली की तारीख तक ब्याज की वसूली का अधिकार टीडीबी के पास है अत: खारिज करने के लिए अंतिम प्रावधान आधिकारिक परिसमापक से मूलधन एवं ब्याज के अंतिम भुगतान की प्राप्ति के बाद ही किया जाता है।

13. ऋणकर्ता से अप्राप्ति एवं अनुवर्ती आर्बिट्रेसन अवार्ड पास होने के मामले में, ऋण एवं ब्याज का पुन:ब्याख्यान एवं ब्याज की चार्जिंग आर्बिट्रेसन अवार्ड के आधार पर किया जायेगा। इस वजह से, ऋणकर्ता के बकाये ब्याज की राशि में वृद्धि/गिरावट हो सकती है।

14. आर्बिट्रेसन कार्रवाई शुरु होने की स्थिति में, आर्बिट्रेसन कार्रवाई के शुरु होने से अवार्ड के प्राप्त होने तक ब्याज की गणना को रोक दिया जाता है। अवार्ड के प्राप्त होने के बाद, उसपर ऋण एवं ब्याज की गणना अवार्ड के आधार पर किया जाता है जबकि अन्य शर्तें नियत रहती है।

15. पूर्ण सम्मत राशि के लिए निधि न जारी करने और समय बद्ध पुन: भुगतान सेड्यूल सक्रिय होने की स्थिति में, ब्याज की गणना करार के अनुसार लागू दर पर जारी राशि के आधार पर की जाती है।

16. वेंचर फंड एवं सीड फंड में निवेश लागत के आधार पर किया जाता है। चुंकि, ये फंड लगातार अपनी गतिविधियों के संदर्भ में विकसित हो रहे हैं एवं यह एक निरंतर प्रकिया है, निवेश के मूल्य में किसी भी प्रकार के स्थायी परिवर्तन परिकल्पित या उपलब्ध नहीं है। वेंचर फंड के निवेश में लाभ/हानि को या तो फंड के बंद होने पर या फंड के कार्यकाल के दौरान आय के संवितरण के दौरान स्वीकृत किया जाता है।

17. भंडार का सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाता है।

18. आंकड़ों को निकटतम रुपए में पूर्वांकित किया जाता है।

8. Fund balances are kept in short term deposits in nationalized banks. Interest on short term deposits is reflected in the Receipts and Payments Account and Balance Sheet.

9. The investments in companies are stated at cost price. As per the mandate of TDB, the investments are not held for capital appreciation in the strict sense or for any other benefit to TDB, the shares are held at cost of acquisition till they are finally realized. However any permanent decline in the fair value of the investments so held due to the winding up or dissolution of the respective company or any other reason, the value of decline is charged to the income & expenditure account.

10. In the case of default, rescheduling agreement(s) whatsoever done are set aside in accordance with the terms and conditions of the Loan Agreement and balances in account are restored the original agreement. This may result in increase of outstanding amount of the borrower due to reverting back to the original agreement.

11. In the case where borrower is unable to pay the loan / interest amount as per the terms of loan agreement and when the dispute arising out of out of noncompliance of the loan agreement and consequently matter is referred to arbitration. In such instance the outstanding amounts of loan and interest is frozen on the date of reference to arbitration. Further provisioning or adjustment in the outstanding interest is made only after the award is passed in accordance with the award conditions.

12. In the case where the borrower has defaulted in repayment of its loan and interest as per loan agreement and has since gone into liquidation, booking of interest has not been restricted to the date of liquidation. Final provision for write off is made for principal and interest after receipt of final payment form the Official Liquidator since the right to claim interest up to the date of recovery is maintained by TDB.

13. In case of default by a borrower and the subsequent passing of an Arbitration Award, the restatement of loan and interest and also the charging of interest is done as per the award. This may result in decrease/ increase of outstanding amount of interest due from the borrower.

14. In the case of start of Arbitration proceedings, the charge of Interest is discontinued from the date of the start of the proceedings till the award is passed. After the award, other conditions remaining constant, the loan and interest thereon is accounted as per award.

15 In case funds have not been released for the full agreed amount and the time bound repayment schedule is active, interest is calculated on the basis of the amount released at the rate applicable as per agreement.

16. Investments with Venture Funds other Seed funds, are carried at cost. Since the Funds are continuously evolving in terms its activities and is an ongoing concern, no permanent change in the value of the investment is envisaged or provided. Income / Loss is recognized in the Venture Fund Investments either on closure of the funds or disbursement of income during the tenure of the fund.

17. Stock verification is done on annual basis.

18. Figures are rounded off to the nearest rupee.

अनुसूची – 25

लेखाओं पर टिप्पणी

1. वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान टीडीबी को अनुदान के रुप में 675.00 लाख (पिछले वर्ष 1350.00 लाख रु) प्राप्त हुआ ।

2. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के पास 31 मार्च, 2014 तक 22,212.54 लाख (पिछले वर्ष 19,208.12 लाख) की अतिदेय ऋण की राशि (राशि देय पर प्राप्त नही) है। इसके अतिरिक्त, 8,937.12 लाख (पिछले वर्ष 5,206.06 लाख) का साधारण ब्याज, 11,454.40 लाख (पिछले वर्ष 11,783.66 लाख) के बराबर ऋण पर आधारित अतिरिक्त ब्याज और साधारण ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज के रुप मे 3,073.19 लाख रु. (पिछले वर्ष 2,322.24 लाख रु.) भी देय है।

3. (i) यूटीआई उद्यम पूंजी प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड (यूटीआईवीएफ), बैंगलोर द्वारा प्रशासित एसेंट इंडिया फंड (आईएएफ) मे बकाया निवेश 31 मार्च, 2015 तक 29.93 करोड़ रु. है। निधि का लेखा परीक्षित एनएवी 31 मार्च 2015 तक 100/- रु. पर 80.91/- रु. प्रति यूनिट था।

(ii) वेंचरईस्ट फंड एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई द्वारा संचालित वेंचरइस्ट टीनेट फंड II, चेन्नई में बकाया निवेश 31.03.2015 तक 13.15 करोड़ रु. है। निधि की लेखा परीक्षित एनएवी 31 मार्च, 2015 तक 1282/- रु. प्रति यूनिट थी (अंकित मूल्य 1000/- रु. प्रति यूनिट)।

(iii) टीडीबी ने दिनांक 16.08.2004 के सह-निवेश करार के अनुसार एपीआईडीसी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा प्रशासित एवं प्रबंधित ए पी आई डी सी के साथ 'टीडीबी ट्रस्ट' (जैव प्रौद्योगिकी उद्यम निधि के साथ सह-निवेश स्कीम) में दिनांक 31.03.2015 तक 30 करोड़ रु. (1,00,000/- प्रति यूनिट मूल्य की पूर्व रुप से भुगतान की गई 3000 यूनिटें) निवेश किए है। निधि की लेखा परीक्षित एनएवी 31 मार्च, 2015 तक 1,17,633/- रु. प्रति यूनिट थी (अंकित मूल्य 1,00,000/- रु. प्रति यूनिट)।

(iv) मैसर्स गुजरात वेंचर फिनांस लिमिटेड (जीवीएफएल), अहमदाबाद एसएमई टेक्नोलॉजी वेंचर फंड में बकाया निवेश 31.03.2015 तक 15.00 करोड़ रु. है। निधि की लेखा परीक्षित एनएवी 31 मार्च, 2015 तक 1,34,281/- रु. प्रति यूनिट थी (वास्तविक वैल्यू 1,00,000/- रु. प्रति यूनिट)।

(v) मेसर्स राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड (आरवीसीएफ), जयपुर "एसएमई टेक्नोलॉजी वेंचर फंड" में बकाया निवेश 31.03.2015 तक 11.46 करोड़ रु. है। इस वर्ष यूनिटों के विमोचन से 0.31 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई। निधि की लेखा परीक्षित एनएवी 31 मार्च, 2015 तक 100/- रु. पर 174.84 रु. प्रति यूनिट थी।

(vi) मेसर्स एसआईडीबीआई ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड में बकाया निवेश 31.03.2015 तक 7.85 करोड़ रु. है। निधि की लेखा परीक्षित एनएवी 31 मार्च, 2015 तक 834.85 रु. प्रति यूनिट थी (वास्तविक वैल्यू 1000/- रु. प्रति यूनिट)।

(vii) मेसर्स सीफ इंडिया एग्रीबिजनेस फंड में बकाया निवेश 31.03.2015 तक 19.60 करोड़ रु. है। निधि की लेखा परीक्षित एनएवी 31 मार्च, 2015 तक 6,76,673.09 रु. प्रति यूनिट थी (वास्तविक वैल्यू 5,00,000 रु. प्रति यूनिट)।

(viii) मेसर्स मल्टी सेक्टर सीड कैपिटल फंड में बकाया निवेश 31.03.2015 तक 20.00 करोड़ रु. है। निधि की लेखा परीक्षित एनएवी 31 मार्च, 2015 तक 14,650/- रु. प्रति यूनिट थी (वास्तविक वैल्यू 10,000/- रु. प्रति यूनिट)।

(ix) मेसर्स आइवी कैप वेंचर ट्रस्ट फंड-I में बकाया निवेश 31.03.2015 तक 10.00 करोड़ रु. है। निधि की लेखा परीक्षित एनएवी 31 मार्च, 2015 तक 1,16,867.65/- रु. प्रति यूनिट थी (वास्तविक

Schedule - 25

Notes on Accounts

1. TDB received 675 lakhs (P.Y. Rs. 1350 lakhs) as grant during the financial year 2014-15.
2. Technology Development Board has an overdue loan repayment (amount due but not received) amounting to Rs. 22,212.54 lakhs (P.Y. Rs. 19,208.12 lakhs) as **on 31st March, 2015**. In addition, simple interest of Rs. 8,937.12 lakhs (P.Y. Rs 5,206.06 lakhs), additional interest on loan amounting to Rs. 11,454.40 lakhs (P.Y. Rs. 11,783.66 lakhs) and Rs. 3,073.19 lakhs (P.Y. Rs. 2,322.24 lakhs) as additional interest on simple interest, were also due.
3. (i) The outstanding investment in the Ascent India Fund (AIF) administered by the UTI Venture Funds Management Company Private Limited (UTIVF), Bangalore is Rs 29.93 crore as on 31.03.2015. The audited NAV of the fund was Rs 80.91/- per unit of Rs. 100/- on 31st March 2015.

   (ii) The outstanding investment in the Ventureast Tenet Fund II, operated by Venture East Fund Advisors Pvt. Ltd., Chennai is Rs 13.15 crore up to 31.3.2015. The audited NAV of the fund was Rs 1,282/- per unit (face value of Rs 1000/- per unit) on 31st March 2015.

   (iii) TDB has invested Rs 30 crore (3000 fully paid units of Face Rs 1, 00,000/- per units) up to 31.3.2015 in "TDB trust" (Co-Investment Scheme with Biotechnology Venture fund) with APIDC administered and managed by APIDC Venture Capital Limited, Hyderabad as per co-investment agreement dated 16.08.2004. The audited NAV of the fund was Rs 1,17,633/- per unit (face value of Rs 1,00,000/- per unit) on 31st March 2015

   (iv) The outstanding investment in M/s Gujarat Venture Finance Limited (GVFL), Ahmedabad SME Technology Venture Fund is Rs 15.00 crores up to 31st March 2015. The audited NAV of the fund was Rs 1, 34,281/- per unit (face value 1, 00,000) on 31st March 2015.

   (v) The outstanding investment in M/s Rajasthan Venture Capital Fund (RVCF), Jaipur "SME Technology Venture Fund" is Rs 11.46 crore as on 31.03.2015. An amount of Rs 0.31 crore have been received towards redemption of units during the year. The audited NAV of fund was Rs 174.84/- per unit of Rs. 100/- on 31st March 2015.

   (vi) The outstanding investment in M/s SIDBI Venture Capital Limited iss Rs. 7.85 crore as on 31.3.2015. The audited NAV of the fund was Rs. 834.85/- (face value Rs. 1,000) as on 31st March 2015

   (vii) The outstanding investment in SEAF India Agribusiness Fund is Rs. 19.60 crore as on 31.3.2015. The audited NAV of the fund was Rs. 6,76,673.09/- (face value Rs. 5, 00,000) as on 31st March 2015.

   (viii) The outstanding investment in Multi Sector Seed Capital Fund is Rs. 20.00 crore as on 31.3.2015. The audited NAV of the fund was Rs. 14,650/- (face value Rs.10,000) as on 31st March 2015.

   (xi) The outstanding investment in M/s Ivy Cap Venture Trust Fund-I is Rs. 10.00 crore as on 31.3.2015. The audited NAV of the fund was Rs. 1, 16,867.65/- (face value Rs. 1, 00,000) as on 31st March 2015.

   (x) The outstanding investment in M/s Indian Fund for Sustainable Energy (CIIE) is Rs. 1.38 crore as on 31.3.2015. The audited NAV of the fund was Rs. 95.32/- (face value Rs.100) as on 31st March 2015.
4. TDB has signed agreement with M/s Global Innovation Technology Alliance (GITA), in joint venture with CII, in equity contribution of 51:49 respectively with a mandate to cover all key elements of innovation ecosystem that benefit industry and technology start-ups,

वैल्यू 1,00,000/- रु. प्रति यूनिट)।

(x) मेसर्स इंडियन फंड फॉर सस्टेनेबल इनर्जी (सीआईआईई) मे बकाया निवेश 31.03.2015 तक 1.38 करोड़ रु. है। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार लेखा परिक्षण एन ए वी 95.32 रु (वास्तविक वैल्यू 100/- रु प्रति यूनिट)।

4. टीडीबी ने, परिस्थितीकी तंत्र के सभी प्रमुख तत्वों को कवर करने के अधिदेश के साथ, जो इन्डस्ट्री एवं तकनीकी शुरुआतकर्ताओं को लाभान्वित करेगा, डीएसटी एवं अन्य संस्थानों के साथ, सीआईआई के साथ संयुक्त वेचर मे क्रमश: 51:49 की इक्विटी भागीदारी के साथ मेसर्स ग्लोबल इन्नोवशन एंड टेक्नोलॉजी एलायन्स (जीआईटीए) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। टीडीबी का जीआईटीए मे इक्विटी भागीदारी 7.35 करोड़ रु. की है। 31 मार्च, 2015 तक टीडीबी ने 4.33 करोड़ रु. जारी किया है।

5. भारत सरकार द्वारा अनुदानों से संबंधित उद्यत पूंजी निधि (वीसीएफ) लेन - देन के मद के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के दस्तावेजो के बकाये राशियो की प्राप्तियों और देनदारियो को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 की धारा 10 के अनुसार 1 सितम्बर 1996 को बोर्ड को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड के तुलन-पत्र मे शामिल किया गया है। तुलन-पत्र मे आईडीबीआई के वीसीएफ से संबंधित पिछले वर्ष के आंकड़ो को भी दर्शाया गया है।

टीडीबी के साथ, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), भारत सरकार एवं अंतराष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), यूनाईटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन गवर्नमेंट के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन दिनांक 29.08.2013 के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि "इनोवेटिव वेंचर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलेपमेंट (इंवेट)" प्रोग्राम के इन्क्यूवेसन कम्पोनेंट का कार्यान्वयन एवं समीक्षा टीडीबी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। टीडीबी की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की है कि निर्धारित फंड का खर्च निश्चित गतिविधियों पर यथोचित परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। तदनुसार, टीडीबी को करार के तहत वर्ष के भीतर वितरण के लिए 1,98,78,686/- रू. के बराबर जीबीपी 200000/- की राशि प्राप्त हुई। टीडीबी को फंड प्रबंधक के रूप में यह राशि एक अलग बैंक खाते में रखना है एवं इसे परियोजना दिशा-निर्देश के अनुसार जारी करना है और प्रगति रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित लेखों को डीएफआईडी को प्रस्तुत करना है।

ह./-
(नीरज केला)
निदेशक
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

ह./-
(डा. मैत्रेयी नंदा)
वैज्ञानिक 'जी'
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

ह./-
(प्रो. आशुतोष शर्मा)
अध्यक्ष
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

with DST and other organizations. The equity participation of TDB in GITA is Rs. 7.35 crore. TDB release Rs. 4.33 crore up to 31st March 2015.

5. The transfer of money receipts and liabilities outstanding in the books of the Industrial Development Bank of India (IDBI) on account of Venture Capital Fund (VCF) transactions pertaining to grants released by Government of India are required to be transferred to the Board as on 1st September 1996 in terms of section 10 of the Technology Development Board Act, 1995. The Balance Sheet of Venture Capital Fund of IDBI, vested with the Board, for the year ended 31st March 2015 has been incorporated in this year's Balance Sheet. The Balance Sheet also reflects previous year's figures relating to VCF of IDBI.

In accordance with the Agreement between Government of India through Department of Economic Affairs (DEA) and Department For International Development (DFID), Government of united Kingdom of Great Britain together with TDB bide Memorandum of Understanding dated 29.8.2013, it was agreed that the incubation component of "Innovative Ventures and Technologies for Development (INVENT) programme will be implemented and monitored with TDB, Department of Science & Technology, government of India. The responsibility of TDB is to ensure that funds will be spent on approved activities required to deliver the overall outputs and outcomes of the project. Accordingly TDB received funds amounting GBP 200000/- equivalent to Rupees 1, 98, 78,686/- under the agreement during the year for disbursement. TDB is obliged to hold this fund in a separate bank account and the interest accrued on the bank deposit are to be credited to the fund as part of additional funds available for the program and as fund manager to be released as per project guideline from time and submit progress report and audited accounts to DFID.

sd/-	sd/-	sd/-
(NIRAJ KELA)	**(Dr. MAITREYEE NANDA)**	**(Prof. ASHUTOSH SHARMA)**
DIRECTOR	SCIENTIST 'G'	CHAIRPERSON
Technology Development Board	Technology Development Board	Technology Development Board

31 मार्च 2015 के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के लेखों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2015 को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टी डी बी), नई दिल्ली के संलग्न तुलन पत्र (बैलेंस शीट), उसी तिथि को समाप्त आय एवं व्यय लेखा, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 की सं. 44) के अनुच्छेद 13 (2) के साथ पठित लेखा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (दायित्व, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें, अधिनियम 1971 के 19 (2) के अंतर्गत लेखा परीक्षा की है। इस वित्तीय विवरण को बनाने का दायित्व टी डी बी के प्रबंधन का है। हमारा दायित्व, अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है।

(2) इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्गीकरण, उत्तम लेखा नीतियों के सदृश लेखा मानक, प्रकटीकरण मानदंड इत्यादि से संबंधित लेखा प्रतिपादनों पर टिप्पणियां शामिल है। वित्तीय लेनदेनों पर विधि अनुपालित लेनदेन, नियम एवं विनियम (औचित्य और नियमितता) और दक्षता युक्त निष्पादन इत्यादि पहलुओं पर लेखा अवलोकन, यदि कोई है, तो इसे पृथक निरीक्षण द्वारा सी ए जी की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सूचित किया जाता है।

(3) हमने यह लेखा परीक्षा, भारत में सामान्यत: अपनाए गए मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में यह अपेक्षित होता है कि हम लेखा परीक्षा को इस तरह योजनाबद्ध और निष्पादित करें ताकि इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके के वित्तीय विवरण सामग्री, अशुद्ध विवरणों से मुक्त हो। लेखा परीक्षा दिये वित्तीय विवरणों के कुछ अंशों की जांच एवं उन जांच विवरण के समर्थन में प्रमाण और प्रकटीकरण के अध्ययन पर आधारित होती है। लेखा परीक्षा, उपयोग में लाये लेखा सिद्धान्तों, प्रबंधन द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण आंकलनों का मूल्यांकन और लेखा विवरणों के प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन होता है। लेखा परीक्षा की जांच में वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई राशियों के समर्थन में प्रमाणों और प्रकटीकरण की जांच शामिल है। लेखा परीक्षा, प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण आंकलनों पर हमारा मूल्यांकन है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा वित्तीय विवरणों पर दी गई हमारी टिप्पणियों को औचित्यपूर्ण आधार प्रदान करेगा।

(4) लेखा परीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट देते हैं :

i) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए है जो कि हमारी जानकारी और विश्वास में लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए अनिवार्य है।

ii) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र (बैलेंस शीट) और आय एवं व्यय लेखा/ प्राप्ति एवं भुगतान लेखा को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत फॉर्मेट में तैयार किया गया है।

iii) हमारे विचार में अपेक्षित लेखों की समुचित बहियों और अन्य संबंधित रिकॉर्डों को अनुरक्षित किया गया है जैसा कि हमारी बहियों की जांच से पता चलता है।

iv) हमारी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्नांकित है:

(क) आय और व्यय लेखा

1. **अन्य प्रशासनिक व्यय आदि-अनुसूची-21- रू. 249.48 लाख**

"उपर्युक्त राशि में स्थगन और अपील के लिए आय कर विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान अर्जित 58.21 लाख रू. की रायल्टी आय पर 19.89 लाख रू. की कर मांग का 50 प्रतिशत राशि के रूप में टीडीएस और ब्याज के लिए प्रदत 9.95 लाख रू. की राशि शामिल है। चूंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मामला विचाराधीन था, राशि को व्यय के बजाए अनुसूची ।। "वर्तमान परिसम्पतियां ऋण और अग्रिम" के अंतर्गत वसूली योग्य टीडीएस के रूप में दर्शाया जाना था। जिसके परिणामस्वरूप व्यय की अधिक और वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिमों के 9.95 लाख रू. तक की न्यूनोक्ति हुई है।

(ख) सामान्य

1. **रायल्टी पर आय कर के कारण आकस्मिक देयताओं का गैर-प्रकटन**

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान रायल्टी से आय पर आयकर विभाग द्वारा उठाई गई 76.73 रू. की मांग के कारण संभावित देयता जो बोर्ड द्वारा अपील के पश्चात मार्च, 2015 तक निर्णय के लिए लंबित थी जिसे लेखा मानक 29 में यथा अपेक्षित वाणिज्यक लेखों में "लेखों पर टिप्पणियां' में "आकस्मिक देयता" के रूप में प्रकट नहीं किया गया।

2. **अनुसूची-10- निवेश- अन्य रू. 19117.42 लाख**

उपर्युक्त राशि में 1999 से 2013 के दौरान पाँच कंपनियों के शेयरों में 2846.72 लाख रू. का निवेश शामिल है। एक तरफ टीडीबी ने 26.26 लाख रू. के निवेश के मूल्य में कटौती के पश्चात जैसा कि अनुसूची 9 में दर्शाया गया है आईडीबीआई के जोखिम पूंजीगत निधि के माध्यम से 65.99 लाख रू. की इक्विटी के मूल्य की कटौती की थी तथापि दूसरी ओर अनुसूची 10 में इक्विटी शेयरों में 2846.

Separate Audit Report of Comptroller and Auditor General of India on the account of Technology Development Board, New Delhi for the year ended 31 March, 2015.

We have audited the attached Balance Sheet of the Technology Development Board (TDB) New Delhi at 31st March 2015 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Power and Conditions of Services) Act, 1971 read with Section 13(2) of the Technology Development Board Act, 1995 (No. 44 of 1995). These financial statements are the responsibility of the Board's management. Our responsibility is to express on opinion of these financial statements based on our audit.

2. These Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regards to compliance with the Law, Rules & Regulation (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc, if any, are reported through Inspection Reports/ Comptroller and Auditor General's Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining., on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that

i. we have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ii. The Balance Sheet, Income & Expenditure, Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the Common format of Accounts approved by the Government of India, Ministry of Finance.

iii. In our opinion, proper Books of accounts and other relevant records have been maintained by the TDB, except those stated in this audit report, in so far as it appears from the examination of such books.

iv. We further report that :

A. Income & Expenditure Account

1. Other Administrative Expenses etc. - Schedule-21- Rs. 249.48 lakhs

The above includes and amount of Rs. 9.95 lakh paid towards TDS and Interest as 50 percent amount of the tax demand of Rs. 19.89 lakh of royalty income of Rs.58.21 lakh earned during the year 2010-11 as raised by Income Tax Department for stay and appeal. Since, matter was under hearing at the close of the financial year, the amount was to be shown as TDS recoverable under Schedule-11 «Current Assets, Loan and Advances» instead of expenditure. This resulted in overstatement of Expenditure and understatement of Current Assets Loans & Advances by Rs.9.95 lakh.

B. General

1. Non-disclosure of the Contingent Liabilities on accounts of Income Tax on Royalty

The probable liability on account of demand of Rs. 76.73 raised by the Income Tax Department against in income from royalty during 2009-10 to 2011-12 which were pending for decision till March 2015 after appeal by the Board, was not disclosed as 'Contingent liability' in the 'Notes on Accounts' in the Annual Accounts as required in Accounting Standard 29.

2. Schedule-10-Investments-others Rs. 19117.42 lakh

The above amount investments of Rs. 2846.72 lakh

72 लाख रू. के अपने निवेश के उचित बाजार मूल्य को न दर्शाते हुए कटौती नीति लागू नहीं की गई।

3. **ऋण सहायता के प्रति बकाया राशि का गैर-पुष्टिकरण**

अनुसूची-11 "वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋणों, अग्रिमों इत्यादि" में 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक संस्थाओं को ऋण सहायता" के रूप में 362.52 करोड़ रू. का बकाया दर्शाया गया। तथापि, टीडीबी संस्थाओं से केवल 48.61 करोड़ रू. के बकाया प्राप्तियों की पुष्टि कर सका जिसके लिए ऋण प्रदान किया गया था जो कि वर्ष के अंत में कुल संवितरित और बकाया ऋणों का मात्र 13.41 प्रतिशत है। इसलिए बोर्ड की परिसम्पत्तियों में शामिल शेष 313.91 रू. की ऋण सहायता के संबंध में अपुष्टि रही।

(ग) सहायता अनुदान

भारत सरकार द्वारा तकनीकी के आयात पर पांच प्रतिशत की दर से लिए जाने वाले करारोपन से संग्रहित धनराशि से, टीडीबी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा अनुदान प्राप्त होता है।

वर्ष के दौरान प्राप्त 8969.49 लाख रू. में से (4170.13 लाख रू. सहित टीडीबी द्वारा ओपनिंग बैलेंस के अतिरिक्त 4799.36 लाख रू. की राशि लघु अवधि जमाओं में प्राप्त ब्याज/ऋणों/रॉयल्टी/अनुदान/ऋणों के पुनर्भुगतान/वेंचर फंड से आय/गारंटी आदि से प्राप्त हुई।) संगठन ने 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार उपयोग की गई अनुदान सहायता के रूप में 1465.18 लाख रू. की राशि का उपयोग कर सका और शेष 7504.31 लाख रू. की राशि को उपयोग न किए गए अनुदान के रूप में बचा लिया।

(घ) प्रबंधन पत्र:

ऐसी कमियां जो लेखा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई को उपचारी/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पृथक रूप से एक प्रबंधन पत्र के द्वारा टीडीबी के नोटिस में लाया गया।

(v) पूर्ववर्ती पैराग्राफो में दिये गये हमारे अवलोकनों के आधार पर हम रिपोर्ट देते है कि तुलनपत्र (बैलेंस शीट), आय एवं व्यय लेखा एवं प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते है।

(vi) हमारी राय एवं हमें प्राप्त सूचना और हमें दिये स्पष्टीकरण के आधार पर, जांचित वित्तीय विवरण जिसे लेखांकन नीतियां, लेखा पर प्रबंधन द्वारा दी टिप्पणियां और हमारे द्वारा दी गई लेखा टिप्पणियां एवं इस लेखा परीक्षा के अनुलग्नक में दी गई सामग्री के साथ देखने पर यह भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ समरूप, सत्य एवं सही दृश्य प्रस्तुत करते है।

क. अब तक यह है के रूप में यह रिपोर्ट प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के तुलन पत्र और टीडीबी के कार्य से संबंधित है और

ख. अब तक यह है के रूप में यह वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बनाये उस वर्ष के दौरान आय और व्यय के अधिशेष से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

ह./-

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:

लेखापरीक्षा महानिदेशक

in shares of five companies during 1999 to 2013. On the one hand TDB has depicted the value of Equity of Rs. 65.99 lakh through Venture Capital Fund of IDBI, as shown in Schedule 9, after diminution in the value of the investment by Rs. 26.26 lakh, however on the other, it did not apply the diminution policy by not showing fair market price of its investments of Rs. 2846.72 lakh in Equity Shares in Schedule 10.

3. Non-confirmation of Balances against Loan Assistance

Schedule-11 «Current Assets, Loans, Advance etc.» disclosed a balance of 362.52 crore as 'Loan Assistance to Industrial Concerns' as on 31st March 2015. However, TDB could confirm the balances receivable(s) of only 48.61 crore from entities to whom loans were provided which is mere 13.41 percent of the total loans disbursed and outstanding at the end of the year. Therefore, the remaining Loan assistance of Rs. 313.91 included in assets of the Board remained unconfirmed.

C. Grant-in-aid

TDB receives grants from the Department of Science and Technology (DST) out of the R&D Cess levies collected by the Government at the five percent on payments made towards import of technology.

Out of Rs. 8969.49 lakh (including opening Balance of Rs. 4170.13 lakh and an amount of Rs. 4799.36 lakh received by TDB as interest on short term deposits/loans/royalty, Government grant, repayment of loans, royalty, income from venture funds, dividend, guarantee etc.) received during the year, the organization could utilize a sum of Rs. 1465.18 lakh leaving a balance of Rs. 7504.31 lakh as unutilized grant as on 31st March 2015.

D. Management Letter:

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the TDB through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Accounts dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principle generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the TDB as of March 2015; and

b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of C.A.G. of India

Director General of Audit,

Place: New Delhi
Dated:

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–।

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**

टीडीबी की आंतरिक लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13 तक की गई है और 2013–14 और 2014–15 के लिए लंबित है।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**

टीडीबी की लेखा परीक्षा के दौरान, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के संबंध में 2013–14 से आंतरिक लेखा परीक्षा को न करने के अतिरिक्त निम्नलिखित कमियां पाई गयी:

(क) **प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का गठन न करना**

सरकार द्वारा बोर्ड का गठन न करने के कारण अप्रैल, 2013 से टीडीबी ने बोर्ड की कोई बैठक नहीं बुलाई।

(ख) **रायल्टी के मूल्यांकन और वसूली के लिए कोई तंत्र नहीं**

टीडीबी ने रायल्टी के रूप में वसूलनीय राशि को देखते और वसूली के लिए देय राशि की वास्तविक वसूली हेतु उचित तंत्र नहीं स्थापित किया है।

(ग) **बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र**

सामान्य वित्त नियमावली के नियम 212(1) के अनुसार प्रत्येक अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को वित्तीय वर्ष के समापन के 12 महीनों के भीतर उपयोग प्रमाणपत्र देना पड़ता है जिसमें दर्शाया जाता है कि अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत हुआ था। तथापि 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार 28 अनुदानग्राही संगठनों से 1655.06 लाख रू. की धनराशि के उपयोग प्रमाण–पत्र बकाया थे।

3. **अचल परिसम्पत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली**

वर्ष 2014–15 के लिए अचल परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया। वर्ष 2013–14 की पिछले वास्तविक सत्यापन के अनुसार 0.14 लाख रू. की लागत की मदों को अनुपयोगी और समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया क्योंकि ये सेवा के योग्य नहीं पाई गई। तथापि, 2014–15 के दौरान इस संबंध में कोई पहल नहीं की गई ।

4. **वस्तु सूचियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली**

वर्ष 2014–15 के लिए वस्तु सूचियों का वास्तविक सत्यापन किया गया

5. **वैधानिक देयों के भुगतान में नियमितता**

टीडीबी के दो कर्मचारियों से आयकर की अल्प वसूली के संबंध में 52,460 रू. की देयताएं वसूली के लिए और 2014–15 तक सरकार के लेखा में जमा करने बकाया थी।

ह./–
निदेशक (निरीक्षण)

Annexure-1 to Audit Report

1. **Adequacy of Internal Audit System**

   The Internal Audit of TDB has been conducted till 2012-13 and pending for the years 2013-14 and 2014-15.

2. **Adequacy of Internal Control System**

   During the audit of TDB, the following deficiencies in addition to non-conducting of internal audit from 2013-14 onwards, in relation to internal control system were observed:

a. **Non constitution of Technology Development Board**

   TDB could not convene any meetings of the Board since April 2013 due to non-reconstitution of Board by the Government.

b. **No mechanism for assessment and realization of royalty.**

   TDB has not put in place a proper system to watch the amount recoverable as royalty and to actually recover the amount due for recovery.

c. **Outstanding Utilization Certificate**

   In terms of Rule 212(1) of General Financial Rules, each grantee Institution is required to furnish the utilization certificate within 12 months of the closure of the financial year, indicating that the grant has been utilized for the purpose for which it was sanctioned. However, utilization certificates amounting to Rs. 1655.06 lakh were outstanding from 25 grantee organizations as of 31 March 2015.

3. **System of Physical verification of fixed assets**

   Physical verification of fixed assets for the year 2014-15 has been conducted. As per the last physical verification for the year 2013-14, the items costing Rs. 0.14 lakh were proposed for condemnation and disposal, as these were found to be unserviceable . However, no process was initiated in this regard during 2014-15.

4. **System of physical verification on inventories**

   Physical verification of inventories for the year 2014-15 has been conducted.

5. **Regularity in payment of statutory dues**

   The dues of Rs. 52,460/- in respect of short recovery of Income Tax from two employees of TDB were outstanding for recovery and deposit in the Government Account till 2014-15.

Director (Inspection)

Notes